पंचम माला, खंड 55, अंक 7, गुरुवार 15 जनवरी, 1976/25 पौष 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LV, No. 7, Thursday, January 15, 1976/Pausa 25, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र / Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 55 में अंक १ से १० तक है / Vol. LV contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 7, गुरुवार, जनवरी, 15 1976/पौष, 25 1897 (शक)

No. 7, Thursday, January 15, 1976/Pausa 25, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**Oral Answers to Questions:**	
तारांकित प्रश्न संख्या 121, 123, 124, 127, 128, 131, 133, 134, 136 और 139	Starred Questions Nos. 121, 123, 124, 127, 128, 131, 133, 134, 136 and 139. . .	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 120, 122, 125, 126, 129, 130, 132, 135, 137, 138 और 140	Starred Questions Nos. 101 to 120, 122, 125, 126, 129, 130, 132, 135, 137, 138 and 140 .	18—32
अतारांकित प्रश्न संख्या 539 से 571 और 573 से 668	Unstarred Questions Nos. 539 to 571 and 573 to 668	32—89
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	90—92
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
58 वां प्रतिवेदन	Fifty-eighth Report	93
प्राक्कलन समिति—	Estimate Committee —	
84वां प्रतिवेदन	Eighty-Fourth Report . .	93
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
44वां, 45वां, 46वां और 47वां प्रतिवेदन	Forty-fourth, Forty-fifth, forty-sixth and and forty-seventh Reports . . .	93—94
दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक—पुरः स्थापित	Delhi Land Holdings (Ceiling) Amendment Bill—introduced	94
दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण—	Statement *Re.* Delhi Land Holdings (Ceiling) Amendment Ordinance—	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram .	94
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills introduced—	
(एक) बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक	(*i*) Burmah Shell (Acquisition of Undertakings in India) Bill . . .	94—95
(दो) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक	(*ii*) Regional Rural Banks Bill . .	95

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अध्यादेश के बारे में विवरण	*Statement Re.* Regional Rural Banks Ordinance—	
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	96
रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश दर के बारे में संकल्प	Resolution *Re.* Rate of Dividend Payable by the Railway Undertaking to General Revenues—	
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	96—98
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	98—99
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . . .	99—100
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . . .	100
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	100—101
श्री आर० पी० यादव	Shri R. P. Yadav . .	101—102
श्री एस० एन० सिंह देव	Shri S. N. Singh Deo	103
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra .	103
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma	103
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi . . .	104—105
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1975–76	Supplementary Demands for Grants (General) 1975-76—	105—115
श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B. N. Reddy . .	107—108
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	108—109
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	109—110
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh .	110
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga .	110
श्री पी० जी० मावलंकार	Shri P. G. Mavalankar .	111—112
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohtagi	112—113
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1973–74	Demands for Excess Grants (General) 1973-74	116—121
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . .	117
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	117
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	117—118
श्री पी० जी० मावलंकार	Shri P. G. Mavalankar	118—119
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N Tiwary	119
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	119
श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande .	119
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	120
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	120
राष्ट्रपति का संदेश	Message from the President . . .	121
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल) 1975–76	Supplementary Demands for Grants (Railways) 1975-76	121—127
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्धर	Shri Krishna Chandra Halder . . .	122
श्री चिंतामणि पाणिग्राही	Shri Chintamani Panigrahi . . .	123

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar .	124
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey . .	124—25
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	125
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo . .	125
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	125—126
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi . . .	126—127
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक	Unit Trust of India (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	127—28
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	128
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga .	129

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडू, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोब्बिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० एं० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री डी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोल्लाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बूटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर. श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णसाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)

पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध, चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शरद, (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० सजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी , श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ़्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री, श्याम श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजी)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नूरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रीमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसी लाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठ्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 15 जनवरी, 1976/25 पौष, 1897 (शक)

Thursday, January 15, 1976/Pausa 25, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जैव-नियंत्रण द्वारा मलेरिया के मच्छरों का उन्मूलन

*121. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों द्वारा हैदराबाद में किये गये दो वर्षों के प्रयोग से हाल ही में पता लगा है कि जैव नियंत्रण के माध्यम से मलेरिया के मच्छरों का उन्मूलन किया जा सकता है ; और

(ख) सरकार का विचार इस उपाय से 'ऐनोफ़ेलीज' को समाप्त करने हेतु कौन से कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). मच्छरों में कीटनाशी दवाइयों को सहन करने की शक्ति आ जाने से उत्पन्न समस्याओं और पर्यावरणिक दूषण से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए मलेरिया पर मिले जुले उपायों से काबू पाने की धारणा जोर पकड़ रही है। हैदराबाद में किए गए प्रयोगों से यह पता चला कि यद्यपि लार्वीवोरस मछली लार्वी की संख्या को कम करने में काफ़ी हद तक प्रभावकारी सिद्ध हुई हैं, किन्तु ये मछलियां अधिक से अधिक जल्दी असर करने वाले रसायनों का केवल आंशिक रूप में ही स्थान ले सकती हैं।

श्री पी० गंगादेव : मच्छरों की संख्या बहुत बढ़ जाने के कारण मलेरिया अभूतपूर्व सीमा तक बढ़ गया है अत : मैं जानना चाहता हूं कि हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा जिस कल की खोज की गयी है उसको प्रयोग में लाया जायेगा और देशभर में कम से कम मच्छरों में वृद्धि को रोकने, जो इस रोग के प्रथम वाहक हैं, के लिए कोई नया कार्यक्रम चलाया जायेगा ? इस संबंध में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थिति क्या है ?

डा० कर्ण सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि इसका आविष्कार हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने किया है। कुछ मछलियों और पौधो में लार्वा संबंधी गुणों की जानकारी काफ़ी समय पहले से है। परन्तु माननीय सदस्य का यह कहना बिलकुल ठीक है कि मलेरिया बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए हमने नए प्रयास किए हैं जिनमें रसायनिक और यदि सम्भव हुआ तो लार्वा खाने वाली इस मछली का विशेषकर शहरी क्षेत्रो में प्रयोग किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में यह बताना चाहता हूं कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सम्मेलन के अतिरिक्त हमें कोई अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्मेलन में मलेरिया के पुन : सिर उठाने पर काबू पाने के लिए योजना पर विचार किया गया था।

श्री पी० गंगा देव : भारत में स्थापित किए जा रहे मलेरिया अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जा रहे मलेरिया विरोधी उपाय क्या हैं ? भारी बाधाओं के बावजूद कम से कम कुछ सफ़लता प्राप्त करने के लिए कितना समय लग जाने का सरकार का अनुमान है ?

डा० कर्ण सिंह : मलेरिया पर हम दो या तीन मोर्चों पर मुख्य रूप से हमला करेंगे। एक कीटनाशी दवाओं का मोर्चा है जिसमें डी०डी०टी०, डी०एच० सी० और मलाथियान जैसी दवाईया विभिन्न मात्राओं में प्रयोग में लायी जायेंगी। खेद हैं कि यह बता पाना सम्भव नहीं होगा कि इस पर कब तक नियंत्रण पा लिया जायेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब मलेरिया का रोग काफ़ी कम हो गया है और हमने समझ लिया था कि हमने इस पर काबू पा लिया है परन्तु अब यह पुन : उभरने लगा है और बढता ही जा रहा है। परन्तु हमें आशा है कि नियंत्रण के नए उपायों के साथ साथ यदि हमें अतिरिक्त पूंजी भी मिल जाए तो शायद चार या पांच वर्षों में हम इस पर नियंत्रण कर सकेंगे।

Shri R. S.Pendey : It has been proved through national and international research that mosquitoes have now grown healthier and do not succumb to those chemicals which were effective in the past. I want to know the effective steps proposed to be taken by Government in this regard ? Whether research is on to find effective mosquito-killing Chemicals ?

Dr. Karan Singh : The question of the hon. Member relates to vector resistance. Mosquitoes used to die when D.D.T. was used, but now certain strains are immune to it. Now we are trying B.H.C., Malethine and other kinds of insecticides to kill them. These different methods are being used to rid the country of this menace.

श्री एच० एन० मुकर्जी : मलेरिया फ़ैलाने वाले मच्छरों के विज्ञान से हमारी अनभिज्ञता के बावजूद में जानना चाहता हूं कि क्या हैदराबाद का प्रयोग धन और अनुसंधान सुविधाओं के रूप में पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर सका है जबकि दूसरी ओर हमने कुछ ऐसे अनुसंधान करने आरम्भ किए हैं जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय हितों के साथ साथ हम उलझ कर रह गए है जिसका उल्लेख स्वयं प्रधान मंत्री ने कल के अपने पगवाश भाषण में भी किया है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यदि हैदराबाद के प्रयोगों को प्रोत्साहन देने के बजाय जिसमें भारतीय ज्ञान और सामान लगा है, हमने इसे निरुत्साहित करके क्या मलेरिया फ़ैलाने वाले मच्छरों पर नियंत्रण पाने की अपनी क्षमता पर ही कुठाराघात नहीं किया है ?

डा० कर्ण सिंह : मैं शायद यह कहूंगा कि हमें इन तरीकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। साथ ही यह कहना भी ठीक नहीं है कि उन्हें निरुत्साहित किया गया है। वास्तव में मलेरिया उन्मूलन कार्य क्रम के अन्तर्गत काम करने वाले विज्ञानिकों द्वारा वही हैदराबाद वाले प्रयोग किए जा रहे हैं। वास्तव में हुआ यह था कि कीटनाशक दवाइयों को प्राथमिकता मिलने लगी थी। इन दवाइयों

के विकास से पूर्व लाखा वाली मछली पर काफ़ी काम हो चूका था। बाद में इन दवाईयों के प्रनूख बन जाने पर हर एक ने यही समझा कि समस्या हल हो गयी अब सभी यह समझने लगे हैं कि दूषण के साथ साथ इन दवाईयों से अन्य कई समस्याएं पैदा हो गयी हैं। आपको पता होगा कि अनेक पश्चिमी देशों में डी०डी०टी० पर अब पूर्व प्रतिबंध लगा हुआ है। मैं जनता हूं कि हमें इसको अधिक महत्व देना चाहिए। दूसरी बात जिसका सदस्य महोदय ने उल्लेख किया है, वह अध्याय अब समाप्त हो चूका। वह करार समाप्त कर दिया गया है। और विश्व में हम अपना ध्यान कीट विनाशी दवाईयों के उत्पादन और जीव वैज्ञानिक नियंत्रण नियंत्रणों के इन तरीकों पर केन्द्रीत रखेंगे।

श्रीमती शीला कौल: क्या यह ठीक है कि कीटनाशी दवाईयां स्वयं मलेरिया से ज्यादा खतरनाक हैं क्यों कि समाचार पत्रों से हमें पता चलता है कि परिक्षणों से सिद्ध होता है कि ये दवाईयाँ प्राणी मात्र के लिए हानिकारक हैं? मैं जानना चाहती हूं कि क्या इन दवाईयों का प्रयोग ठीक होगा?

डा० कर्ण सिंह: माननीय सदस्या ने दो अर्थों वाली बात कही है। यदि हम इनका उपयोग नहीं करते तो मच्छरों की संख्या कम करने का हमारे पास और कोई साधन नहीं है और अगर यदि करते हैं तो इनका अत्यधिक प्रयोग दूषण का कारण बनता है।

'टिस्को' का विस्तार

*123. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या इस्पात और खान मंत्री 'टिस्को' के विस्तार में अन्तर्निहित सरकारी वित्त के बारे में। अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1267 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी समिति ने 'टिस्को' के विस्तार के लिये जापान के निप्पन स्टील कारपोरेशन द्वारा तैयार किये गये विस्तृत शक्यता प्रतिवेदन के बारे में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विस्तार योजना जिस रूप में तैयार की गई है उपलब्ध साधन के आधार पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम है और इस प्रायोजना का कार्य इस तरह पूरा किया जा सकता है जिससे पूंजी निवेश के बारे में निर्णय लेने के 44 महीनों के पश्चात् प्रथम उत्पादन होने लगेगा बशर्ते कि बिजली, पानी, यातायात आदि जैसी अवस्थापना सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो जाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान संसाधनों की उपलब्धि के सन्दर्भ में विस्तार योजना के बारे में पूंजी निवेश का निर्णय, जिसमें कारखानें पर 1338 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और कच्चे माल की सुविधाओं आदि के विकास पर 367 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा ऐसी तारीख तक मुल्तवी करना होगा जब इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश के बारे में निर्णय लेना अधिक उपयुक्त होगा। उस समय इस्पात की राष्ट्रीय मांग के पूर्व अनुमानों की फिर से समीक्षा करनी होगी और यह देखना होगा कि शक्यता प्रतिवेदन में विस्तार की जो गुंजायश रखी गई है

वह उस समय भी ठीक होगी। इसी तरह पूजीगत लागत और परिचालन लागत को भी अद्यतन करना पड़ेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण के अनुसार संसाधनों की स्थिति बेहतर होते ही सरकार इस संयंत्र पर 1333 करोड़ रुपए खर्च करने पर विचार करेगी और टिसको के लिए कच्चे माल की सुविधाओं आदि के विकास पर 367 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी खर्च करेगी। इस कम्पनी पर इतनी बड़ी रकम लगाने का निर्णय सरकार कब लेगी और क्या सरकार इस बात पर भी ध्यान देगी कि टिस्को की साम्यपूंजी पहले ही 44 प्रतिशत भारत सरकार की है और पहले ही बैंकों और जीवन बीमा निगम जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं के करोड़ों रुपए इसमें लगे हुए हैं? क्या सरकार इस उपकर्म में और धन लगाने से पूर्व इस बात पर ध्यान देगी कि भारत सरकार के पास पहले ही साम्यशेयर पूंजी का 44 प्रतिशत है और इसके बाद निर्णय लेगी कि क्या इस कम्पनी को गैर-सरकारी क्षेत्र में रखा जाये या नहीं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : इस प्रश्न का सम्बन्ध 'टिस्को' के विस्तार से है। इस समय यह बताना कठिन है कि सरकार और धन लगाने का निर्णय कब करेगी क्योंकि देश में इस समय संसाधनों की स्थिति कुछ कठिन ही है और इस्पात आसानी से उपलब्ध है। अतः 'टिस्को' के विस्तार के लिए पांचवीं योजना में कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है। जहां तक 'टिस्को' के गैर-सरकारी कम्पनी बने रहने का सम्बन्धि है स्वयं सदस्य महोदय के अनुसार सरकार के पास 44 प्रतिशत शेयर पहले से हैं। कम्पनी अच्छा कार्य कर रही है। सरकार का इसे अपने नियन्त्रण में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुझे यह सुनकर खेद हुआ है कि कम्पनी ठीक चल रही है। टिस्को के प्रबन्ध निदेशक, श्री मोदी के अनुसार टिस्को को पुनर्वास के लिए 250 करोड़ रुपये की तुरन्त आवश्यकता है। उनका कहना है कि गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी वित्तीय संस्थाएं यह संसाधन जुटाने की स्थिति में नहीं है। इसका अर्थ यही है कि वे वह इस कम्पनी में सरकार से 250 करोड़ रुपये और लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। जबकि सरकार के पास पहले ही 44 प्रतिशत साम्य शेयर पूंजी है तो यदि और धन लगाया जाना है तो इससे पहले इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इस कम्पनी को गैर-सरकारी क्षेत्र में ही रहने दिया जाये या नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : कम्पनी के ठीक कार्य करने से मेरा अभिप्राय यह था कि कम्पनी गत कई वर्षों से अपनी पूरी क्षमता तक उत्पादन करती रही है। देश में सबसे पुराने इस्पात कारखानों में से एक होने के नाते इसे समय-समय पर पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती है। इस समय भी इसका कार्य काफी अच्छा है। जहां तक पंजी निवेश तथा अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है उन पर उचित समय पर विचार किया जायेगा जब सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव आयेगा।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मुझे माननीय मंत्री के उत्तर से आश्चर्य हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि गत वर्ष 'टिस्को' के उत्पादन में कमी आयी थी। श्री मोदी के जिस वक्तव्य का श्री चन्द्रप्पन ने उल्लेख किया है, उसके अनुसार 'टिस्को' के प्रबन्धक सरकार को विस्तार के लिए पूंजी निवेष के लिए अनुरोध कर रहे हैं। 'टिस्को' को अधिक धन देने की बजाय 'टिस्को' की तरह राष्ट्रीयकरण क्यों न कर दिया जाये?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं कि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अगला प्रश्न ।

चपटे इस्पात (फ्लैट स्टील) का आयात

*124. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1976 के पश्चात् चपटे (फ्लैट) इस्पात का आयात करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). भूत में आयात किये गये इस्पात में अधिक मात्रा चपटे उत्पादों की थी परन्तु राउरकेला में उत्पादन में वृद्धि होने और बोकारो में हार्ट स्ट्रिप मिल के चालू हो जाने तथा कार्यक्रम के अनुसार बोकारो की ठण्डी बेलन मिल के अगले वर्ष चालू हो जाने से चपटे उत्पादों की स्थिति में मूल रूप से परिवर्तन हो गया है । वर्ष 1976–77 के लिए आयात नीति के बारे में समस्त स्थिति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है। इसी नीति पर इस समय सरकार विचार कर रही है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मंत्री महोदय का विवरण पढ़ने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं होता कि पत्ती इस्पात का आयात बन्द कब किया जायेगा क्योंकि हमारे देश में कई इस्पात मिलें हैं । और हम अब भी इसका आयात करते जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पत्ती इस्पात बनाने की क्षमता और तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध है और बोकारो गर्म इस्पात संयंत्र हाल ही में चालू किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं जिससे सदस्य महोदय स्थिति स्पष्ट समझ लेंगे । वास्तव में वर्ष 1974–76 में कुल 9 लाख टन इस्पात का आयात किया गया है जिसमें से 80 प्रतिशत चपटे उत्पादों के रूप में था । तब देश में चपटे उत्पादों की कमी थी । इस वर्ष राउरकेला में इन उत्पादों के रूप में 125,000 टन का उत्पादन हुआ है । बोकारो की गर्म पत्ती मिल चालू हो जाने से हम जनवरी-मार्च में 100,000 टन और इस प्रकार के इस्पात का उत्पादन होगा और वर्ष 1976–77 में बोकारो में 7 लाख टन चपटे इस्पात का उत्पादन होगा । अतः हमारा मुख्य आयात चपटे पदार्थों का था और बुकारो की मिल चालू हो जाने और वर्ष 1976–77 में राउरकेला में उत्पादन बेहतर हो जाने पर हमें केवल लगभग 2.6 लाख टन चपटे लोहे का उत्पादन करना पड़ेगा जो वर्ष 1977–78 में घट कर 1.4 लाख टन रह जायेगा । इस प्रकार आप देखेंगे कि दो वर्षों में हमारा आयात लगभग 7 लाख टन से घट कर 1.4 लाख टन रह जायेगा ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट नहीं बताया है कि हमारे पास तकनीकी जानकारी है या नहीं किन्तु इस बात से कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि हम चपटा इस्पात बना रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अगली ठण्डी पत्ती मिल देश में कब चालू हो जायेगी और क्या हम 1978 से पहले इसका आयात बन्द कर पायेंगे या नहीं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : जब तक हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं होती तब तक हम बोकारो का, जो एक बहुत बड़ा इस्पात संयंत्र है, निर्माण कैसे कर सकते हैं ? माननीय सदस्य को पता है कि बोकारो में प्रयुक्त जानकारी और सामग्री का 80 प्रतिशत भाग स्वदेशी है । अतः देश में जानकारी उपलब्ध है और मुझ द्वारा दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बोकारो में पूरा उत्पादन चालू होने के बाद हम लौहपत्तियों का आयात पूर्णतया बन्द कर सकेंगे ।

हल्दिया पत्तन का चालू किया जाना

*127. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को हल्दिया पत्तन के कब तक चालू होने की आशा है ;

(ख) क्या परियोजना को निर्धारित तारीख पर चालू नहीं किया जा सका ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार हल्दिया पत्तन का उपयोग कोयला निर्यात करने वाले प्रमुख पत्तन के रूप में करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) वर्तमान सूचना के अनुसार हल्दिया गोदी पद्धति के अक्तूबर, 1976 तक चालू होने की संभावना है ।

(ख) और (ग) गोदी को चालू करने की समय सूची में समय-समय पर संशोधन करना पड़ा जिसके कई कारण थे ; जैसे :—

(1) विस्तृत जल अध्ययनों के बाद यथा निर्धारित गहरे डुबावों की प्रत्याशित उपलब्धता के आधार पर जलपाश के आयाम परिवर्तन; (2) निर्माण कार्य करने से पूर्व गहरी खुदाई करने के लिए गोदी पद्धति के जलपाश द्वार पर जल सतह में कमी करने में कठिनाई; (3) इस्पात एवं सीमेंट की सामान्य कमी; (4) निर्माण सामग्री को ढुलाई के लिए वैगनों की कमी; (5) मानसून अवधि के दौरान कार्य करने की स्थिति में अप्रत्याशित कठिनाई और श्रम की उत्पादकता में कमी जिससे प्रति वर्ष कार्य करने के समय में काफी कमी हो गई; और (6) देशी निर्माताओं द्वारा संयंत्र और उपस्करों की पूर्ति में विलम्ब ।

(घ) चूंकि हल्दिया एक आधुनिक पत्तन है जहां रखरखाव की पर्याप्त यांत्रिक सुविधाएं हैं और कोयले के स्रोतों के निकट पड़ता है । अतः कोयले का निर्यात के लिए यह मुख्य पत्तन होगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : हल्दिया पत्तन को चालू करने में हुए अत्यधिक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए—अत्यधिक इसलिए क्योंकि जहां तक इन पत्तनों के आसपास के समूचे क्षेत्र का सम्बन्ध है, कलकत्ता और हल्दिया पत्तन काम्पलैक्स का भविष्य महत्वपूर्ण है—क्या मैं जान सकता हूं कि फरक्का जल की कथित उपलब्धता से नदी पर प्रभाव पड़ेगा और हल्दिया और कलकत्ता का अब देश में मुख्य पत्तनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और हल्दिया पत्तन को स्थापित किया जा सकता है जैसा कि इसके सम्बन्ध में वचन दिया गया है ।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : महोदय, पहले तो जहां तक हुगली में फरक्का से कतिपय मौसमी जल धाराओं का सम्बन्ध है, फरक्का परियोजना स्वयं आंशिक रूप से चालू की गई है। दूसरे, फरक्का की जलधारा का हुगली पर लम्बी अवधि तक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में पूरी नदी में डुबावों को सफलतापूर्वक गहराई का कई वर्षों तक प्रभाव बना रहेगा। तीसरे जहां तक हल्दिया का सम्बन्ध है, फरक्का को चालू करने का प्रभाव सीमान्तक होगा।

माननीय सदस्य ने जल अध्ययनों का उल्लेख किया है और पूछा है कि क्या इनका कुछ प्रभाव हुआ है अथवा नहीं। वह अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है। परन्तु संकेत मिले हैं कि वर्तमान जलधारा से हल्दिया चैनल पर प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु चैनल में चार अवरोधक हैं और हल्दिया के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु काई निकालने सम्बन्धी कार्य को चालू रखना आवश्यक होगा। स्थिति यह है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार यह कहना चाहती है कि फरक्का जल के प्रभाव को, जिसकी 5 वर्ष की अवधि तक जांच की जानी है, ध्यान में रखते हुए कलकत्ता और हल्दिया का भविष्य कम से कम अगले आने वाले 6 वर्षों के लिए खतरे में है जब तक सरकार अपनी जांच पूरी करेगी ? यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि हल्दिया और कलकत्ता के भविष्य को जोड़ने के लिए सरकार के पास कोई समन्वित योजना है ? यदि इस समय कलकत्ता को, जिस हद तक हम चाहते हैं, नहीं बचाया जा सकता तो कम से कम हल्दिया को इस लायक बनाया जाये कि देश का वह भाग जो समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सेवा करता है, राहत की सांस ले सके। सरकार के उत्तर से हम बहुत घबरा गये हैं और इसी कारण मैं और अधिक ठोस उत्तर चाहता हूं।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जहां तक हल्दिया परियोजना का सम्बन्ध है, फरक्का के चालू होने से अगले तीन-चार वर्षों में पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में न रखते हुए हम अवरोधकों से काई निकाल कर और जलपाश द्वार पर तथा चैनल में 36 फुट गहरा डुबाव बनाकर चैनल को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। यही मूल परियोजना है। हम अगले चार वर्षों के दौरान हल्दिया के लिए पहुंच चैनल को गहरा करने का भी विचार कर रहे हैं ताकि 40 फुट डुबाव वाले समुद्री जहाज आ सकें। दूसरे शब्दों में माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन देने की कोई आवश्यकता नहीं कि जहां तक हल्दिया परियोजना का सम्बन्ध है, हम फरक्का के चालू होने के परिणामों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि समूची हल्दिया परियोजना में कलकत्ता पत्तन न० 1 की समस्याएं, हल्दिया पत्तन के चालू होने की सम्भावना और हल्दिया में शिपयार्ड परियोजना रखने सम्बन्धी बात को सामरिक महत्व देना शामिल है ? चूंकि मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि हल्दिया पत्तन चालू हो जायेगा और वह अक्तूबर 1976 में इसके चालू होने की आशा कर रहे हैं, क्या मैं मंत्रीजी जान सकता हूं कि समूची हल्दिया परियोजना को पूरा करने तथा उसे ठोस रूप देने के लिए वहां पर शिपयार्ड परियोजना को भी चालू करने की सम्भावना है ?

श्री एच० एम० त्रिवदी : मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि हल्दिया एक ऐसा स्थान है जिसकी तकनीकी परामर्शदाताओं द्वारा जांच की गई थी और शिपयार्ड क्षेत्रों के लिए 4 स्थान हैं--गुजरात में हजारिया, वर्टावानगनी (मार्मुगांव), पारादीप और हल्दिया। चारों स्थानों के

सम्बन्ध में तकनीकी परामर्शदाताओं से प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं और वे विचाराधीन हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि समूची हल्दिया परियोजना अक्तूबर, 1976 तक चालू की जानी चाहिये। परन्तु मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हुगली नदी के मुहाने से समुचित रूप से तथा पर्याप्त काई निकालने के लिए अधिक धन नियत करेगी ताकि कलकत्ता पत्तन हमारे देश का मुख्य पत्तन बना रहे।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : कलकत्ता बन्दरगाह में पानी का निश्चित स्तर बनाये रखने के लिये हुगली नदी से गाद निकालने का काम जारी है। दूसरे, केन्द्रीय सरकार हुगली नदी से गाद निकालने के लिये 80 प्रतिशत की सहायता देती है। इसलिये, गाद निकालने के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रत्नगिरि पत्तन को पूरा करने के लिये महाराष्ट्र को ऋण

*128. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने रत्नगिरि पत्तन को पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार से कितनी राशि की राज-सहायता तथा ऋण की मांग की थी;

(ख) उसमें से कितनी राशि अब तक दी जा चुकी है और कितनी राशि देने का विचार है तथा कब तक देने का विचार है; और

(ग) पत्तन का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) चौथी योजना में 107 लाख रुपये की लागत पर 20 फुट डुबाव वाले जहाजों के लिये रत्नगिरि बन्दरगाह के विकास की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने वचन दिया था।

(ख) महाराष्ट्र सरकार को मार्च, 1975 के अन्त तक सारी राशि विमोचित कर दी गई है।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित रत्नगिरि विकास का प्रथम चरण पूरा हो गया है।

श्री शंकर राव सावंत : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार में रक्षात्मक दीवार की लम्बाई के बारे में कुछ विवाद है। उत्तर में जिन चरणों का उल्लेख है, वे इस विवाद से सम्बन्धित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विकास का दूसरा चरण क्या है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जैसाकि मैं बता चुका हूं प्रथम चरण चौथी योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में पूरा हो चुका है। राज्य सरकार रत्नगिरि पत्तन के सम्बन्ध में आगे की विस्तृत योजना चाहती थी जिसमें 1500 से 1900 फुट के पत्ततल की व्यवस्था हो। मैं इसे विवाद नहीं कहूंगा। किन्तु राज्य सरकार का विचार है कि यह विस्तार आवश्यक है।

तकनीकी अध्ययन, जो केन्द्रीय विद्युत् तथा अनुसंधान केन्द्र, पूना द्वारा किया गया था, के आधार पर हमें पता चला है कि 1500 फुट से अधिक के पत्तनजल की आवश्यकता नहीं है।

श्री शंकरराव सावंत : जहां तक पूना की प्रयोगशाला का सम्बन्ध है, उन्होंने बताया है कि सभी मौसमों में प्रयोग योग्य पत्तन बनाने के लिये 1900 फुट के विस्तार की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे चरण के लिये राज्य सरकार ने कितनी सहायता अथवा ऋण की मांग की है और उनके इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी: यात्री-एवं-माल पत्तन के निर्माण के लिये तथा पत्तनजल के विस्तार के लिये राज्य सरकार ने 150 लाख रुपये मांगे हैं। योजना आयोग का मत है कि यह योजना नई नहीं है, इसलिये इसे चौथी योजना से बची योजना नही माना जा सकता। अतः पांचवीं योजना में इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में धन नहीं दिया जा सकता।

श्री धामनकर : जब तक कि रत्नागिरि बन्दरगाह को सभी मौसमों में प्रयोग किये जाने योग्य बन्दरगाह नहीं बनाया जायेगा तब तक विशेषकर श्रमिकों को तथा बम्बई से जाने वाले अन्य यात्रियों को इससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और इसे सभी मौसमों के लिये उपयुक्त बन्दरगाह बनाने की योजना बनायेगी ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : रत्नागिरि जैसे स्थान पर सभी मौसमों के लिये उपयुक्त बन्दरगाह बनाने का मामला विस्तृत जांच-योग्य है। इस प्रश्न पर तकनीकी तौर पर जांच नहीं की गयी है।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाने वाला कार्य पत्तनजल के विस्तार के मामले पर मतभेद के कारण का हुआ है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : यदि राज्य सरकार चाहे तो पत्तनजल का 1900 फुट तक विस्तार करने का कार्य पूरा कर सकती है।

विदेशों से जहाजों की खरीद

*131. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो गया है;

(ख) क्या जहाजों के सम्पूर्ण इन्जनों का निर्माण देश में ही होता है; और

(ग) क्या सरकार अब भी जहाजों की सप्लाई के लिए विदेशों में क्रयादेश दे रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) तथा (ख); जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मैं जानना चाहता हूं कि मेरीन इंजन के कौन से पुर्जे रांची प्लांट में बनाये जा रहे हैं और उनकी निर्माण लागत क्या है और देश में बन रहे जहाजों के लिए इंजनों के कौन-कौन से मुख्य पुर्जे आयात किये जा रहे हैं और विदेशों में किस-किस किस्म के जहाज मंगाये जा रहे हैं ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मैं केवल मोटी जानकारी दे सकता हूं। यह वर्कशाप तीन किस्म के मेरीन इंजन बना रही है। एक 10500 से 20000 अश्वशक्ति के; दूसरे 1800 से 2200 अश्वशक्ति के और तीसरे 3500 से 12000 अश्वशक्ति के।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार के जहाज आयात किये जा रहे हैं और क्या मछली पकड़ने के लिये ट्रालर देश में बन रहे हैं या नहीं?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जहां तक जहाजों का सम्बन्ध है, सभी प्रकार के जहाज आयात किये जाते हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : हमारी निर्यात और आयात आवश्यकता की पूर्ति के लिये देश में जहाज-निर्माण क्षमता की प्रतिशतता क्या है और सरकार जहाज निर्माण उद्योग को बड़े पैमाने पर सहायता देने के लिये क्या कदम उठायेगी ताकि निकट भविष्य में हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जायें?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : देश में भारतीय जहाज निर्माण कारखानों की वर्तमान क्षमता इस प्रकार है : हमारे यहां चार कारखाने हैं जिनमें से मजगांव और गार्डनरीच मुख्यत: जहाज निर्माण कारखाने नहीं हैं किन्तु वहां केवल सुरक्षा सम्बन्धी काम होता है। हमारे पास दो मुख्य कारखाने हैं, विशाखापत्तनम् स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड और एक कोचीन में। जहां तक कोचीन का सम्बन्ध है, वहां अगले दो वर्षों में 150,000 डेड वेट की क्षमता प्राप्त कर ली जायेगी। हिन्दुस्तान शिपयार्ड में लगभग चार जहाजों या 22,000 डेड वेट की क्षमता होगी।

भारत-अमरीकी सलाहकार बोर्ड की बैठक

*133. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में भारत–अमरीकी संयुक्त सलाहकार बोर्ड की कोई बैठक वाशिंगटन और/अथवा दिल्ली में हुई थी; और

(ख) क्या इस प्रकार के व्यक्तिगत सम्पर्कों और चर्चाओं से भारत और अमरीका के सम्बन्धों में सुधार हुआ है अथवा वे मजबूत हुए हैं?

विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) संभवतया सदस्य महोदय भारत–अमरीकी संयुक्त आयोग की बैठक का जिक्र कर रहे हैं जो 6–7 अक्तूबर, 1975 को वाशिंगटन में हुई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री, श्री यशवंतराव चव्हाण ने किया था जो संयुक्त आयोग के सह-अध्यक्ष हैं। अमरीकी विदेश मंत्री, डा० हेनरी किसिंजर ने, जो अमरीकी पक्ष की ओर से सह-अध्यक्ष हैं, संयुक्त आयोग में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

संयुक्त आयोग के अधीन ये तीन उप-आयोग गठित किये गये––आर्थिक एवं वाणिज्यिक उप-आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उप-आयोग और शिक्षा एवं संस्कृति उप-आयोग। ये उप-आयोग अपने-अपने विषयों में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए गठित किये गये थे।

संयुक्त आयोग ने वाशिंगटन में हुई बैठक में तीनों उप-आयोगों द्वारा पता लगाये गये सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा की और उनका समर्थन किया।

(ख) संयुक्त आयोग की स्थापना और बैठक से तथा इसके अधीन गठित उप-आयोगों की बैठक से दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ़ होंगे तथा आगे बढ़ने की आशा है। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्रों में संयुक्त आयोग की स्थापना और इसके कार्य से लाभदायक परिणाम निकलने की आशा है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गत एक वर्ष में इस संयुक्त आयोग की केवल एक ही बैठक हुई थी या एक से अधिक ? मूल प्रश्न के उत्तर में उन्होंने तीन उप आयोगों का उल्लेख किया है और कहा है कि सहयोग के क्षेत्र बढ़ाये जा रहे हैं और उन पर चर्चा की जा रही है। क्या वह उन क्षेत्रों का उल्लेख करेंगे और बतायेंगे कि गत तीन मास में वांछित दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक संयुक्त आयोग की बैठकों का संबंध है, दो बैठकें हो चुकी है, एक दिल्ली में इसकी स्थापना के समय और दूसरी के बारे में मैं अपने उत्तर में बता ही चुका हूं। उप-आयोगों की बैठक संयुक्त आयोग की बैठक से पहले हुई थी। तीनों उप-आयोगों में से अधिकांश की एक-एक बैठक हो चुकी है, शायद इसमें से किसी एक की एक से अधिक बैठक भी हुई हो। वे कुछ क्षेत्रों का पता लगाने में सफल हुए हैं। उदाहरणार्थ, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में उन्होंने दूरगामी कार्यक्रमों की योजनाओं का अनुमोदन किया है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, व्यापार मिशनों के माध्यम से प्रत्येक देश में व्यापार बढ़ेगा, व्यापार प्रदर्शनियां आदि आयोजित की जायेगी और दोनों देशों के व्यापारी नेताओं के विचार-विमर्श के लिये संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना की जायेगी। साथ ही भारत और अमेरिका के अन्य देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दिया जायेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्होंने दोनों देशों द्वारा कृषि, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों, इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और वैज्ञानिकों तथा सूचना के आदान-प्रदान संबंधी उप-आयोग द्वारा सहमत इन क्षेत्रों में सहयोग तेज करने पर सहमत हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तथा संस्कृति के क्षेत्र में संयुक्त आयोग ने प्रत्येक देश में बारी-बारी से संयुक्त गोष्ठियां आयोजित करने की सिफारिश की है। संयुक्त आयोग ने दोनों देशों में प्रमुख सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान की भी सिफारिश की है। छात्रवृत्तियां और विजिटरशिप के कार्यक्रम का भी अनुमोदन किया गया है जिससे दोनों देशों के व्यवसायिक व्यक्तियों को विशिष्ठ अध्ययन पूरा करने का अवसर मिलेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर: मैं मंत्री महोदय द्वारा दिये गये विस्तृत उत्तर के लिये उनका आभारी हूं परन्तु प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि उनके विचार में प्रेजिडेंट फोर्ड के साथ गत वर्ष वाइट हाउस में हुई उनकी वार्त्ता के उनके विचार में क्या परिणाम निकले हैं और क्या माननीय प्रधान मंत्री तथा उनकी प्रमुख अमेरिकी सेनेटर, जार्ज मेकगवर्न के साथ हुई वार्त्ता दोनों देशों में अच्छे संबंधों की स्थापना, विशेषकर कुछ गलत फहमियां दूर करने और भारत और अमरीका के बीच सहयोग के कुछ क्षेत्र सुदृढ़ बनाने के लिये कहां तक सहायक सिद्ध हुई है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन वार्त्ताओं का संयुक्त आयोग की बैठकों से कोई संबंध नहीं है। सदस्य महोदय ने तो जानी-मानी बात कहीं है कि नेताओं के बीच बिचारों के आदान-प्रदान से सदैव लाभ होता है :

श्री भगवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (ख) के संदर्भ में भारत के सह-सभापति, अर्थात् विदेश मंत्री ने अमरीका के सह-सभापति पर यह बल दिया है कि आर्थिक संबंधों का बिबिधकरण अभी केवल कागजों पर है और वास्तव में भारत और अमरीका के बीच संबंध सुधारने

होंगे और वाइट हाउस का मत परिवर्तन होना आवश्यक है। और यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो क्या उन्होंने डाक्टर किसिंजर से यह स्पष्ट कह दिया है कि भारत के साथ आर्थिक संबंधों के विविधिकरण के साथ-साथ पाकिस्तान को घातक शस्त्रों की सप्लाई से भारत और अमरीका के संबंध कभी नहीं सुधर सकते ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने उनसे वह सभी कुछ कहा है जो भारत और अमरीका के आपसी संबंधों को सुधारने में सहायक हो। वास्तव में मैंने क्या क्या कहा यह मैं यहां नहीं बता सकता।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मंत्री महोदय ने सहयोग के क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट बता दिया है जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र शामिल है और जिनका उल्लेख संयुक्त आयोग द्वारा किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे उप आयोग अर्थात् साइंस और प्रौद्योगिकी संबंधी उप आयोग ने इलेक्ट्रानिक्स और ऊर्जा के विकास के क्षेत्रों में विशेष प्रबन्ध करने का हमारी ओर से अनुरोध किया गया है। और यदि हां, तो क्या अमरीका द्वारा सप्लाई की गई आइ०बी०एम० कम्प्यूटर मशीनों की गति-विधियों के बाद भी भारत को अपने भावी हित को रक्षा करने में सहायता मिलेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं ऐसे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता लेकिन मुझे विश्वास है कि हम वे विचार अपनाएंगे जो राष्ट्रीय हित में होंगे तथा आयोग के सदस्य एवं उप-आयोगों के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय हितों से पूरी तरह अवगत हैं।

इस्पात उद्योग के लिये 25 वर्षीय भावी योजना

*134. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **इस्पात उद्योग के लिए** एक 25 **वर्षीय भावी योजना** वर्ष 1976 के आरम्भ में बन कर तैयार हो जाएगी ; और

(ख) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० इस उद्योग का दीर्घकालीन विस्तार तथा विकास की रूपरेखा तैयार कर रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण से देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक 25 वर्षीय सन्दर्श योजना बनाने को कहा है। मुख्य आवश्यकताओं, जिनके आधार पर इस्पात उद्योग के विकास के लिए अगले 25 वर्षों के लिए 'सन्दर्श योजना' तैयार की जाती है, के लिए विस्तृत अध्ययन किये जा रहे है। इस्पात उद्योग के लिए किसी भी 'सन्दर्श योजना' को तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी संभव उत्पादन की दरों, इस्पात की आवश्यकताओं तथा स्रोतों की उपलब्धि का पता लगाया जाये।

श्री एम० के० कृष्णन् : इस तथ्य का ध्यान रखते हुए कि हमारा देश विकास और रोजगार की दृष्टि से पहले से ही पिछड़ा हुआ है और इस विस्तृत क्षेत्र में विकास की दर बढ़ाने के अतिरिक्त इसके सामने कोई विकल्प नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को इसी वर्ष के शुरु में योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव :) : सरकार देश की आवश्यकताओं पर अच्छी तरह से विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस्पात उत्पादन से हमारे देश की आवश्यकता पूरी हो रही है बल्कि हम इस वर्ष इस्पात के निर्यात की भी योजना बना रहे हैं, और हमें

13 लाख टन इस्पात के क्रयादेश प्राप्त हो चुके हैं, बोकारों कारखाने के पूरा होने तथा भिलाई कारखाने के विस्तार के बाद हम भावी वर्षों में देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को यह पता लगाना चाहिए कि इस शताब्दी के अंत तक देश में इस्पात की कितनी आवश्यकता होगी. इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, तथा विनियोजन के लिए कितनी पूंजी की आवश्यक होगी। आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत इस्पात उद्योग के विस्तार की दृष्टि से हम दीर्घावधि अध्ययन कर रहे हैं।

श्री एम० के० कृष्णन् : क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि सुझाए जाने वाले लक्ष्यों तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रस्तावित उपायों पर राष्ट्र व्यापी चर्चा हो।

श्री चन्द्रजीत यादव : राष्ट्रीय चर्चा का हमेशा स्वागत है। फिर भी, यह एक ऐसा विषय है जिसके लिए विशेषज्ञों को अध्ययन करना चाहिए और उन्हें अध्ययन करने के लिए कहा भी गया है।

Shri M. C. Daga: On the one hand our Government desire to make this country self sufficient in the matter of steel and on the other hand they are importing 10 to 11 thousand tonnes of steel. Why it is so ? In Durgapur itself there is huge quantity of Steel due to which a number of factories are being closed. If such is a situation, then what is the necessity of importing steel ? They say that it is necessary to import steel. But my submission is that the entire quantity of stainless steel is consumed for manufacture of utensils and thus it is not available for manufacture of instruments.

Shri Chanderjit Yadav: It is a fact that we import certain steel. Most of the developed Countries, who produce bulk of stainless steel use to import certain type of steel. There is no country in the world who produces all types of steel. It has been our effort to reduce import of steel. So far as the question of Stainless Steel is concerned, we want all the factories of Stainless Steel to increase their production. We are giving incentives to small units for production of stainless steel in the country. But so long as the use of utensils is in vogue, we will have to continue its manufacture.

Shri M. C. Daga: Import is made for manufacture of instruments but it is used for manufacture of utensils.

डा० हरि प्रसाद शर्मा : 25 वर्षीय सन्दर्श योजना में सभी पहलुओं पर विचार किया जाना है। हमारी सबसे बड़ी परिसम्पत्ति लौह अयस्क है। अत : 25 वर्षीय सन्दर्श योजना तैयार करते समय क्या इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है और क्या सरकार के विचार में हमें लोहे का निर्यात जारी रखना चाहिए अथवा उसे संरक्षित करना चाहिए ?

श्री चन्द्रजीत यादव : सौभाग्यवश भारत एक ऐसा देश है जिसमें लौह अयस्क के भारी निक्षेप हैं। यह सच है कि हम लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं क्योंकि हमारे विचार में लौह अयस्क एक ऐसी महत्वपूर्ण मद है जिसका निर्यात किया जाना चाहिए। लेकिन हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि विदेशी मुद्रा अधिक कैसे कमाई जा सकती है। अतः सरकार इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि लौह अयस्क के निर्यात की बजाय छर्रों तथा तैयार इस्पात का यथा संभव निर्यात किया जाए। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना देश हित में है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा :. मंत्री महोदय का कथन भावी वर्षों में परस्पर विरोधी हो सकता है।

Shri D. N. Tiwary: It is the policy of the Government to maximise the export and minimise the import. May I know whether they have paid any attention towards the diversification so that such goods are not imported which are available in sufficient quantity in our country ? While making export of steel whether it will be kept in mind that large quantity of steel should not be exported which may result in scarcity of steel in internal market and availability of steel in black market ?

Shri Chandrajit Yadav: I understand that the hon. Member is speaking about steel while using the word iron. It has been constant endeavour of the Govt. to produce the required quality and quantity of steel indigenously. He must have noticed in my earlier answer that 9 lakhs tonnes imported steel contain 80 percent flat steel but now after the production in Bokaro and Rourkela plants we will become self-relient within the period of two years and we will not need any heavy import further. While formulating our scheme we keep in view that how much we have to export and what are our internal requirements. So far as the question of black marketing is concerned, the hon. Member will be happy to note that there is not black marketing in steel at present.

Construction of buildings for Indian Embassies abroad

*135. **Shri Hari Singh**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to build their own buildings in the countries where Indian Embassies do not have their own buildings; and

(b) if so, when ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां । भारत सरकार की यह नीति है कि जहां भी संभव होगा वह अपनी सम्पत्ति उपार्जित करेगी ।

(ख) विदेश स्थित अपने मिशनों के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण/निर्माण करणबद्ध ढंग से किया जाता है जो धन तथा उपयुक्त सम्पत्ति के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

Shri Hari Singh: The hon. Minister has just stated that it is the policy of the Government to acquire their own property. I would like to know the names of the countries in regard to which action has been taken to acquire property and what is the response of the same ? He has just stated, that work will be done in a phased manner on availability of funds. I would like to know in which countries work of construction of building is being carried on and at which stage the work is and the funds made available to them for this purpose ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस बारे में बता सकता हूं । उदाहरण के तौर पर मलागसे, तंजानिया और मोजम्बीक में दूतावास और अधिकारियों के फ्लैट बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय हाल में लिया गया है । जमीन खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की समस्या हमारे सामने हैं । इसके लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है । वर्ष 1972 के बाद से हम इस विशेष उद्देश्य के लिए 50 लाख की विदेशी मुद्रा उपलब्ध कर चुके हैं ।

Shri Hari Singh: Where we do not have our own property we must have acquired rented accommodation. I would like to know the rent being paid by the Government of India. I would also like to know the name of the country to which we pay maximum rent.

Shri Yashwantrao Chavan: Please give a separate notice as I do not have this information with me.

श्रीमती माया राय : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि विदेशों में विभिन्न मिशनों के लिए किराए के भवनों के लिए दी गई धनराशि को विदेश मंत्रालय ने समीक्षा की है ? क्या इसके लिए मंत्री महोदय अलग से नोटिस देने के लिए कहेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं अपने सामान्य विचार बता सकता हूं और इसके लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं है ।

हम काफी किराया दे रहे हैं और मुद्रास्फीति के कारण किराए भी बढ़ रहे हैं और इसलिए हमें और किराया देना पड़ेगा । लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां हमारे अपने भवन हैं, वहां रख-रखाव की लागत बढ़ रही है । इसलिए हमारे सामने कठिनाई आ रही है । लेकिन अपने भवन बनाना हमेशा अच्छा रहता है ।

कुछ राज्यों में सर्वोच्च निकायों का न बनाया जाना

*139. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों में सर्वोच्च निकाय नहीं बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने ऐसे शिखर निकाय नहीं बनाए हैं, उनको गठित न करने के कारणों सहित, उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

(ग) राष्ट्रीय शिखर निकाय ने 10 जनवरी, 1976 को हुई अपनी छठी बैठक में संबंधित श्रम मंत्रियों से अपने राज्यों में यथाशीघ्र शिखर निकाय गठित करने का अनुरोध किया है ।

विवरण

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित विवरण जिन्होंने अब तक शिखर निकाय नहीं बनाए हैं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शिखर निकाय स्थापित न करने के कारण
1. दिल्ली 2. गुजरात	अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।
3. तमिलनाडु 4. गोवा, दमन और दीव 5. जम्मू और कश्मीर 6. मध्य प्रदेश 7. नागालैण्ड 8. उड़ीसा 9. मिजोरम 10. चण्डीगढ़	ऐसे द्विपक्षीय निकायों को स्थापित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई क्योंकि वर्तमान श्रम सलाहकार बोर्ड/त्रिपक्षीय बोर्ड इस प्रयोजन को पूरा कर रहा है । तथापि राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय के आग्रह पर उन्होंने अपने राज्यों में ऐसे द्विपक्षीय निकाय स्थापित करने के प्रश्न पर पुनः विचार करने की बात स्वीकार कर ली है ।
11. मनीपुर 12. मेघालय 13. सिक्किम 14. अरुणाचल प्रदेश 15. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह 16. लक्षद्वीप 17. दादरा नागर हवेली	अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री एम० कतामुत्तु : मंत्री महोदय ने बताया है कि राष्ट्रीय शीर्षस्थ निकाय ने अपनी बैठक में सम्बन्धित श्रम मंत्रियों से यथाशीघ्र निकाय गठित करने का अनुरोध किया है । लेकिन विवरण में कहा गया है कि दिल्ली और तमिलनाडु को शीर्षस्थ निकाय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान श्रम परामर्शदात्री बोर्ड कार्य करने के लिए पर्याप्त है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या निकाय के गठन के बारे में शीषस्थ निकाय की बैठक में किसी समयबद्ध कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया था ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली और गुजरात अब भी इस पर विचार कर रहे हैं और अब मुझे बताया गया है कि दिल्ली के मामले में प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, सम्बन्धित मंत्री ने हमें बताया है कि वह शीर्षस्थ निकाय के प्रश्न पर विचार करेंगे ।

श्री एम० कतामुत्तु : तमिलनाडु के बारे में तो मैं जानता हूं । लेकिन दिल्ली तो संघशासित प्रदेश है । मंत्री महोदय का कहना है कि वह प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे रहे हैं । लेकिन मैं उनसे साफ साफ जानना चाहता हूं कि वे निकाय के गठन के मामले में विलम्ब क्यों कर रहे हैं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार एकदम शीषस्थ निकाय स्थापित नहीं कर सकती । यह अधिकांशतः राष्ट्रीय स्तर पर होती है । शीर्षस्थ निकाय द्विपक्षीय निकाय होता है जिसमें राष्ट्रीय मजदूर संगठनों तथा नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं । अतः सम्बन्धित दलों से सलाह लेने के बाद ही कोई राज्य सरकार या संघशासित प्राधिकारी कार्यवाही कर सकती है । सम्भवतः इसी कारण से विलम्ब हो रहा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : शीर्षस्थ निकाय की गत बैठक में प्रधान मंत्री ने कुछ कर्मचारियों द्वारा शीर्षस्थ निकाय की सिफारिशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने पर चिन्ता व्यक्त की थी और समिति बनायी जानी थी । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस प्रकार की समिति बनाई गई है जो कि शीर्षस्थ निकाय की सिफारिशों या करार का उल्लंघन करने के दोषी एककों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : शीर्षस्थ निकाय एक द्विपक्षीय निकाय है इसलिए इसने विभिन्न उपक्रमों के बन्द होने तथा अन्य समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अपनी ही एक उप समिति बनाने का प्रस्ताव किया है । यह इस कार्यवाही का एक पहलू है जोकि द्विपक्षीय राष्ट्रीय संस्था इस सम्बन्ध में करना चाहती है । हमने भी सरकार की ओर से राज्यों के श्रम मंत्रियों तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों को इस समस्या की ओर ध्यान देने तथा उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए कहा है ।

श्री राजा कुलकर्णी : महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी शीर्षस्थ निकाय का गठन किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि छंटनी तथा जबरन छुट्टी के कितने मामले रोके या सुलझाये गये हैं? क्या यह ठीक है कि गत दो महीनों के दौरान जबरन छुट्टी के अधिक मामले हुये हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे पास इस समय तो अपेक्षित जानकारी नहीं है, परन्तु यदि वह चाहे तो उन्हें जानकारी बाद में दी जा सकती है ।

Shri Narsingh Narain Pandey: Now when the recommendations of apex body are not being implemented may I know if Government is thinking of bringing forward legislation for checking the closures and lay-offs and forgetting the co-operation of Owners?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार इसकी विधान प्रक्रिया पर भी विचार कर रही है ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : विवरण में कहा गया है कि शीर्षस्थ निकाय मज़दूरों के प्रबन्ध में भाग लेने को काफी महत्व देता है । मैं यह मानता हूं कि मंत्री महोदय इस सामान्य प्रश्न का उत्तर अचानक ही नहीं दे सकेंगे । परन्तु मैं विशेष रूप से संघ शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर मंत्री महोदय आसानी से दे सकेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय शीर्षस्थ निकाय के कटिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली में डी० सी० एम० तथा अन्य बड़े एककों में वास्तव में मज़दूरों को प्रबन्ध में भागीदार होने का अवसर दिया जा रहा है । यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री के० रघुनाथ रेड्डी : सरकार द्वारा मज़दूर वर्ग के औद्योगिक उपक्रमों में भागीदार होने की जो योजना बनाई गई थी, वह औद्योगिक स्तर तक की ही है और प्रत्येक उद्योग के स्तर पर वह शाप फ्लोर तथा संयंत्र के स्तरों तक ही सीमित है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि संयंत्र स्तर तक उनकी संयुक्त परिषद है और शाप फ्लोर स्तर पर शाप परिषद है । योजना का उद्देश्य मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों को प्रबन्धक स्तर पर, निदेशक मंडल में लेने का नहीं है । इसे अभी उस स्तर पर करने का विचार नहीं है । जहां तक उनके डी०सी०एम० तथा अन्य सम्बद्ध एककों के बारे में पूछे गये प्रश्न का सम्बन्ध है उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है । उसके बारे में वह अलग प्रश्न पूछ लें । उस विषय का सम्बन्ध दिल्ली प्रशासन से है ।

श्री त्रिदिब चौधरी : राष्ट्रीय शीषस्थ निकायों का गठन आपात स्थिति की घोषणा के बाद किया गया था । हमें आशा थी कि शीर्षस्थ निकायों के निर्णयों को क्रियान्वित करने में कुछ न कुछ शीघ्रता अवश्य दिखाई जायेगी । यदि इन शीर्षस्थ निकायों की सिफारिशें भी केवल परामर्श बन कर ही रह गईं तो फिर आपात स्थिति के होते हुए भी, इन निकायों की संख्या में वृद्धि करने का क्या लाभ है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न केवल सरकार को सलाह देने के लिए द्विपक्षीय निकायों के गठन का नहीं है । इन राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकायों में मज़दूर वर्ग तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है ताकि इन द्विपक्षीय निकायों द्वारा विभिन्न मामलों में किये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए एक ओर मज़दूर वर्ग तथा दूसरी ओर नियोजकों पर दबाव डाला जा सके । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों तथा नियोजकों द्वारा अनेक निर्णयों को क्रियान्वित किया जा चुका है । कुछ समस्याएं सुलझाई जा चुकी हैं । यह ठीक है कि अभी भी कुछ समस्याओं की स्थिति कठिन है और कुछ मामलों में शीर्षस्थ निकाय द्वारा दी गई सलाह को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है । मैं यह नहीं चाहता कि माननीय सदस्य या सदन की धारणा यह बने कि शीर्षस्थ निकाय के निर्णयों को क्रियान्वित नहीं किया जाता । कुछ मामलों में निर्णय क्रियान्वित किये जाते हैं और कुछ मामलों में समस्याएं पेचीदा होती हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Steps taken to maintain the increased earnings of Railways

*101. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether the earnings of the Railways have increased after the proclamation of emergency in the country;

(b) the sources of increase in Railway revenue; and

(c) the action taken by Government to maintain it as also to increase it further ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b). A statement is laid on the table of the Sabha.

(c) Since proclamation of Emergency ticket checking drives have been intensified on the Railways. As a result of these checks during the period from 1-7-75 to 30-11-75, 10,67,786 persons were detected travelling without or with improper tickets and a sum of Rs. 1,42,49,307/- was realised from them as Railway dues as compared to the detection of 7,48,298 persons resulting in realisation of Rs. 1,02,03,076 as Railway dues during the corresponding period of the previous year. The checks are being continued with vigour.

Healthy industrial relations and a greater sense of discipline have enabled Railways to achieve all-round operational efficiency. Close watch is being kept on freight loading which has progressively gone up. Constraints in movement of traffic in the shape of quotas, restrictions etc. have been removed. Intensive monitoring of inter-city supergoods trains has been undertaken to ensure faster transit to goods and better availability of wagons. The marketing and sales activities of the Railways have been intensified with a view to attract more traffic to rail. Certain high rated commodities have been accorded higher priority in movement. The loading of these priority commodities is specially watched.

Statement

Statement showing earnings for post emergency period of 3 months period, compared with pre-emergency period of 3 months.

(Rupees/crores)

	Period April, 1975 to June, 1975 (pre-emergency)	Period July, 1975 to September, 1975 (Post emergency)	Period July, 1974 to September, 1974 (previous year)
Passenger . . .	133·28	113·85	95·88
Other Coaching .	17·60	20·79	19·65
Goods . . .	270·48	277·44	216·33
Sundries . .	9·94	11·82	8·71
Total . . .	431·30	423·90	340·57

उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता

*102. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय में शाप फ्लोर, और संयंत्र स्तर पर उद्योग में श्रमिकों को भाग देने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये हैं ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : श्रम मंत्रालय द्वारा 30 अक्तूबर, 1975 को जारी किये गये संकल्प के अनुसार तीनों उत्पादन कारखानों, अर्थात् चित्तरंजन रेल इंजन

कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना और सवारी डिब्बा कारखाना के महाप्रबंधकों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे उपयुक्त संख्या में शाप परिषदें और पूरे कारखाने के लिए एक संयुक्त परिषद स्थापित करें जिन में प्रत्येक उत्पादन एकक में काम कर रही कर्मचारी परिषद द्वारा नामित प्रतिनिधियों और प्रशासन द्वारा नामित प्रतिनिधियों की बराबर-बराबर संख्या हो ताकि वे उक्त संकल्प में बताये गये विभिन्न विषयों का निपटारा कर सकें।

सामान्य राजस्व से रेलवे को ऋण

*103. **श्री धामन कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सामान्य राजस्व से रेलवे को दिये गये ऋण की कितनी राशि हो गई है; और

(ख) ऋण कम करने के लिये परिचालन दक्षता के अनुरूप तथा उत्पादकता को बढ़ाते हुए क्या किफायती उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, लाभांश समकरण के लिए और उन कामों के लिए जिनका खर्च विकास निधि से किया जाता है, रेलवे राजस्व आरक्षित निधि के लिए कुल मिलाकर 343.07 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था। विकास निधि से कर्मचारियों के लिये सुविधाओं, यात्रियों के लिए सुविधाओं तथा अन्य अलाभप्रद परिचालनिक निर्माण-कार्यों पर खर्च किया जाता है। इन तीन वर्षों में 69.53 करोड़ रुपये की राशि सामान्य राजस्व को अदा कर दी गयी थी जिसके बाद इन तीन वर्षों की अवधि में इन दो खातों में कुल 273.54 करोड रुपये का शुद्ध ऋण शेष रह गया था।

(ख) संचालन-व्यय पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से रेलों ने कई कदम उठाये हैं। परिचालनिक कुशलता और बढ़ी हुई उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किये गये आर्थिक उपायों में से कुछ हैं— डीज़ल और बिजलीकर्षण का योजनाबद्ध विकास, यातायात के उच्च घनत्व वाले मार्गों पर दोहरी लाइन बिछाना, कोयला, लोह अयस्क, मैंगेनीज़ अयस्क, और चूना-पत्थर आदि जैसी भारी चीज़ें ढोने के लिए अधिक क्षमता वाले माल-डिब्बे चालू करना, माल डिब्बों में सेंटर-बफर कप्लर्स लगाना ताकि अधिक भारी गाड़ियां चलायी जा सकें, अधिकाधिक माल ढोने के लिए महत्वपूर्ण यार्डों का यांत्रिकीकरण और विस्तार अनेक आमानों के कारण स्वाभाविक असुविधा से बचते के लिए मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन, आयात मदों के बदले देशी मदों का प्रयोग, माल डिब्बों का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से माल डिब्बा-संचलन का सगणन, फेरा राशन पर नियंत्रण, गिट्टी गाड़ियों के उत्पादनात्मक उपयोग पर कड़ी निगरानी, इंजन में आग जलाने और प्रतीक्षा समय में कटौती करके और मार्ग में, टर्मिनलों से पहले तथा विन्यास यार्डों में गाड़ियों की रुकौनी का परिहार आदि।

दहेज संबंधी मामले

*104. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में देश के विभिन्न राज्यों से दहेज के कितने मामलों के बारे में सूचना दी गई; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश के सभी राज्यों में दहेज संबंधी विधि के सुचारू प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई और कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मोहम्मद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

राऊरकेला में नये रेल-डिवीजन का बनाया जाना

*105. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिवीजनों के बैढ़ौल होने के कारण सरकार उनका पुनर्गठन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, और

(ख) क्या राऊरकेला में रेल-डिवीजन बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्तमान रेल मण्डलों के पुनर्गठन के लिए इस समय किसी विशेष प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा । किन्तु मुगलसराय में एक मण्डल बनाये जाने की सम्भावना की जांच की जा रही हैं ।

(ख) जी नहीं ।

कम्पनियों का दिवालिया होना

*106. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में जिन कम्पनियों का दिवाला निकला है उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनकी आस्तियों का मूल्य कितना है और प्रत्येक कम्पनी पर कितना ऋण है; और

(ग) इस बात को देखने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं कि दिवालियेपन की घोषणा धोखे भरी नहीं है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये दिनांक 8–4–1975 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5438 के आश्वासन को पूर्ण करने के लिये संग्रह की जा रही सूचना के लिये कार्यवाही की जा रही है, एवं यथा शीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) यह सूचना सुलभ नहीं हैं ।

(ग) परिसमापन की कार्यवाहियां सदस्यों द्वारा एवं अथवा जमाकर्त्ताओं द्वारा संकल्पों के पारित करने से या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, से प्रारम्भ की जाती हैं । कम्पनियों के इस प्रकार परिसमापित होने पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 488 में, सदस्यों के एरिसछक परिसमापन के मामले में, त्रुटिपूर्ण घोषणा के प्रस्तुत करने के विरुद्ध परित्राण का उल्लेख है ।

रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टैण्डर्ड आरगेनाइजेशन द्वारा नये उपकरणों का डिजाइन तैयार किया जाना

*107. **श्री सतपाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टैण्डर्ड आरगेनाइजेशन ने हाल में किन नये उपकरणों के डिजाइन तैयार किये हैं ;

(ख) क्या निकट भविष्य में अत्यधिक गति वाली रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ग) क्या कुछ रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने का भी प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन ने हाल में रेल इंजनों और सवारी डिब्बों से सम्बन्धित जो नये उपस्कर बनाये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) इस्पात कारखानों/यार्डों में शंटिंग के लिए 1400 अश्व शक्ति (डब्ल्यू डी एस 6) बड़ी लाइन का एक डीजल रेल इंजन ।

(ii) 700 अश्व शक्ति का जैड डी एम 3/जैड डी एम 4 छोटी लाइन का एक डीजल रेल इंजन ।

(iii) डब्ल्यू सी ए एम-1, ए० सी०/डी०सी० बिजली रेल इंजन ।

(iv) शीर्ष जनित्र प्रणाली द्वारा चालित 48 शायिकाओं वाला वातानुकूल शयन यान।

(v) स्वयं जनित्रक मिले-जुले वातानुकूल सवारी डिब्बे, जिनमें पहले दर्जे की 10 वातानुकूल शायिकाएं और 34 कुर्सीयान सीटें हैं ।

(vi) 90 सीटों वाले डी लाइन के दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे ।

(vii) 26 शायिकाओं वाले बड़ी लाइन के पहले दर्जे के सवारी डिब्बे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यद्यपि इस समय गाड़ियों की वर्तमान अधिकतम अनुमत रफ्तार को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो भी समय-समय पर गाड़ियों के चालन-समय की समीक्षा की जाती है ताकि दो स्टेशनों के बीच रफ्तार तेज की जाये और इस प्रकार जहां-कहीं सम्भव हो ठहराव की अवधि कम करके, जैसे-जैसे इंजीनियरी सम्बन्धी काम पूरे हो जायें, रफ्तार सम्बन्धी पाबन्दियां कम करके या उन्हें दूर करके, गाड़ियों के स्टेशन में प्रवेश के लिए स्टेशनों से परे ही उन्हें न रुकना पड़े इसके लिए सुधरी हुई टर्मिनल क्षमता की योजनाएं बनाकर, सिगनल व्यवस्था में सुधार करके आदि मार्ग में लगने वाले समय को कम किया जाये ।

Electric Trains around Delhi

*108. **Shri Hari Singh**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a scheme to introduce new electric trains around Delhi city upto a radius of 60 miles; and

(b) if so, the time by which it would be finalised ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir, but only on Tundla-Delhi line.

(b) Electrification of Tundla—Delhi/New Delhi is in progress. The section from Tundla to Khurja has already been commissioned. Electric traction for main line Goods and passenger trains is expected to reach Delhi/New Delhi in stages by December, 1976.

The question of running Electric Multiple Unit type suburban trains around Delhi area is under study by a survey team.

पेट्रोल का निर्यात

*109. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले वर्ष से पैट्रोल का निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) भारत में पेट्रोल की वर्तमान मांग कितनी है ; और

(ग) वर्ष 1974 और 1975 में कुल कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1976 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) वर्ष 1974 में बिक्री लगभग 12.69 लाख मी० टन थी । जनवरी से नवम्बर तक इस वर्ष (1975) में मीटर स्पिरिट की बिक्री लगभग 11.47 लाख मी० टन हुई है । 1975 में कुल बिक्री लगभग वर्ष 1974 के अनुसार होने की उम्मीद की जाती है ।

(ग) 1974 में मोटर स्पिरिट का कुल उत्पादन 12.9 लाख मी० टन हुआ था और 1975 में यह 12.4 लाख मी० टन के लगभग होने की आशा की जाती है । 1976 में गैसोलीन का उत्पादन और बिक्री लगभग 13.5 लाख मी० टन होने की आशा की जाती है ।

1975 में निर्मित नई रेल लाइनें

*110. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में नई रेल लाइनों के निर्माण के लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उनमें कितनी कमी रही ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लक्ष्य हर वर्ष निर्धारित किये जाते हैं जो उस वर्ष में उपलब्ध निधि पर आधारित होते हैं । योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आवंटन के भीतर चालू वर्ष (1975) के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनके पूर्णत: प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कश्मीर में तेल की खोज का काम स्थगित किया जाना

111. **श्री राम सहाय पाँडे :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर से 5 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने के बाद तेल की खोज का काम बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लिबिया में तेल की खोज के लिये रूमानिया के साथ समझौता

*112. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिबिया में तेल की खोज करने के लिये रूमानिया के साथ कोई समझौता अथवा सहमति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की भूमिका पर पुनर्विचार

*113. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के कार्यक्षेत्र तथा भूमिका पर पुनर्विचार हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) नहीं, श्रीमान् जी

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई हाई में निकाले गये तेल का वाणिज्यिक उपयोग

*114. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेटोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में खोदे गये तेल कूपों से निकले कच्चे तेल की जांच कर ली गई है तथा उसे वाणिज्यिक उपयोग के योग्य पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने कूप सफलतापूर्वक खोदे गये हैं तथा उनमें कितना तेल पाया गया है और बम्बई हाई में मिले तेल के तेल-शोधक कारखानों में कब तक पहुंचने की सभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां ।

(ख) बाम्बे हाई में अभी तक 12 कुंए खोदे गये । एक को छोड़कर शेष कुओं में तेल पाया गया । चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है ।

First Class and A.C. Berths remaining unutilized due to increase in fares

*115. **Shri M. C. Daga**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether several 1st class and air-conditioned berths remain unutilised after the increase in their fares in the last budget resulting in loss to the Railways ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): There was no increase in the railway passenger fares in the last budget.

उर्वरक संयंत्रों का उत्पादन लक्ष्य

*116. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय को उर्वरक संयंत्रों की क्षमताओं सम्बन्धी परिव्यय का निर्धारण करने तथा उत्पादन लक्ष्य तथा कार्यक्रम नियत करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): कृषि एवं राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय योजना और संसाधनों के आबंटन में उर्वरक संयंत्रों में निवेश को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है । 1975–76 के प्रारम्भ में नाइट्रोजन की 22 लाख मी०टन की स्थापित क्षमता को वर्ष 1978–79 तक 49 लाख मी०टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । सरकार का उद्देश्य उर्वरक में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है ।

उत्पादन में सुधार करने और लक्ष्यों की प्राप्त करने के विचार से क्षमता के उपयोग में सुधार करने और विद्यमान संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । चालू वर्ष में पिछले वर्ष के 11.85 लाख मी० टन की तुलना में 15 लाख मी० टन नाइट्रोजन का उत्पादन होने और इस प्रकार 30 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने की आशा की जाती है । क्षमता के उपयोग में भी औसतन 58 प्रतिशत से औसतन 68 प्रतिशत का सुधार होगा ।

संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धनों को कानूनी सहायता

*117. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिए कोई निर्णय किया गया है और क्या इसका ब्यौरा तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Theft of Passengers' Goods in various Zonal Railways

*118. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of theft of passengers' goods that took place in various zonal Railways during the last six months;

(b) the number of culprits arrested in these thefts; and

(c) the steps taken by Railways towards putting an end to these thefts ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) (i) Important and affected night passenger trains are being escorted by Armed Government Railway Police guards.

(ii) Patrolling on the platforms and other vulnerable areas has been further intensified by the Government Railway Police.

(iii) Plain cloth staff of Government Railway Police is also deputed to keep a watch over the activities of suspects.

(iv) Sources are being deployed by the Government Railway Police to collect intelligence about the bad elements.

(v) Frequent surprise checks are exercised by Government Railway Police supervisory officers.

निर्वाचन आयोग का विस्तार करने का प्रस्ताव

*119. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मतदान आयु कम करना

*120. **श्री रानेन सेन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को मताधिकार देने के बारे में अन्तिम निणय ले लिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : जी नहीं ।

आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक में किये गये निर्णय

*122. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सामान्य परिषद् की 8 से 10 नवम्बर, 1975 तक हुई बैठक में किये गये निर्णय सरकार को प्राप्त हो गये हैं और उसने उन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सामान्य परिषद् द्वारा पारित किए गए ऐसे संकल्पों की, जो श्रम मंत्रालय से संबंधित हैं, एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–10113/76]

राष्ट्रीय शिखर संस्था

*125. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राष्ट्रीय शिखर संस्था की कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ख) उनमें किये गये मुख्य निर्णय क्या हैं ;

(ग) क्या नियोजकों द्वारा ये निर्णय लागू किये गये थे ; और

(घ) इन निर्णयों को लागू कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) राष्ट्रीय शिखर निकाय की अब तक छः बैठकें हुई हैं।

(ख) राष्ट्रीय औद्योगिक समितियाँ स्थापित करना :

"राष्ट्रीय शिखर निकाय का विचार है कि प्रत्येक मुख्य उद्योग के लिए अविलम्ब राष्ट्रीय औद्योगिक समिति स्थापित की जानी चाहिए और इन समितियों को जबरी छुट्टी, छंटनी, बन्दी या धीरे काम करने, घेराव या हड़तालों सहित सभी समस्याओं की जांच करनी चाहिए और एककों को उचित प्रकार से सलाह देनी चाहिए ।"

2. जबरी छुट्टी, छंटनी, बन्दी, तालाबन्दी, हड़तालें, घेराव, धीरे-धीरे काम करो, नियमानुसार कार्य आदि

"राष्ट्रीय शिखर निकाय आग्रह करता है कि किसी भी एकक या उद्योग में कोई एक तरफी जबरी छुट्टी नहीं होनी चाहिए तथा यह कि जबरी छुट्टी से सम्बंधित किसी भी प्रस्ताव पर पहले प्लांट स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में विचार-विमर्श किया जाए और यदि उस स्तर पर कोई समझौता हो जाता है तो, इस प्रकार के समझौते की शर्तों पर जबरी छुट्टी आरम्भ की जाए । तथापि, यदि प्लांट स्तरीय द्विपक्षीय विचार-विमर्श में कोई समझौता नहीं होता तो मामला या तो उद्योग की राज्य या राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत उठाया जाएगा ।"

3. अनुपस्थिति

"यह स्वीकार किया गया कि अनुपस्थिति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए और श्रमिक संघों को अनुपस्थिति को घटा कर न्यूनतम करने के लिए अपनी मध्यस्थता प्रदान करनी चाहिए ।"

4. सातों दिन काम

"सातों दिन काम के बारे में यह निकाय इन प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करती है क्योंकि इससे उत्पादन तथा रोजगारों के अवसरों में वृद्धि होगी, खास तौर पर उस हालत में जब कि इसे श्रमिकों/संघ(ों) से समझौता करके रायज किया जाना है ।"

राष्ट्रीय शिखर निकाय ने भी सातों दिन काम के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे ।

5. राज्य शिखर निकाय

"राष्ट्रीय शिखर निकाय की सर्वसम्मति से यह राय है कि जो नई स्थिति आपातस्थिति की घोषणा के बाद पैदा हो गई है, उससे निबटने के लिए राज्य शिखर निकाय आवश्यक है। इसलिए, राष्ट्रीय शिखर निकाय को यह विश्वास है कि सभी राज्यों में राष्ट्रीय शिखर निकाय के नमूने पर राज्य स्तर के शिखर निकाय स्थापित किए जाने चाहिएं। औद्योगिक संबंधों तथा अन्य सम्बद्ध समस्याओं से तत्परता से निबटने के लिए यह आवश्यक होगा। इसलिए, राष्ट्रीय शिखर निकाय सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता है कि वे राज्य स्तरीय शिखर निकाय तत्काल स्थापित करने के लिए कदम उठाएं। राष्ट्रीय शिखर निकाय ने और आगे चाहा कि राज्य शिखर निकाय के प्रतिनिधि संबंधित मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा नामित किए जाएंगे।"

6. प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना

"राष्ट्रीय शिखर निकाय इस बात को नोट करता है कि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम उद्योगों में, विशेषकर शाप-फ्लोर स्तर पर और उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों में श्रमिकों द्वारा भाग लेने संबंधी योजना से संबंधित है। राष्ट्रीय शिखर निकाय प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने को बड़ा महत्व देता है।"

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय शिखर निकाय ने 10-1-76 को हुई अपनी छठी बैठक में जबरी छुट्टी, छंटनी, बंदी, तालाबन्दी, हड़तालों, घेराव, धीरे काम करने, नियमानुसार काम करने आदि की समस्या की पुनरीक्षा की। समिति ने अनुभव किया कि कतिपय क्षेत्रों में प्रगति पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय शिखर निकाय ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक पक्ष के तीन तीन प्रतिनिधि शामिल करके एक छोटी सी द्विपक्षीय समिति स्थापित की जाए जो जबरी छुट्टी, छंटनी, और बन्दी के मामलों की जांच करे और जहां वह उचित जांच के बाद संतुष्ट हो जाए कि इस प्रकार की जबरी छुट्टी, बंदी निष्कपट नहीं है, वहां समुचित कार्रवाई की सिफारिश करे।

इस्पात की खपत

*126. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष देश में इस्पात की खपत में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस्पात संयंत्रों के पास जमा इस्पात के स्टाक को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव): (क) इस वर्ष इस्पात की खपत में मामूली कमी हुई है।

(ख) (1) निर्माण कार्यों में कमी आई है।

(2) सरकारी प्रयोजनाओं तथा प्रत्यायोजनाओं के लिए माल देने वाले निजी उद्योगों द्वारा अपक्रय में कमी हुई है।

(ग) (1) इस वर्ष निर्यात में वृद्धि करने के लिए अधिक प्रयत्न किये गये हैं और लोहे और इस्पात के निर्यात के लिए काफी आर्डर बुक किये गये हैं। 31-12-75 तक

लगभग 2.60 लाख टन इस्पात मूल्य 46.71 करोड़ रुपये बैठता है, निर्यात किया जा चुका है ।

(2) सरकार ने निर्माण कार्यों पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा लिये हैं ।

(3) इस्पात के अन्तत: उपयोग पर लगाये गये प्रतिबन्ध अब हटा लिये गये हैं ।

बम्बई टेलीफोन्स के लिये फालतू सामान की खरीद

*129. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में टेलीफोनों के रख-रखाव के लिये अपेक्षित रिले कायल और मैगनेट कायल जैसे फालतू सामान का इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा निर्माण नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई टेलीफोन्स ने ये फालतू सामान स्थानीय बाजार से खरीदे थे जो घटिया किस्म के थे ; और

(ग) डाक व तार विभाग द्वारा बम्बई टेलीफोन्स के लिए फालतू सामान की खरीद पर वर्ष 1973 तथा 1974 में कितनी राशि खर्च की गई ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंजों के रख-रखाव के लिए आवश्यक अधिकतर फालतू पुर्जे, जिनमें रिले क्वायल और मैग्नट क्वायल भी शामिल हैं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री द्वारा तैयार किए जाते हैं । दूसरे निर्माताओं द्वारा तैयार किये गये कुछ फालतू पुर्जों को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कड़े परीक्षण के बाद सप्लाई करती है । कभी-कभी स्थानीय टेलीफोन अधिकारी भी परिस्थिति के महत्व और सप्लाई की स्थिति को देखते हुए कुछ फालतू पुर्जे बाजार से खरीदते हैं ।

(ख) बम्बई टेलीफोन ने मैग्नेट क्वायल और रिले क्वायल स्थानीय बाजार से नहीं खरीदे थे । अलबत्ता, क्षतिग्रस्त मैग्नेट क्वायलों की मरम्मत स्थानीय रूप से करवाई गई थी । अब इसमें इन क्वायलों को वाइंड करने की पूरी क्षमता है और अब कोई भी मरम्मत बाहर के बाजार से नहीं करवाई जा रही है । बम्बई टेलीफोन ने स्थानीय बाजार से जो फालतू पुर्जे खरीदे थे वे ऐसी मदें हैं जिन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है और नमूनों का परीक्षण व थोक सप्लाई का निरीक्षण करने के बाद ही इनकी खरीद की जाती है ।

(ग) बम्बई टेलीफोन द्वारा फालतू पुर्जों पर किया गया वर्षवार खर्च इस प्रकार है :—

	आई०टी०आई० सप्लाई	स्थानीय खरीद
	लाख रुपये	लाख रुपये
1973–74 . .	26.43	0.93
1974–75	20.18	1.66

कम्पनियों द्वारा बोनस में कटौती

*130. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश कम्पनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने भारी लाभ होने के बावजूद अपने कर्मचारियों को बोनस के भुगतान में भारी कटौती की है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारों के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख): सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस देय है और यदि कोई नियोजक अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि से कम का भुगतान करता है, तो उसके खिलाफ कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों का सहयोग

*132. **श्री रानेन सेन** :

श्री भोगेन्द्र झा :

: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शाप फ्लोर तथा संयंत्र स्तर पर उद्योग के प्रबन्ध में श्रमिकों का सहयोग लेने की योजना लागू कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रम कौन-कौन से हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) और (ख) : श्रम मंत्रालय में सहज रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों ने परियोजना को या तो कार्यान्वयन किया है या प्लांट स्तर और शाप फ्लोर स्तर परिषदों की स्थापना करने की कार्रवाई आरंभ की है :—

(1) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम ।

(2) माजागांव डाक लि०, बम्बई ।

(3) इंडिया गवर्नमेन्ट मिन्ट, अलीपुर, कलकत्ता ।

(4) दामोदर वैली कार्पोरेशन अलीपुर, कलकत्ता ।

(5) दुर्गापुर स्टील प्लाण्ट, दुर्गापुर ।

(6) बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी ।

(7) भारत ओपथलमिक ग्लास लि०, दुर्गापुर ।

(8) अलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर ।

(9) इंडियन टेलीफून इंडस्ट्रीज़ लि०, बंगलौर, ।

(10) भारत हैवी इलेक्ट्रिकलज़ लि०, भूपाल ।

(11) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची ।

(12) इलेक्ट्रोंनिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया, हैदराबाद ।

(13) भारत हैवी प्लेटस एण्ड बैसलस, लि०, विशाखापत्तन ।

(14) हिन्दुस्तान केबल्स लि०, रुप नारायणपुर ।

(15) भारत डाईनामिक्स लि०, हैदराबाद ।

(16) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेश्यूटिकलस लि० ,

(क) आन्टिवाइओटिक्सप्लांट, ऋषिकेश ।

(ख) सिन्थेटिक ड्रग्स प्लांट, हैदराबाद ।

(17) फर्टिलाईज़र कार्पोरेशन आफ इंडिया, गोरखपुर ।

(18) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिक्लस लि०, डाकघर रासायनी, ज़िला कोलावा, महाराष्ट्र ।

1975 के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटनायें

*135. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र में कितनी दुर्घटनाएं हुई ; और

(ख) क्या संयंत्र की देखभाल संतोषजनक ढंग से हो रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) कुल दुर्घटनाएं 205 हुई थी जिनमें 175 दुर्घटनाओं में कारखानों के कर्मचारी और 30 दुर्घटनाओं में निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों के श्रमिक दुर्घटनाओंग्रस्त हुए थे । इन 205 दुर्घटनाओं में 8 घातक दुर्घटनाएं थीं जिनमें 4 कारखाना कर्मचारियों और 4 ठेकेदारों के कामगारों की जानें गई थो ।

(ख) जी, हां ।

राजधानी में पोलियो वक्सीन की कमी

*137. **श्री शशि भूषण :**

श्री सतपाल कपूर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीच्यूट आफ कौमुनीकेबल डिसीजिज के अनुसार दिल्ली में पोलियों के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या पौलियों वैक्सीन राजधानी में काफी समय से कम मिल रही है ; और

(ग) इस आवश्यक औषधी की मांग पूरी करने और इस रोग पर नियंत्रण करन के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) पोलियो वैक्सीन की मांग मुख्यत: जमाई हुई (कंसेन्ट्रेटिड) वैक्सीन के आयात से पूरी की जाती हैं और हैफिंकन इंस्टीट्यूट, बम्बई उसका घोल में तैयार करके उचित खुराकें बना ली जाती है और तब सप्लाई कर दी जाती है। इस वैक्सीन को भारत में बनाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पोलियो की रोग थाम करने और उस पर काबू पाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) बड़े बड़े अस्पतालों ने गम्भीर रुप से बीमार रोगियों को विशेषज्ञों का इलाज सुलभ कराना और इलाज के बाद भी जिनको थोड़ी बहुत लक्वे की शिकायत रह ही जाती है उनको उपयुक्त काम देना ।

(2) जब कभी पोलियों के फैलने की सम्भावना नजर आये तो बच्चों को, जिन्हें यह रोग आसानी से पकड़ लेता है, ओरल पोलियों वैक्सीन देकर उनके बचाव के लिए टीका लगाने का व्यापक अभियान चलाना ।

(3) पोलियो से बचाव के लिए लोगों को रोग से बचाव की जरुरत और स्वास्थ्य सम्बन्धी आम उपाय समझाना ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा आँध्र प्रदेश का सर्वेक्षण

*138. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश का सर्वेक्षण किया है तथा उसे वहां बहुमूल्य खनिजों के निक्षेप मिले हैं ; और

(ख) इन खनिजों का विकास करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) : जी, हां । मैसर्स हिन्दुस्तान कौपर लि० ने प्रति दिन 120 टन सीसा अयस्क का उत्पादन करने हेतु एक खान का विकास किया है और फरवरी 1975 में 100 टन दैनिक क्षमता वाला एक सान्द्रक चालू कर दिया गया है। खान का उत्पादन बढ़ाने और सान्द्रक की क्षमता तदनुरूप कर देने का भी प्रस्ताव है ।

भारत गोल्ड माइन्स लि० ने रामगिरि स्वर्ण क्षेत्र की येप्पापाना खान में खोज कार्य करने का प्रस्ताव किया है । उड़ीसा की सीमा के पास वाक्साइट भण्डारों के संबंध में भी व्यापक खोज कार्य किया जा रहा है । सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान आन्ध्र प्रदेश राज्य खनन निगम ने भी कुछ महत्वपूर्ण खनिज

भण्डारों, जैसे, चूना पत्थर, एसबेस्टस, बैराइट्स, तांबा, कोइनाइट के लिए खुदाई करने का प्रस्ताव किया है ।

भारतीय टेलीफोन उद्योग के उत्पादों का निर्यात

*140 श्री राज देव सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलिफोन उद्योग को अपने विभिन्न उत्पादकों का निर्यात करने के लिए 30 से अधिक देशों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को आशा है कि आगामी वर्षों में भारतीय टेलीफोन उद्योग के उत्पादकों का निर्यात कई गुना बढ जायगा ;

(ग) क्या हमारे उत्पादकों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सुदृढ आधार प्राप्त हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं को बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिये और कारखाने स्थापित करने का है ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) (क) जी हां ।

(ख) आगामी वर्षों में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इन वस्तुओं की समग्र मांगों के आधार पर और अधिक कारखाने लगाए जाएंगे ।

लक्ष्यद्वीप द्वीपों के तटों के आगे तेल की खोज

539. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लक्ष्यद्वीप द्वीपों के तटों के आगे तेल की खोज करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो खोज कार्य कब आरम्भ हो जाएगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान) : (क) और (ख). 1976 अथवा 1977 में किसी समय लक्ष्यद्वीप के द्वीपों के उपतर में भूगर्भीय सर्वेक्षण करने की योजना है । प्राप्त किये गये आंकड़े यदि आशाजनक होंगे तो आगे कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में रेलवे अस्पताल तथा स्वास्थय यूनिट

540. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां पर कर्मचारियों के लिए रेलवे अस्पताल तथा स्वास्थ्य यूनिट स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) इन प्रत्येक स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको इनसे लाभ हो रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल में 12 रेलवे अस्पताल और 65 स्वास्थ्य यूनिट हैं ।

(ख) लगभग 2.25 लाख रेल कर्मचारी ।

उत्पादन एककों को वैगनों के लिए दिए गए क्रयादेश

541. **श्री ए० के० किस्कु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एकक-वार और वर्षवार कुल कितने वैगनों के लिए क्रयादेश दिये गये हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दिये गये क्रयादेशों के आधार पर एकक-वार और वर्ष-वार कुल कितने वैगन प्राप्त हुए; और

(ग) पांचवीं योजना के दौरान रेलवे के लिए कितने वैगनों की वर्ष-वार आवश्यकता होगी और उचित समय में वैगनों को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख)। एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10114/76]**

(ग) माल-डिब्बों की जरूरतों का हिसाब पूरे पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाता है । 2,800 लाख मीटरिक टन के प्रारिम्भक यातायात के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में लगभग 1,00,000 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की खरीद की व्यवस्था की गयी थी । चूंकि योजना के प्रथम दो वर्षों में माल यातायात इतना नहीं हुआ जितना कि शुरु में अनुमान लगाया गया था, इसलिए अब अनुमान यह है कि योजना के अन्त तक रेलों को लगभग 2,500 लाख मीटरिक टन यातायात की ढुलाई करनी पड़ेगी । यातायात की इस मात्रा के लिए संभवत: लगभग 72,000 माल-डिब्बों की जरूरत पड़ेगी । 1974–75 के दौरान, वास्तव में 10958 माल-डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) खरीदे गये थे और आशा है कि 1975–76 और 1976–77 के दौरान क्रमश: लगभग 11,000 तथा 10,000 माल डिब्बे खरीदे जायेंगे।

Construction of Overbridge in Birla Nagar

542. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Municipal Corporation of Gwalior, Madhya Pradesh had made a demand for the construction of a railway overbridge in Birla Nagar;

(b) whether the permission for the construction of the overbridge has been given by the Railway Board after conducting a thorough survey in this regard ;

(c) when construction work is likely to start;

(d) the amount proposed to be spent by the Central Government and the State Government separately and the amount the Municipal Corporation of Gwalior has promised to pay for the purpose; and

(e) the time by which the work is proposed to be completed thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) A proposal for construction of a road over-bridge at Birla Nagar in replacement of levelcrossing No, 424 near Gwalior was sponsored by the Government of Madhya Pradesh in 1971, but not by the Municipal Corporation of Gwalior; and was accordingly included in the Railway's Works Programme for 1972-73.

(b) Not yet; the estimate for the work is still to be sanctioned.

(c) The layout for the proposed raod over-bridge and its approaches have not yet been finalised and it is therefore not possible to indicate at this stage as to when the work would be started physically.

(d) According to the original proposal finalised by the State Government, the work was estimated to cost Rs. 50·95 lakhs in 1972-73 out of which Railway's share was Rs, 23·53 lakhs and State Government's share Rs. 27·42 lakhs. The Railways are not aware as to whether the Gwalior Municipal Corporation has promised to pay any amount for the purpose. These costs may have to be revised due to the rise in prices during the intervening period.

(c) As the layout of the Bridge and approaches are still under finalisation, it is not possible to indicate the time by which the work would be completed,

औषधियों के मूल्य में कमी

543. **श्री सरोज मुखर्जी :**

श्री शशि भूषण :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्होंने 21 दिसम्बर, 1975 को अहमदाबाद में कहा था कि औषधियों के मूल्यों में जनवरी, 1976 से कमी की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली औषधियों के मूल्यों में कितनी कमी करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण पत्र संलग्न है ।

विवरण

औषधियों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में हाथी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार बहुत गौर से विचार कर रही है । सरकार औषध मूल्यों को सुस्थिर बनाए रखने की आवश्यकता और उत्पादकों के वास्ते उपयुक्त लाभ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करेगी । उस का निर्णय शीघ्र किए जाने की आशा है :—

क्रम सं०	औषध का नाम	यूनिट	पूर्व संशोधित मूल्य	सरकार द्वारा अव नियत किए गए मूल्य
			रुपये	रुपये
1	विटामिन बी–12	ग्राम	100.00	95.00
2	रिबोफलेविन–5 फोस्फेट सोडियम	कि० ग्राम	2500.00 (फको इण्डिया) 2800.00 (निवेदिता) 3000.00 (आई डी पी एल)	2350.00 (सबके लिए)
3	बेन्जाथिन पेसिलीन	कि० ग्राम	1263.00 (एच ए एल) 2000.00 (जाफरी मैनर्स)	1375.00 (सब के लिए)

3. राज्य व्यापार निगम ने भी चालू वर्ष के दौरान प्रपुंज औषधों के मूल्यों में कमी कर दी है :—

क्रम सं०	औषध का नाम	पूर्व संशोधित मूल्य	बाद में संशोधित किये गए मूल्य
		रुपये/प्रति कि० ग्राम	रुपये/प्रति कि० ग्राम
1	एम्पिसिलीन एन्हीड्स	2030.00	1540.00
2	एम्पिसिलीन सोडियम	1670.00	1300.00
3	एम्पिसिलीन ट्रिहाइड्रेट	1425.00	1105.00
4	क्लोरम्फोनिकोल पल्मिटेट	670.00	522.00
5	क्लोरम्फेनिकोल पाउडर (पूल्ड प्राइस)	646.00	524.60
6	क्लोरम्फोनिकोल सोडियम सैक्सीनेट	1060.00	748.00
7	इण्डोलेथसिन	1316.00	816.68

इन औषधों पर आधारित सूत्र योगों के मूल्यों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है ।

तेल की खोज

544. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों के राज्य-वार नाम क्या है जहां इस समय अशोधित तेल के लिए खोज कार्य चल रहा है; और

(ख) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जो इस क्षेत्र में सहयोग कर रही हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान) : (क) सूचना नीचे दी जाती है :—

क्रमांक	राज्य	क्षेत्र का नाम
1	जे एण्ड के . .	श्रीनगर घाटी
2	राजस्थान . . .	जिला जैसलमेर
3	पश्चिम बंगाल . . .	जिला 24 परगना
4	मेघालय . . .	गारो की पहाड़ियां
5	असम . . .	जिला सिबसागर
6	त्रिपुरा . . .	बारामुरा
7	तामिल नाडू . . .	थानजावर
8	गुजरात . . .	बरोच, काईरा, गोहिलखार, अहमदाबाद और महेसाना
9	हिमाचल प्रदेश . . .	रामशेहर क्षेत्र
10	नागालैण्ड . . .	मोकोकचूंग

(ख) इन क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए कोई भी विदेशी फर्म सहयोग नहीं दे रही है ।

लावारिस सामान को बेचने से प्राप्त धनराशि

545. श्री नरेन्द्र कुमार साँधी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गन्तव्य स्थान पर सात दिन से अधिक समय तक पड़े लावारिस माल को जब्त करने तथा बेचने सम्बन्धी अध्यादेश के पारित होने के बाद विभिन्न रेलवेज को कुल कितनी राशि की आय हुई; और

(ख) क्या इससे बैगनों की उपलब्धता में भी सहायता मिली है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अब तक अधिसूचित स्टेशनों में से एक स्टेशन अर्थात हावड़ा मालगोदाम में सिर्फ आठ परेषणों को नीलाम किया गया है । इन परेषणों को कुल 32,860 रुपये में बेचा गया । धारा 56 डी के अनुसार रेलवे का प्रशासनिक खर्चा काट कर बिक्री की रकम माल से मालिक को देय है ।

(ख) जी हां ।

पश्चिमी दीनाजपुर जिला (पूर्वोत्तर सीमाँत रेलवे) के बलूरघाट में नई रेल लाइन

546. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दीनापुर जिला के बलूरघाट में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की एक रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव को हाल ही में अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया है परन्तु इसके निर्माण के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता ।

माहे में हाल्ट स्टेशन बनाने की माँग

547. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विकासना समिति, न्यु माहे से कोई ऐसा अध्यावेदन मिला है जिसमें माहे में फ्रेंच उपरि-पुल के निकट एक नया हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग की गई है; और

(ख) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गयी थी लेकिन इंजीनियरी सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों और यातायात की कम संभावनाओं के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका ।

दिल्ली और फिरोजपुर के बीच दिन में चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी

548. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली और फिरोजपुर के बीच दिन में चलने वाली एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी नहीं ।

किन्हीं गाड़ियों को फैजाबाद अथवा जौनपुर तक बढ़ाने की माँग

549. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अप और 30 डाउन तथा 83 अप और 84 डाउन गाड़ियों को फजाबाद अथवा जौनपुर तक बढ़ाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस क्षेत्र के लोगों द्वारा इन गाड़ियों को फैजाबाद अथवा जौनपुर तक बढ़ाने के संबंध में निरन्तर मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली और फजाबाद/जौनपुर के बीच एक सीधी गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए 83/84 लखनऊ एक्सप्रैस या 29/30 लखनऊ डाक गाड़ियों का क्षत्र विस्तार करने की मांग की जाती रही है । दिल्ली और फैजाबाद/वाराणसी के बीच सीधी यात्रा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

550. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो लोक सभा के नये स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मोहम्मद) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

लोक सभा के स्थानों की कुल संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्र०सं० और नाम	लोक सभा के स्थानों की कुल संख्या
1	2
राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	42
2. आसाम	14
3. बिहार	54
4. गुजरात	26
5. हरियाणा	10
6. हिमाचल प्रदेश	4
7. जम्मू-कश्मीर	6
8. कर्नाटक	28
9. केरल	20
10. मध्य प्रदेश	40
11. महाराष्ट्र	48
12. मणिपुर	2
13. मेघालय	2
14. नागालैंड	1
15. उड़ीसा	21
16. पंजाब	13
17. राजस्थान	25
18. सिक्किम	1
19. तमिल नाडु	39
20. त्रिपुरा	2
21. उत्तर प्रदेश	85
22. पश्चिमी बंगाल	42
संघ राज्य क्षेत्र	
23. अंदमान और निकोबार द्वीप	1
24. अरुणाचल प्रदेश	2
25. चंडीगढ़	1
26. दादरा और नागर हवेली	1
27. दिल्ली	7
28. गोवा, दमण और दीव	2
29. लक्षद्वीप	1
30. मिजोरम	1
31. पांडिचेरी	1
जोड़	542

रेल सम्पत्ति चुराने के लिए रेल कर्मचारियों की गिरफ्तारी

551. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में हाल ही में अनेक रेल कर्मचारी रेल सम्पत्ति चुराने के आरोप में गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक जोन में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1-6-75 से 30-11-1975 तक की अवधि में रेल सम्पत्ति चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किये गये रेल कर्मचारियों का ब्यौरा रेलवे-वार नीचे दिया गया है :—

रेलें	गिरफ्तार किये गये रेल कर्मचारियों की संख्या
मध्य रेलवे . .	232
पूर्व रेलवे .	75
उत्तर रेलवे . .	167
पूर्वोत्तर रेलवे . . .	65
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे . .	141
दक्षिण रेलवे . .	97
दक्षिण मध्य रेलवे . . .	147
दक्षिण पूर्व रेलवे . . .	256
पश्चिम रेलवे . . .	227
जोड़	1407

तल्चर और विमलगढ़ के बीच रेल लाइन

552. **श्री पी० गंगादेव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत तल्चर और विमलगढ़ के बीच रेल-मार्ग का निर्माण-कार्य पांचवीं योजना के दौरान प्रारम्भ हो जायेगा ; और

(ख) इस रेल-मार्ग को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). विमलगढ़ से तल्चर तक बड़ी लाइन बन के लिए 1970 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिससे यह पता चला कि 135.64 कि०मी० लम्बी इस परियोजना पर लगभग 16.75 करोड़ रुपये लागत आयेगी। यह लाईन, जिससे 3.22 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होता, वित्तीय दृष्टि से उस समय सक्षम नहीं

पायी गयी थी। अब यह देखने में आया है कि मलंगटोली परियोजना से लौह अयस्क, जो इस लाईन पर यातायात रूप में अधिकांश ढोया जाता, जाखापुरा-बांसपानी लाइन से, जब वह बनकर तैयार हो जायेगी, ढोया जाने लगेगा। जाखापुरा-बांसपानी रेल सम्पर्क का निर्माण एक स्वीकृत परियोजना है जिसके एक भाग की सर्वेक्षण रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में इस परियोजना को शुरू करने का पर्याप्त औचित्य नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता संबंधी संशोधित नियमों का प्रकाशन

553. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री रेलवे कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता संबंधी संशोधित नियमों का प्रकाशन करने के बारे में 6 मई, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8745 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें उल्लिखित मामले पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकार इस सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) संशोधित अनुदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे।

Demand for a direct train from Raisi to Roorkee and Saharanpur

554. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a demand has been made to run a direct train from Raisi to Roorkee Tehsil and Saharanpur district; and

(b) whether Government propose to run this train ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) 2 pairs of direct trains are already available between Raisi and Roorkee/Saharanpur. However, for the court passengers from Raisi going to Roorkee and Saharanpur, two sets of convenient connecting trains are available in the morning, and one in the evening for returning to Raisi. It is not proposed to introduce any additional train on this route.

ब्राड गेज लाइन को समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा रक्सौल तक बढ़ाना

555. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर प्रभाव के अन्तर्गत ब्राड गेज लाइन को समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा रक्सौला तक बढ़ाने, झंझारपुर–लौकाहा तथा सकरी-हसनपुर मीटर गेज लाइनों को पूरा करने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या समस्तीपुर प्रभाग के अन्तर्गत थालवाडा के निकट बाधमती नदी के रेल पुल तथा झंझारपुर स्टेशन के निकट कमला नदी के रेल पुल को चौड़ा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) समस्तीपुर–दरभंगा मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में आमान–परिवर्तन एक अनुमोदित निर्माण–कार्य है। संशोधित प्राक्कलन तैयार करने के लिए अन्तिम स्थान–निर्धारण इंजीनियरी सर्वेक्षण चल रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा। दरभंगा से आगे रक्सौल तक अथवा इसके विकल्प मुजफ्फरपुर–रक्सौल के सम्बन्ध में आमान परिवर्तन के बारे में तभी विचार किया जायेगा जब समस्तीपुर–दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के काम में काफी प्रगति हो जायेगी।

झंझारपुर से आन्ध्राथारी तक की लाइन को जो झंझारपुर और लौकहाबाजार के बीच की दूरी का आधा है यातायात के लिए शीघ्र ही खोल दिये जाने की आशा है। सीमित उपलब्ध निधि से शेष भाग पर भी काम चल रहा है।

हसनपुर–सकरी नयी लाइन परियोजना के लिए भूमि और मिट्टी खोदने के कार्य की लागत वहन करने के लिए बिहार राज्य सरकार को लिखा गया है। राज्य सरकार से अन्तिम उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद इस निर्माण–कार्य के अनुमान की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(ख) बड़े पुलों की व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर बिहार राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

कम्पनियों के विरुद्ध एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक प्रक्रियायें आयोग द्वारा शुरु की गई जाँच

556. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** :

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कम्पनियों के नाम क्या है जिनके बारे में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक प्रक्रियाएं आयोग ने गत छः महीने में जांच आरम्भ की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : आयोग द्वारा, निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं के बारे में की गई जांचों की सूचना देते हुये एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी-10115/76]

निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कानून

557. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** :

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए अगर कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या निर्धन व्यक्तियों को संस्थागत आधार पर पर्याप्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए कोई विधान शीघ्र ही बनाये जाने का विचार है ; और

(ग) क्या न्याय को निर्धन व्यक्तियों की पहुंच के अन्दर लाने के लिए न्याय-प्रणाली में कोई सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो कैसे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सईद मोहम्मद) : (क) कतिपय मामलों में अभियुक्त को राज्य सरकार के व्यय पर कानूनी सहायता देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 304 में उपबंध किया गया है। इसी प्रकार, निर्धनों को कानूनी सहायता देने में भारत विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषदों को समर्थ बनाने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6(2) (ख) और 7(1) (ख) में भी उपबंध किया गया है।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) सिविल प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक, 1974 द्वारा, जो कि इस समय संयुक्त समिति के समक्ष लम्बित है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–33 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। जिससे कि निर्धनों को कानूनी सहायता दिए जाने सम्बंधी शर्तों को उदार बनाया जा सके। इस विधेयक द्वारा किए जाने वाले अन्य संशोधनों का आशय न्याय-प्रशासन में अधिक तीव्रता लाना और उसे सस्ता बनाना है।

शावैलेस एण्ड कम्पनी निदेशकों के विरुद्ध मुकदमा

558. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी लाबोर्ड ने शा वैलेस एण्ड कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत वरूआ) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) मैसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशकों के विरुद्ध, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 295 और 299 के उल्लंघनों के सम्बन्ध में जो दो कम्पनियों को दिये गये ऋणों में से उत्पन्न हुए थे और जिनमें एक निदेशक इच्छुक था, अभियोग चलाये गये थे, जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार है :

1. धारा 295 (4) के साथ पठित धारा 295(1) (ग) के अन्तर्गत मामला

विद्ववान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कलकत्ता के समक्ष अभियुक्त—

1. श्री ए० डब्ल्यु० बी०हेवार्ड
2. श्री अरुण चक्रवर्ती
3. श्री बी० पी० पोद्दार
4. श्री प्रसाद सेनगुप्त
5. श्री एस० पी० आचार्य

6. श्री सान्तनू चौधरी

7. श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार

8. सरदार अजायब सिंह

2. धारा 295 (4) के साथ पठित धारा 295 (i) (ङ) के अन्तर्गत मामला विद्वान 14वें महानगर मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के समक्ष अभियुक्त

1. श्री ए० डब्ल्यु० बी० हेवार्ड

2. श्री अरुण चक्रवर्ती

3. श्री बी० पी० पोद्दार

4. श्री प्रसाद सेनगुप्ता

5. श्री एस० पी० आचार्य

6. श्री सान्तनू चौधरी

7. श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार

3. धारा 299(4) के अन्तर्गत मामला

विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के समक्ष अभियुक्त

1. श्री बी० पी० पोददार

*****

भारत में कुवैत के प्रतिनिधिमण्डल के साथ वार्ता

559. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1976 में कुवैत के तेल मंत्री के नेतृत्व में एक कुवैती प्रतिनिधिमण्डल ने भारत की यात्रा की थी और पेट्रो-रसायन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से बातें की थीं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ।

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि कुवैत से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिये वर्ष 1976 के प्रारम्भ से और ठेके हेतु विचार विमर्श किये जायें । भारत से कुवैत को बढ़ते हुए निर्यातों के ब्यौरे तैयार करने के सम्बन्ध में दोनों पक्षों ने प्रतिनिधि भेजने पर स्वीकृति दी ।

निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिए कानूनी निगम

560. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिये एक कानूनी निगम की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित निगम का रचना और कृत्य क्या हैं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मोहम्मद) : (क) और (ख). कानूनी सहायता संबंधी न्यायाधीश कृष्ण अय्यर समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक निर्धनों को कानूनी सहायता देने के लिए कानूनी निगम की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में है और सरकार, अन्य सिफारिशों के साथ, इस सिफारिश की भी जांच कर रही है ।

उपभोक्ताओं की ओर से माल डिब्बों की मांग में कमी

561. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री वसन्त साठे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में प्रमुख उपभोक्ताओं द्वारा माल डिब्बों की मांग बहुत कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा मैसर्स वेस्टन एलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध जाँच करना

562. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने मैसर्स वैस्टन इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, के विरुद्ध कोई जांच शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा लगाये गये आरोपों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान जी । एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने मैसर्स वैस्टन इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद के विरुद्ध जांच के दो नोटिस, एक, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10(क)(3)

और दूसरा, धारा 10(क)(4) के अन्तर्गत जारी किये हैं । कम्पनी द्वारा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में ग्रस्त होने, जिनके विषय में जांच के नोटिस दिये गये हैं, निम्न है :—

(1) उन व्यक्तियों पर, जिनको सामान बेचा जाता है या जिनसे सामान लिया जाता है, प्रतिबन्ध ;

(2) बन्धित बिक्रीयन/पूर्ण बल प्रयोग;

(3) व्यापार के सम्बन्ध में या कारणों द्वारा बट्टे की स्वीकृति या अनुमति देना/छूट, लाभ आदि

(4) क्षेत्र या बाजारों का आवंटन

(5) पुनर्बिक्री मूल्य रखरखाव और

(6) वितरकों को बगैर ब्याज के जमाओं के लिए कहना

आयोग द्वारा की जाने वाली जांच अभी तक प्रगति पर है ।

सिकन्दराबाद डिवीजन के श्रमिकों को छंटनी के नोटिस

563. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकन्दराबाद डिवीजन रेलवे प्राधिकारियों ने लगभग एक हजार श्रमिकों को छंटनी के नोटिस दिये हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश श्रमिकों की पांच वर्ष से अधिक सेवावधि है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) निर्माण कार्य के समाप्त हो जाने/उसकी गति धीमी हो जाने के कारण 614 नैमित्तिक मजदूरों की छटनी के नोटिस दिये गये थे ।

(ख) उनमें से केवल 125 मजदूरों ने नैमित्तिक मजदूरों के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी की है ।

(ग) जब कभी कोई नया निर्माण-कार्य शुरू किया जायेगा तब, जहां तक व्यावहारिक होगा, उन्हें काम पर वापस से लिया जायेगा । यह उल्लेखनीय है कि अपनी छंटनी के विरुद्ध उन्होंने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 15 जनवरी 1976 तक का समय दिया है ।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में अप्रयुक्त क्षमता

564. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में अप्रयुक्त क्षमता पड़ी हुई है; और

(ख) इस अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). यह सही नहीं है कि डीज़ल रेल इंजन कारखाने की क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। तथ्य यह है कि 1975–76 में धन की कठिनाई के कारण रेलों के अपने उपयोग के लिये डीजल रेल इंजनों का उत्पादन कम कर दिया गया था। तथापि, डीजल रेल इंजन कारखाने में उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से उसमें विविध प्रकार के उत्पादन करने के जोरदार प्रयास किये गये थे जो इस प्रकार हैं:—

(i) इस्पात कारखानों के लिए डब्ल्यु० डी० एस० 6 किस्म के भारी ड्यूटी वाले डीज़ल शंटर।

(ii) तन्जानिया को निर्यात करने के लिए डीजल रेल इंजन।

(iii) अणु ऊर्जा आयोग के लिए डीजल जनित्र सेटों का उत्पादन।

(iv) 16 और 6 सिलिंडरों वाले सामान्य डोजल इंजनों के बदले 12 सिलेंडरों वाले डीजल इंजनों का उत्पादन 12 सिलेंडर वाले इन इंजनों का उपयोग पुराने डीजल रेल इंजनों को पुनर्पावर किंग के लिए किया जायेगा।

(v) रेलों के अनुरक्षण के लिये फालतु पुर्जों की अधिक सप्लाई करना जिससे आयात कम हो गयी है।

उपर्युक्त कार्रवाइयों से डोजल रेल इंजन कारखाने में उपलब्ध क्षमता का पूरा पूरा उपयोग हो जाने की सम्भावना है।

तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग का पुनर्गठन

565. **श्री बंसत साठे** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव दीर्घकाल से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस मामले में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या 20 सूत्री का क्रम के अनुसार बन्ध में ऊपर से नीचे तक कर्मचारियों को हिस्सा देने की बात सरकार के विचाराधीन है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही है तथा इस विषय पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ?

(घ) इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में निर्माण समिति आपत्ति निवारण समिति कैण्टीन प्रबन्ध समिति कल्याण समिति तथा अन्य इसी प्रकार की समितियों में कर्मकार सम्मिलित हैं। संचालन यूनिटों में सम्मिलित प्रबंध समितियों में कर्मकारों की सांझेदारी की सम्भावना पर विचार हो रहा है ?

तनजानिया में तेल की खोज के लिए भारत तनजानिया करार

566. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तनजानिया में तेल की खोज के लिए भारत तनजानिया करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 को तनजानिया पेटोलियम डेवेलपमेंट कारपोरेशन (टी पी डी सी) के साथ व्यधन संविदा के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अन्तर्गत तनजानिया में मोगों द्वीप में एक अन्वेषी कुप खोदा जाएगा। यह एक अन्वेषण सम्बधी संविदा नहीं है। टी० पी० डी० सी० तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को संविदा के अनुसार काम के लिए भुगतान करेगी।

पश्चिम बंगाल तथा सुन्दर बन क्षेत्र में रेलवे लाइनों के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

567. **श्री शंकर नारायण सिंह देव:** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे बोर्ड ने सुन्दर बन क्षेत्र सहित पश्चिम बंगाल में रेलवे लाइनों के लिए कितने तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किए हैं; और

(ख) किन-किन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है तथा इन सर्वेक्षणों की रिपोर्टों की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नौ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल टी--10116/76]

रेल डिब्बो की दशा

568. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में वर्तमान रेल डिब्बों में से 56 प्रतिशत डिब्बे सही हालत में नहीं हैं; और

(ख) क्या पुराने डिब्बों को बदलने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) रेलों की वित्तीय स्थिति के भीतर हर साल पुराने सवारी डिब्बों के बदलाव और अतिरिक्त स्टाक की खरीद की व्यवस्था की जाती है।

पश्चिम बंगाल में रेलवे लाइनों पर हुआ खर्च

569. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में निर्माण के लिये शुरू की गई रेल लाइनें कौन-कौन सी है ;

(ख) उनके लिये कितनी राशि मंजूर की गई है और अब तक, लाइनवार, कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इन रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) भुतपूर्व हावड़ा-आम्ता लाइट रेलवे द्वारा सेक्टि क्षेत्र में, जिसमें बड़गछिया-चम्पाडांगा शाखा लाइन भी शामिल है, एक बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण को 10.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर हाल ही में स्वीकृति दी गयी है।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपये की रकम मंजूर की गयी है, जिसके खर्च किये जाने की सम्भावना है। यदि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होती रही, तो इस परियोजना के अप्रैल, 1979 तक तैयार हो जाने की आशा है।

सम्बलपुर (उड़ीसा) में उच्च न्यायालय की बैंच

570. **श्री पी० गंगादेव:** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में सम्बलपुर में उच्च न्यायालय की बैंच की आवश्यकता है; और

(ख) उस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकार को इस बारे में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में तेल की खोज

571. **श्री पी० गंगादेव :** क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल भण्डारों का पता लगाने के लिए भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि की पूरी तरह खोज की गई है;

(ख) उपरोक्त क्षेत्र में तेल निकालने हेतु कितने ब्लाकों का पता लगा है; और

(ग) कितने ब्लाकों में कार्य आरम्भ हो गया है और कितने ब्लाकों में कार्य शु होने वाला है और कितने ब्लाकों को भविष्य के लिए रिजर्व रखा गया है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट को 10 थालों में विभक्त किया गया है, इनमें से बम्बई हाई में पहले ही तेल पाया गया है और वहां से चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है। बंगाल उड़ीसा और कच्छ अपतटीय थालों में अन्वेषी खनन कार्य जारी है। कावेरी अपतटीय थाले में भूभौतिकीय सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

Scheme for Extension and Improvement of Patna Junction

573. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have finalised the plans and estimates for extension and improvement of Patna Junction Station on Eastern Railway; and

(b) the time by which the construction work is proposed to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes,

(b) The work is anticipated to be completed within three years.

Railway workers punished for participation in last Railway strike in Dhanbad Division

574. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway workers punished for taking part in 1974 strike in Dhanbad Division of Eastern Railway;

(b) the number of workers reinstated in that Division;

(c) whether there are no cases of violence, intimidation or sabotage pending in Courts against the employees of Dhanbad Division who are still undergoing punishment; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in respect of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) 74 employees of Dhanbad Division were dismissed/removed from service for serious offences committed by them during the strike of May 1974.

(b) 46 employees were put back to duty.

(c) and (d) : There are no court cases on charges of sabotage or violence against the employees who are still out of service on the Dhanbad Division, but the staff in question had indulged in acts of serious intimidation and threats of violence to loyal workers and their cases are being reviewed on the merits of each case.

रेल भूमि तथा रेल जलाशयों का आवंटन

575. **सरदार स्वर्ण सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल पटरियों के साथ-साथ देश पर्यन्त कुल रिक्त पड़ी भूमि खेती करने के लिये रेल कर्मचारियों को पट्टे पर दे ी गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार सभी रेल जलाशयों को मत्स्यपालन उद्देश्य से शिक्षित बेरोजगार लोगों की सहकारी समितियों को पट्टे पर देने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी नहीं। खेती योग्य रेलवे भूमि लाइसेंस पर रेल कर्मचारियों और बाहर वालों, दोनों को दी जाती है।

कुल खेती योग्य भूमि का करीब 27 प्रतिशत रेल कर्मचारियों को लाइसेंस पर दिया गया है।

(ख) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार जब कभी मत्स्यपालन के लिए उपयुक्त खतें पानी के हौज लाइसेंस पर दिये जाते हैं तो इसमें रेल कर्मचारियों द्वारा स्थापित सहकारी समितियों को तरजीह दी जाती है। यदि उक्त सहकारी समितियां इस कार्य के लिए अग्रसर नहीं होतीं तो मछुओं की सहकारी समितियों से इस हेतु सीमित निविदाए आमन्त्रित की जाती हैं और सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को रेलवे हौजों/खतों में मछली पकड़ने का अधिकार एक वर्ष अथवा ३ वर्ष जैसा भी रेलवे को सुविधाजनक हो, के लिए किराये पर दे दिया जाता है।

उड़ीसा में पारादीप उर्वरक संयंत्र

576. **श्री अर्जुन सेठी**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पारादीप स्थान पर उर्वरक संयंत्र को शीघ्र चालू करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) अब तक इस में क्या प्रगति हुई है और उसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है?

रसायन और उर्वरक बंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख) तथापि सरकार ने इस परियोजना को सिद्धान्तिक रूप से मान लिया था किन्तु साधनों की कठिनाई के कारण उस के कार्यान्वयन कार्य को अब तक शुरू नहीं किया गया है।

पश्चिम तट रेलवे (कोंकण रेलवे) के दासगाँव-गोआ सेक्शन के लिये सर्वेक्षण

577. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम तट रेलवे (कोंकण रेलवे) के दासगांव-गोआ सेक्शन पर कौन से सर्वेक्षण पूरे हो चूके हैं और यह कार्य कब पूरा हुआ; और

(ख) कौन से सर्वेक्षण चल रहे हैं और उन के कब तक पूरे होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दासगांव और रत्नगिरि के बीच अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और रत्नगिरि तथा मंगलूर के बीच मौके की जांच के काम हो रहे हैं और इन के 31-3-76 तक पूरे हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हो जाने और उनकी जांच कर लिये जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अर्जित लाभ

578. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने उत्पादन में कमी होने के बावजूद, वर्ष 1974–75 के दौरान काफी मात्रा में लाभ अर्जित किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974–75 के दौरान कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). वर्ष 1974–75 के लिये 128.26 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ ।

लम्बित मामलों को वकीलों द्वारा माध्यस्थम् के लिये भेजने का प्रस्ताव

579. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लम्बित मामलों को वकीलों द्वारा माध्यस्थम् के लिये भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस से क्या लाभ होंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सईद मोहम्मद) : (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव एक पक्षीय रूप से नहीं किया जा सकता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1975 के लिये माल भाड़ा परिवहन से आय

580. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे वित्तीय वर्ष 1975 के लिए निर्धारित माल भाड़े से राजस्व प्राप्ति के लिए 21 करोड़ टन का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूर्णतया तैयार है; और

(ख) क्या पहले छः महीनों के दौरान यात्रियों और माल यातायात से आय में बजट में दिखाये गये लक्ष्यों से सुधार हुआ है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलों को आशा है कि वे राजस्व उपार्जक और अनुपार्जक यातायात सहित माल यातायात के 2,100 लाख टन के बजट लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगी ।

(ख) जी हां ।

कुछ भत्तों की पुनरीक्षित दर

581. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री कुछ भत्तों की पुनरीक्षित दरों की जानकारी संबंधी सूचना के बारे में 18 फ़रवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रात्रि कार्य भत्ता, राष्ट्रीय छुट्टी दिवस भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यवाहक भत्ता, खुराक भत्ता और अन्य भत्तों आदि की पुनरीक्षित दरों संबंधी सूचना अभी जारी नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं और पुनरीक्षित दरों के परिचालन में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह). (क) और (ख) रात्री ड्यूटी भत्ते और खुराक भत्ते की संशोधित दरें अधिसूचित की जा चुकी हैं। यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है और आशा है कि शीघ्र ही वे अधिसूचित कर दी जायेंगी।

अन्य भत्तों की संशोधित दरों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा।

कोयले की ढुलाई के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को माल डिब्बों का आवंटन

582. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की प्रत्येक वर्ष 11,000 वैगन स्टीम कोयले की आवश्यकता होती है जब कि रेल प्रशासन ने केवल 6000 माल डिब्बे ही आवंटित किये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह):(क) 1975 में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित माल डिब्बों की संख्या केवल 6875 प्रति माह थी। कुल उपलब्धि तथा उत्पादक एजेन्सियों द्वारा भाप कोयला प्रस्तुत करने के अनुसार अप्रैल से अक्तूबर तक के महीनों में प्रायोजित मांगों का लगभग 65 प्रतिशत और नवम्बर तथा दिसम्बर, 1975 में शत प्रतिशत आवंटन किया गया था। जब भाप कोयला की पूरी सप्लाई दी गयी तो उत्तर प्रदेश के उद्योगों ने अपने कार्यक्रम में नवम्बर में 3628 तथा दिसम्बर, 75 में 2646 माल डिब्बे रद्द कर दिये। इस से यह प्रकट होता है कि उन की पहली मांगे बढा चढा कर बतायी गयी थीं।

(ख) भाप कोयला के लदान के लिये माल डिब्बे सप्लाई करने में रेलों को कोई कठिनाई नहीं थी। उत्पादक एजेन्सियां जितना कोयला दे सकी थीं, उतना पूरी तरह ढोया गया।

Complaints made by Palwal-Delhi Passengers and General Welfare Association, Palwal

583. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Palwal-Delhi passengers and General Welfare Association Palwal made certain complaints about railway during the period from May, 1975 to August 1975; and

(b) whether they have been removed and if, so, the manner thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) The suggestions have been implemented in so far as they have been found operationally feasible as indicated in the list enclosed.

[Placed in the Library, See No. L.T.—10117/76]

Coal stolen in Railways

584, **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the quantity (in tons) and value of coal stolen in Railways during 1973 and 1974;

(b) whether incidence of coal theft has decreased after the proclamation of emergency; and

(c) if so, the total quantity (in tons) and value of coal stolen after the proclamation of emergency ?

The Deputy Ministr in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to ((c) : Information is being collected and the same will be laid on the table of the Sabha.

पूर्वी भारत में तट दूर तथा तट पर तेल की खोज

585. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत में तट दूर तथा तट पर तेल की खोज का कार्य सफ़ल तथा आशाजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल में तट दूर तथा तट पर किये गये छिद्रण के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) : पूर्वी भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में आसाम के अनेक स्थानों पर हाईड्रोकार्बन पाया गया है । 1974–75 के दौरान वहां से 3.81 मिलियन मी० टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया था और चालू वर्ष में 4.2 मिलियन मी० टन कच्चे तेल के उत्पादन का अनुमान है। असम के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में अन्वेशी व्यधन कार्य जारी है। इस क्षेत्र के अपतटीय इलाके में बंगाल की खाड़ी में एक कुंआं खोदा जा रहा है। त्रिपुरा में प्रथम अन्वेषी कुएं से प्राकृतिक गैस पाई गई है,। अन्य तटवर्ती तथा अपतटीय क्षेत्रों में कुओं के पूरा होने और उन की जांच हो जाने के पश्चात् ही अन्वेषण परिणामों का पता लगेगा ।

विरार-साबरमती विद्युतीकरण परियोजना

586. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विरार साबरमती विद्युतीकरण परियोजना पूरी कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आई है; और

(ग) क्या उक्त विद्युतीकरण से अहमदाबाद तथा बम्बई के बीच चलने वाली तेज/एक्सप्रेस गाड़ियों के चालन समय में कमी आयेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 35.33 करोड़ रुपये ।

(ग) जी हां ।

निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की योजना

587. **श्री पी० जी०मावलंकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० वी० ए० सईद मोहम्मद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तटीय प्रदेशों में नए तेल स्रोतों का पता लगना

588 **श्री पी0 जी0 मावलंकर** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में देश के तटीय प्रदेशों में नये तेल स्रोतों का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

योजना आयोग द्वारा नई रेल लाइनों के लिये आवंटन की काट छांट

589. **श्री ज्योतिर्मयबसु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1975–76 के लिये नई रेल-लाइनों संबंधी उनके मंत्रालय के आवंटन की बहुत अधिक काट-छांट की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) और (ख). साधनों की भारी कमी के कारण योजना आयोग नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए 1975–76 में कुल 19.00 करोड़ रुपये का विनिधान कर सका था ।

औषधियों 'एण्टीबायोटिक्स' और शल्य चिकित्सा के उपकरणों में आत्मनिर्भरता

590. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि तथा एण्टीबायोटिक्स और शल्य चिकित्सा के उपकरणों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की नवीनतम स्थिति क्या है तथा उनको निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि अस्पताल, रक्षा सेवायें तथा अन्य सरकारी संस्थायें, गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादित अथवा आयातित वस्तुओं आदि की तुलना में सरकारी क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें ?

उर्वरक और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) भारत में औषध तथा भेषज उद्योग के विकास और औषध के निर्यात में वृद्धि निम्नलिखित विवरण में देखें :--

वर्ष	उत्पादन (रुपये करोड़ों में)	वर्ष	निर्यात (रुपये करोड़ों में)
1963 . . .	120	1963–64	2.0
1973 .	370	1973–74	37.54
1974 . . .	400	1974–75	43.17

प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के उत्पादन में वृद्धि के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं और वर्ष 1975 के दौरान दोनों प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के निर्माण के लिए फर्मों को 80 लाइसेंस/आशयपत्र जारी किये गये हैं। शल्य चिकित्सा उपकरण संयंत्र सहित गैर सरकारी क्षेत्र औषध संयंत्रों में उत्पादन भी बढ़ रहा है और 1975–76 के प्रथम आठ महीनों के दौरान 42 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है। सरकार ने 21.79 करोड़ रुपये की लागत पर सिन्थेटिक औषध संयंत्र के विकास की भी मंजूरी दी है जिससे 1988 मी० टन से 3386 मी० टन तक की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। भारतीय औषध एवं भेषज लि० का 8.58 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय पर बिहार में निकोटिनामाइड संयंत्र, 8.10 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय पर गुड़गांव में सूत्रयोग संयंत्र स्थापित करने, और 15.69 की लागत पर एण्टीबायोटिक्स संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० का भी क्रमशः 2.92 करोड़ रुपये और 2.91 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय से अपने पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1974 और 1975 के दौरान आई०डी०पी०एल० के शल्य चिकित्सा उपकरण संयंत्रों में विभिन्न शल्य चिकित्सा उपकरण का क्रमशः 38 लाख रुपये और 40 लाख रुपये का उत्पादन था। इसके अलावा संगठित क्षेत्र में कुछ संयंत्र शल्य चिकित्सा ब्लेडस और सीवन वाली सुइयों के निर्माण में लगे हुए हैं। संगठित क्षेत्र में ब्लेड्स और सुइयों का वर्तमान उत्पादन स्तर क्रमशः लगभग 15 लाख और 30 लाख है।

जबकि 1974-75 के दौरान शल्य चिकित्सा फोरसेप्स क्लिप्स शल्य चिकित्सा सुइयां चाकू और अन्य चिकित्सा दालों की शल्य चिकित्सा के उपकरण और उपस्कर का निर्यात 55.4 लाख रुपये का था और 20.33 1/3 प्रतिशत के बीच निर्यात दायित्वों के अन्तर के साथ शल्य चिकित्सा सुइयों और ब्लेडो के निर्माण के लिए तीन नई योजनाएं मंजूर की गई हैं।

औषध एवं भेषज उद्योग प्राथमिकता उद्योग की सूची मे शामिल हैं जिन पर उनके उत्पादन का 5 प्रतिशत का निर्यात करने का दायित्व है। इसके अलावा, जब कभी कुछ फर्मों को विस्तार की अनुमति दी जाती है तो निर्यात दायित्व भी लगाये गये हैं। फर्मों को उनके निर्यात के आधार पर नकद पुरस्कार और आर०ई०पी० लाइसेंसों के रूप में निर्यात सहायताएं दी जाती हैं।

(ख) खरीदारी करने वाले विभिन्न सरकारी एजेंसियों/संस्थानों को सरकारी क्षेत्र उपक्रमों से औषधों को 10 प्रतिशत मूल्य वरीयता देने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में लम्बित सिविल मामले

591. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1975 को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लम्बित सिविल मामलों की संख्या क्या है;

(ख) गत छः महीनों में, 31 दिसम्बर, 1975 तक, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय ने कितने मामलों पर निर्णय दे दिया है; और

(ग) लम्बित मामलों पर शीघ्र निर्णय देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

खम्भात की खाड़ी में तेल-कूपों का पता लगाना

592. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात की खाड़ी में हाल ही में दो नये तेल-कूपों का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन तेल-कूपों से कुल कितना तेल प्राप्त होने की आशा है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में ट्यूब रेलवे का निर्माण कार्य बन्द होना

593. **श्री रानेन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में भूमिगत रेलवे का निर्माण कार्य कुछ समय के लिये बन्द हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके निर्माण-कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वास्तविक निर्माण-कार्य, जो 1973 के उत्तरार्द्ध में शुरू हुआ था, चल रहा है। 1975-76 के दौरान मैदान क्षेत्र में एक और खण्डीय ठेका दिया गया था। दो और खण्डीय ठेके देने के बारे में विचार किया जा रहा है। दिसम्बर, 1975 तक कुल मिलाकर लगभग 8 प्रतिशत काम हो चुका है।

तेल के आयात के लिये संयुक्त अरब अमीरात के साथ करार

594. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने तेल प्राप्त करने के लिये संयुक्त अरब अमीरात का दिसम्बर, 1975 में दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त अरब अमीरात से तेल की सप्लाई के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) संयुक्त अरब अमीरात तेल मंत्री के निमंत्रण पर पैट्रोलियम मंत्री ने 23 से 28 दिसम्बर, 1975 के बीच आपसी हितों के मामले पर चर्चा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था।

(ख) और (ग). मंत्री के दौरे के फलस्वरूप इण्डियन आयल कारपोरेशन और आबू धाबी नेशनल आयल कम्पनी के बीच 1976 कैलेण्डर वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात से 1 मिलियन मी० टन कच्चे तेल की सप्लाई करने के लिए दिनांक 27 दिसम्बर, 1975 को एक संविदा पर हस्ताक्षर हुए।

कच्छ की खाड़ी में गैस क्षेत्र का पाया जाना

595. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ की खाड़ी में ओखापत्तन के निकट एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है; और

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों को इस स्थान पर तेल पाये जाने की भी आशा है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) क्षेत्र में समुद्री भूभौतिकीय सर्वेक्षणों द्वारा संरचनाओं की सम्भावना का संकेत मिला है। अतः अन्वेषी खुदाई आरम्भ कर दी गई है। कूप के सम्पन्न होने तथा परीक्षण किये जाने के पश्चात् परिणामों का पता चलेगा।

कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष शिकायतें दायर करने के बारे में परिवर्तन

596. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष शिकायतों को दायर करने के बारे में कुछ परिवर्तन किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ): (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान् जी। शायद माननीय सदस्य का निर्देश कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 17, 18, 19, 79, 141 व 186 के अन्तर्गत शक्तियों की ओर है, जिन का प्रयोग, पहले न्यायालयों द्वारा किया जाता था, परन्तु अब कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974, जो 1 फ़रवरी, 1975 से लागू हो गया है, से कम्पनी विधि बोर्ड को सौंपी गई है। केन्द्रीय सरकार ने इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अब प्रक्रिया विहित कर ली है और इस उद्देश्य के लिये, इस ने कम्पनी विधि बोर्ड, (बेंच) नियम, 1975 अधिसूचित कर दिये हैं, जिन की एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत की जा रही है।

भारत की मुख्य भूमि और लक्षद्वीप तथा अन्य द्वीपों के बीच परिवहन सुविधायें

597. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लक्षद्वीप और भारत की मख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन सुविधायें काफ़ी कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है जिस में यह सुझाव दिया गया हो कि लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच और द्वीपों में मौजूदा नौवहन सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन संगठन के ढांचे में परिवर्तन

598. **श्री बसन्त साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन संगठन के ढांचे में काफ़ी परिवर्तन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी निर्धन व्यक्तियों में जन्म नियंत्रण के लिये निश्चित प्रोत्साहनों और प्रभावी निरोध सम्बन्धी एकमुश्त उपाय तैयार किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के ढांचे में काफ़ी परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। हां, अच्छे परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से इसके प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने के लिए कदम उठाये जा रहेहैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

Election to 'U. N.' Security Council

599. **Shri Janeshwar Mishra**:—Will the Minister of External Affairs be Pleased to state:

(a) whether Government have report of the situation which led to the withdrawal of name by India recently from the membership of the Security Council of the U.N.O. in favour of Pakistan; and

(b) the countries which opposed in the said election ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) The election for filling the Asian seat in the Security Council during the 30th Session of the U.N. General Assembly appeared to be resulting in a continued deadlock between India and Pakistan with neither side in a position to obtain the requisite two-thirds majority. In these circumstances, attempts were made by some friendly countries to explore several possibilities but they did not yield any mutually acceptable solution. Continued balloting might have resulted in a stalemate and consequent failure to fill this seat. In order to avoid such a situation, and in the interests of Afro-Asian solidarity, India decided to withdraw its candidature after the seventh ballot.

(b) Since the election was by secret ballot it is not possible to name the countries which opposed India's election. The voting in the successive ballots had, however, shown that India had substantial and consistent support.

Pay Rise to Women

600. **Shri Hukam Chand Kachwai**—Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether in establishments of Central Government there is a proposal for a pay rise for women; and

(b) whether orders are also being issued to State Governments to follow this policy ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy): (*a*) and (*b*). The Equal Remuneration Ordinance 1975, which provides for the payment of equal remuneration to men and women workers for the same work or work of a similar nature, was made applicable to employments under the Central and State Governments on the 12th January, 1976 and the concerned Governments requested to implement the Ordinance in these employments.

Demand for Installation of P. C. Os. and Telephone Exchanges in Ujjain And Indore Divisions of M. P.

601. **Dr. Laxminarayan Pandeya.** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:—

(a) the number of places in Indore and Ujjain Divisions in Madhya Pradesh which have demanded installation of PCOs and telephone exchanges; and

(b) the action taken or proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) The number of places in Indore Division in Madhya Pradesh for PCOs is 47 and for telephone exchanges 14, Ujain Revenue Division has not been formed yet and Ujjain District forms a part of Indore Division. The above figures include the demands of Ujjain District also.

(b) P.C. Os. 11 have been opened and 26 more have been sanctioned, 15 of these are proposed to be opened during 1976-77. 10 cases are under examination.

Telephone Exchanges: 1 has been opened, 8 proposals have been sanctioned, and 5 cases are under examination.

भारत की आपात स्थिति का विदेशों में चित्रण

602. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारत की आपात-स्थिति का चित्रण गलत ढंग से किया था;

(ख) क्या उन का प्रचार वस्तुस्थिति पर आधारित नहीं था और द्वेषपूर्ण था ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) उक्त प्रचार का प्रतिरोध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) से (ग). अनेक पश्चिमी देशों के प्रचार माध्यमों ने ऐसा किया है ।

(घ) इस प्रचार का तेजी से प्रतिकार करने तथा विदेशों में भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिये भारत सरकार और विदेश स्थित हमारे मिशनों ने समुचित एवं प्रभावी कदम उठाये हैं। ये कार्य मुख्यालय से भेजी गई सामग्री के आधार पर साक्षात्कारों, वार्ताओं, प्रकाशन के लिए पत्रों और लेखों और समुचित व्यक्तियों को ब्रीफ़िंग करने के माध्यम से किये जाते हैं ।

भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग

603. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मोर्चे पर बेहतर सम्बन्धों के लिये भारत अमरीकी प्रयास का, जैसा वाशिंगटन में भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग में प्रतिबिम्बित हुआ था, कोई परिणाम निकला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को निकट भविष्य में भारत-अमरीकी व्यापार में पर्याप्त सहयोगाकारी वृद्धि होने की आशा है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख). भारत अमरीकी संयुक्त आयोग के अधीन एक आर्थिक एवं वाणिज्यिक उप आयोग का गठन हुआ है जिसने जनवरी, 1975 में वाशिंगटन की अपनी बैठक में आर्थिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में सहयोग के क्षेत्र निश्चित किए हैं।

संयुक्त आयोग ने, जिस की 6, 7 अक्तूबर, 1975 को वाशिंगटन में बैठक हुई, उप आयोग की पहले की बैठक में निश्चित किए गए सहयोग के क्षेत्रों पर विचार किया और उन का अनुमोदन किया जिन में और बातों के साथ, सहयोग के ये क्षेत्र भी शामिल हैं---दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये व्यापक कार्यक्रम, व्यापार मिशनों, व्यापार प्रदर्शनियों, निर्देशों तथा कैटलाग प्रदर्शनियों द्वारा एक दूसरे के देश में व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना, तथा दोनों देशों के मूर्धन्य व्यापारियों को परस्पर एक साथ लाने के लिए संयुक्त व्यापार परिषद् की स्थापना ।

इस संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठक नई दिल्ली में 1976 के शुरू में होने वाली है। यह परिषद्, अनिवार्य रूप से संयुक्त आयोग की छत्रछाया ही में एक मंच होगा। अमरीका भारत के व्यापारिक क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इस परिषद् के सदस्य होंगे जिस में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी सम्मिलित हैं। आशा की जाती है कि उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच निरन्तर व्यापार की वृद्धि होगी ।

चिकित्सा प्रतिनिधियों/एजेन्टों की सेवा शर्तों का विनियमन

604. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न प्रकार की औषधि निर्माता फ़र्मों के चिकित्सा प्रतिनिधियों अथवा एजेन्टों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार ने कोई उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : इस सम्बन्ध में उचित कानून निर्माण अर्थात्, विक्रम वर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक संसद् के विचाराधीन है ।

लाइसेंस प्राप्त औषध फर्में

605. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 में देश में 3200 लाइसेंस प्राप्त औषध निर्माता थे जिन में से लगभग 800 केवल कागज पर ही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी फ़र्मों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इन 800 फ़र्मों द्वारा बेची जाने वाली औषधियां निर्धारित मानक की हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) राज्य औषधि नियंत्रकों से प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि यह बात सही नहीं है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

कोचीन और उद्योगमण्डल के बीच जल परिवहन

606. **श्री सी० जनार्दनन**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और उद्योगमण्डल के बीच स्थलीय जल परिवहन मार्ग संबंधी परियोजना के प्रतिवेदन पर, जिसे भारत सरकार को भेजा गया था, मंजूरी और अनुदान के रूप में सहायता अभी तक नहीं दी गई है ; और

(ख) इसे कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) कोचीन उद्योगमण्डल नहर के सुधार की परियोजना को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है । मौजूदा नमूने के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता अर्थात् 100 प्रतिशत ऋण के प्रश्न पर परियोजना की स्वीकृति के बाद विचार किया जायेगा ।

(ख) नीति निर्णय के रूप में चौथी योजना की बाकी बची योजनाओं की पांचवीं योजना में सम्मिलित की गई योजनाओं की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा रही है । यह योजना पांचवीं योजना की

नई योजना है। इसलिए, साधन स्थिति के सुधार के बाद ही इस की स्वीकृति दी जायेगी। पिछली बाकी बची योजनाओं की आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद इसे शुरू किया जायेगा।

फजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय के निकट टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

607. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़ैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय के निकटवर्ती किसी स्थान पर टेलीफ़ोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). फ़ैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय के निकट टेलीफ़ोन एक्सचेंज खोलने के लिये फ़िलहाल न तो पर्याप्त मांग प्राप्त हुई है और न ही इस का कोई प्रस्ताव है।

सुकिन्दा, उड़ीसा में निकल संयंत्र

608. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 6 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2511 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में सुकिन्दा स्थान पर निकल संयंत्र लगाने के बारे में प्रमुख संयंत्र परीक्षण प्रतिवेदन सलाहकारों द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है; और

(ख) इस संयंत्र के अन्तिम रूप से कब चालू होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं। पाइलट प्लांट चलाने में आने वाली विभिन्न यांत्रिक तथा अन्य समस्याओं के कारण सुकिन्दा निकल अयस्क पर पाइलट प्लांट परीक्षण अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। पाइलट प्लांट परीक्षणों के पूरा होने पर ही सलाहकारों से परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगी। आशा है यह जुलाई, 1976 तक उपलब्ध हो जाएगी।

(ख) सलाहकार मैसर्स केमिकल एण्ड मेटलर्जिकल डिजाइन कम्पनी से पाइलट प्लांट परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और उस की जांच किए जाने के बाद ही सुकिन्दा निकिल संयंत्र के निर्माण और चालू करने के कार्यक्रम के बारे में फ़ैसला किया जाएगा।

छोटे इस्पात संयंत्रों के बारे में सरकारी नीति

609. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे इस्पात संयंत्रो के बारे में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ख) क्या छोटे इस्पात संयंत्रों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) छोटे इस्पात कारखानों को आई विभिन्न कठिनाइयों, जिन में वित्तीय कठिनाइयां भी शामिल हैं, के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन समस्याओं का अध्ययन करने का काम दो परामर्शी इंजीनियरों को सौंपने का फ़ैसला किया गया है जो उपचारात्मक उपायों के बारे में भी सुझाव देंगे ।

लखनऊ स्थित केन्द्रीय खाद्य तथा औषध प्रयोगशाला को अधिक सक्षम बनाने के लिये सहायता

610. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ स्थित केन्द्रीय खाद्य तथा औषध प्रयोगशाला को अधिक सक्षम बनाने के लिये सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और वाराणसी स्थित राज्य सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता मांगी थी । "खाद्य एवं औषधि की मिली-जुली प्रयोगशालाओं की स्थापना" वाली केन्द्र पोषित योजना के अधीन राज्य सरकार वाराणसी में खाद्य और औषधि की मिली-जुली प्रयोगशाला के निर्माण-कार्य के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता पाने की हकदार होगी जिसकी अधिकतम सीमा 18.68 लाख रुपये होगी तथा उपकरणों के लिए लगभग 3.65 लाख रुपये होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए सहायता पाने की पात्र होगी ।

भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

611. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख). भूमिहीन श्रमिकों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1961 और 1971 वर्षों की भारत की जनगणना के अनुसार, कृषि श्रमिकों की संख्या क्रमशः 315.2 लाख और 474.9 लाख थी, इस प्रकार 159.7 की वृद्धि हुई, जबकि उसी अवधि में खेतिहरों की संख्या 995.3 लाख से कम होकर 782 लाख हो गई, अर्थात्; 213.3 लाख कम हो गई । जनसंख्या में वृद्धि ने और जमीन पर निर्भर लोगों की संख्या में वर्द्धमान वृद्धि से यह स्थिति पैदा हुई ।

बंगलादेश के प्रवासियों का भारत में प्रवेश

612. **श्री समर गुहः** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में हाल ही की गतिविधियों के कारण भारी संख्या में अल्पसंख्यक भारत में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन प्रवासियों के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाया है जिन्होंने भारतीय सीमा पार करने का प्रयत्न किया है या करना चाहते हैं अथवा पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विधि पाल दास) :(क) और (ख). बंगला देश की हाल की घटनाओं के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों का भारत में प्रव्रजन नहीं देखा गया ।

(ग) भारत सरकार ने एक से अधिक बार यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर यह पाया गया कि किसी व्यक्ति ने 25 मार्च, 1971 के पश्चात् बिना वैध दस्तावेज या समुचित अनुज्ञप्ति के भारत में प्रवेश किया है तो उसे उद्वासित किया जा सकता है ।

Non-Deposit of Provident fund by Mica Traders

613, **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the **Minister of Labour.** be pleased to state :

(a) the number of mica traders in the country who have not deposited the complete amount of the provident fund ;

(b) the amount of deposit due from them; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) (a) *to* (c) :—A list as furnished by the Provident Fund Authorities showing the mica traders who have not deposited their provident fund as on 31-10-1975 and were in arrears of Rs, 15,000/- and above is attached,

[*Placed in the Library See* No. L. T—10118/76],

इस्पात के प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये तकनीशियन

614. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग को 260 लाख टन इस्पात का प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये लगभग 10 लाख तकनीशियनों की आवश्यकता होगी; और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क). अतिरिक्त इस्पात क्षमता की स्थापना के लिए जनशक्ति की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या नये कारखानों का निर्माण उन स्थलों पर किया जायेगा जहां कोई कारखाने नहीं हैं अथवा वर्तमान इस्पात कारखानों का विस्तार किया जायेगा । जनशक्ति की आवश्यकता अन्य बातों जैसे प्रत्येक चरण में जोड़ी गई क्षमता, प्राडक्ट मिक्स, अवस्थापना सुविधाएं आदि पर भी निर्भर करेगी ।

(ख) वर्तमान सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के अपने सुस्थापित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हैं जो निकट भविष्य में तकनीशियनों की आवश्यकता की मोटे तौर पर पूर्ति कर सकेंगे ।

पंजाब में कम्पनियों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

615. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की उन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपनी कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि जमा नहीं कराई है और वह उनकी ओर देय है ;

(ख) उन पर कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(ग) उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) और (ख). 7.87 लाख रुपये की राशि 16 स्थापनाओं से देय है । इन्होंने 31–10–75 को 15,000/– रुपये और अधिक के भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशि का भुगतान करना है ।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

बेगार प्रथा से मुक्त किये गये श्रमिकों को रोजगार

616. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिये कानून बनाने के अतिरिक्त अन्य क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ख) बेगार प्रथा से मुक्त हुए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क). बन्धकग्रस्त प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश, 1975 का समाचार पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है और मुद्रित पैम्फलेटों को भी बांटा जा रहा है ।

(ख) राज्य सरकारों से कृषि-श्रमिकों और अनुसूचित जन-जाति एवं जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चालू विभिन्न योजनाओं के लिए पहले से आवंटित राशि में से कुछ प्रतिशत राशि रखने हेतु अनुरोध किया गया है ।

Improvement of Inland Water Transport Service

617, **Shri M. C. Daga.** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state whether Government have formulated a scheme in regard to Inland Water Transport with a view to providing more transport facilities in the country in coordination with other means of transport ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport

(Shri H. M. Trivedi): No compehensive study of the inland water transport requirements of the country as a whole has been made, but the Bhagavati Committee on I.W.T. had examined the needs for the country as a whole in a general way. Out of 32 schemes recommended by the Committee for inclusion in the Fourth Plan, 21 schemes were sanctioned during the Fourth Plan period and seven schemes have been included in the Draftt Fifth Plan. In addition 13 schemes other than those recommended by that Committee were sanctioned during that Plan period. As against 14 schemes recommended by the Committee for the Fifth Plan, 13 schemes have been included tentatively in the Draft of that Plan. In addition, 17 schemes other than those recommended by the Bhagavati Committee have been included tentatively in the Draft Fifth Plan.

डाक व तार विभाग के दूर संचार कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम

618. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक तथा तार विभाग के दूर संचार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) (क) और (ख): डाक तार विभाग के दूर संचार कर्मचारियों के लिये सरकार पहले से ही पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है ।

पांचवी पंयर्षीय योजना के दौरान सारे भारत में फैले हुए 40 प्रशिक्षण केन्द्रों में लगभग 1.2 लाख दूर संचार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है ।

प्रशिक्षित किये जाने वाले कर्मचारियों में सभी वर्गों के तकनीकी कर्मचारी, जैसे कि राजपत्रित अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, टैक्नीशियन, आपरेटर, टेलीग्राफिस्ट, केबिल ज्वाइंटर आदि शामिल होंगे । विशिष्ट विषयों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए बहुत से पुनश्चर्या पाठयक्रम चलाने का भी प्रस्ताव है ।

हाल ही में स्थापित किये गये प्रशिक्षण केन्द्रों में से एक है नई दिल्ली का उच्च स्तरीय दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र। यह प्रशिक्षण केन्द्र संयुक्त राष्ट्र संघ/अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की सहायता से स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य ऊंचे स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है । यह केन्द्र पड़ौसी देशों के दूर संचार कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करेगा ।

एल्यूमिनियम उद्योग में ईरान द्वारा पूंजी निवेश किया जाना

619. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने भारत के एक प्रमुख उद्योग, जैसे एल्यूमीनियम उद्योग, में पूंजी निदेश करने तथा निर्मित माल खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) क्या इस पूंजी निवेश का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र स्थित रत्नगिरि में सरकारी क्षेत्र के एल्यूमीनियम संयन्त्र में लगाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारत से एल्यूमिनियम की सप्लाई करने की सम्भावनाओं पर ईरान से विचार-विमर्श किया गया है। किन्तु उक्त सप्लाई की योजना को कार्यान्वित करने सम्बन्धी प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन अभियान की उपलब्धियाँ

620. **श्री भाऊ साहिब धामनकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न परिवार नियोजन अभियानों को देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की दर रोकने में कहां तक वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के जरिए जनसंख्या में वृद्धि की वार्षिक दर को, जो 1960–69 में 2.2 प्रतिशत थी, 1975 में घटा कर 2.0 प्रतिशत तक लाने में सफलता मिली है।

विश्व शान्ति के लिये गुट-निरपेक्ष शक्तियों को समेकित करना

621. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को विफल करने तथा विश्व शांति के संदर्भ में गुट निरपेक्षता के प्रति रवैये तथा रुख की गलत व्याख्या करने हेतु कुछ बड़ी शक्तियों द्वारा गुट-निरपेक्षता के विरुद्ध प्रयास किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विश्व शांति के हित में गुट-निरपेक्षता की शक्तियों को समेकित करने के लिये पहल करने का है;

(ग) क्या सरकार को अल्जीरिया में हुए तथा उत्तर कोरिया में होने वाले गुट-निरपेक्षता युवा आन्दोलन के सम्मेलन के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की भूमिका क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख). वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में गुट-निरपेक्षता की नीति की वैधता स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गई है, तो भी कुछ निहित स्वार्थ के देशों ने गुट-निरपेक्ष देशों की नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की है। भारत समेत, अन्य गुट-निरपेक्ष देश उनकी एकता में दरार डालने की किसी कोशिश के विरुद्ध सजग हैं और वे गुट-निरपेक्ष देशों में एकता तथा उनकी नीतियों को प्रभावी बनाये रखने की दृष्टि से बराबर एक-दूसरे के साथ निकट सम्पर्क में हैं।

इस संदर्भ में, भारत समेत अन्य गुट-निरपेक्ष देश, इन देशों के आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं; यह शिखर सम्मेलन कोलम्बो में अगस्त, 1976 में आयोजित होगा।

(ग) और (घ). गुट-निरपेक्ष देशों में युवा और छात्र आंदोलनों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए जो विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं उनसे सरकार अवगत है। लेकिन ये प्रयास गैर-सरकारी स्तर पर किये जा रहे हैं और भारत सरकार इनसे संबद्ध नहीं है।

हल्दिया परियोजना की लागत में वृद्धि

622. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया परियोजना की निर्माण लागत में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवदी) : (क) और (ख). 1965 में तैयार की गई हल्दिया गोदी परियोजना की लागत का मूल अनुमान 40 करोड़ रुपये का था और यह स्वीकृत किया गया। परियोजना की समीक्षा की गई और कुछ और कार्य जो बदली हुई परिस्थितियों के कारण आवश्यक समझे गये शामिल किये गये। पत्तन न्यास ने परियोजना की वर्तमान लागत का अनुमान 126.96 करोड़ रुपये लगाया है जिसमें पूंजीकृत किया जाने वाला ब्याज शामिल नहीं है। लागत में वृद्धि मुख्यत: श्रम और सामग्री की कीमतों में तीव्र वृद्धि और स्वदेशी निर्माताओं द्वारा निर्मित किये जा रहे विभिन्न उपस्करों की संशोधित कीमतों के कारण है।

Uniform Pay Scales for Employees of shops and Establishments

623. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether there is no provision for uniform pay scales and other facilities for employees working in the shops and establishments in various States in the country ; and

(b) if so, whether Government propose to enact uniform legislation for them ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy): (a) and (b). The working conditions of the employees in shops and establishments are governed by Acts passed by the State Governments and the Rules framed thereunder. These Acts and Rules, which are amended from time to time in the light of the practical experience gained in their implementation, regulate, *inter alia*, the daily and weekly hours of work, rest intervals, opening and closing hours of establishments, payment of wages, overtime pay, holidays with pay, annual leave, employment of children and young persons etc.

Central Government have no proposal to enact uniform legislation for employees working in shops and establishments.

औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि

624. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा के बाद औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कानपुर, कलकत्ता, हावड़ा, दार्जिलिंग, झरिया, एलेप्पो, अमृतसर और दिल्ली जैसे कुछ औद्योगिक केन्द्रों में मूल्य सूचकांकों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) अखिल भारतीय सूचकांक 50 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केन्द्रों के मासिक सूचकांकों का औसत सूचकांक है। जबकि इनमें से अधिकांश केन्द्रों (कानपुर, दार्जिलिंग, अलेप्पी और दिल्ली सहित) के संबंध में सूचकांक जून, 1975 से गिरे हैं, सात केन्द्रों (हैदराबाद, झरिया, श्रीनगर, अमृतसर, आसनसोल, कलकत्ता और हावड़ा) के संबंध में उनमें वृद्धि हुई है जिसका कारण इन स्थानों पर कतिपय ऐसी मदों के मूल्यों में वृद्धि है जिन्हें औद्योगिक श्रमिकों के लिए सूचकांक संकलित करते समय ध्यान में रखा जाता है।

स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर द्वारा मजूरी का भुगतान न किया जाना

625. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अक्तूबर और नवम्बर, 1975 के दौरान कानपुर स्थित स्वदेशी काटन मिल्स के प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को उनकी अर्जित मजूरी का भुगतान न किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने श्रमिकों को इस मजूरी का भुगतान कराने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) इस बारे में प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). यह मामला आवश्यक रूप से राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। तथापि, श्रम मंत्रालय का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया है जो 10 जनवरी, 1976 को राष्ट्रीय शिखर निकाय की उस बैठक में भी उठा था जिसमें राज्य सरकार के तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रीय शिखर निकाय इस मामले से अवगत है।

Arrangements for Treatment of Diseases like Heart Ailments, Cancer, Blood Urea at District Level Hospitals

626. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether arrangements for treatment of diseases like heart ailments, cancer, and blood urea, are not available at present in the district level hospitals throughout the country ;

(b) whether this results in deaths of thousands of such patients; and

(c) if so, whether Government propose to introduce some suitable preventive and curative system of treatment for above diseases ?

The Deputy Minister for Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) No. Some heart ailments are being treated at the level of District Hospitals in the country. Facilities also exist for early diagnosis of cases of cancer in many of the district level hospitals.

(b) Even such of the district level hospitals as do not have facilities for treatment of such cases, refer their cases to Institutions in States where such facilities exist. It cannot therefore

be said that patients suffering from these diseases and attending district level hospitals invariably die.

(c) The Central Health Education Bureau and the State Directorates are educating the public on preventive aspects, periodical check-up earlier diagnosis and treatment. Expert services are available in many of the hospitals in India including teaching hospitals.

व्यापारिक पोत अधिनियम का संशोधन

627. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने व्यापारिक पोत अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अभी तक कर्मी-तालिका नियमों को नहीं बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख). व्यापार पोत अधिनियम 1958 की धारा 76 के अन्तर्गत अधिकारियों के लिये न्यूनतम कर्मी तालिका निर्धारित की गई है।

परन्तु सरकार ने यह आवश्यक नहीं समझा है कि अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत यथा उपबन्धित नाविकों के लिये न्यूनतम कर्मी तालिका निर्धारित की जाय। अन्तर्राष्ट्रीय कर्मी तालिका की तुलना में जहाजों में नाविकों के लिये भारतीय कर्मी तालिका और सुरक्षा के प्रयोजन के लिये न्यूनतम आवश्यक कर्मी तालिका से कहीं अधिक है।

कर्मचारियों को मुअत्तिली/सेवा से हटाया जाना

628. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में श्रम विभाग की सेवाओं से कितने कर्मचारियों और अधिकारियों को अपना कार्य उचित रूप से न करने अथवा कार्यालय में विलम्ब से आने अथवा भ्रष्टाचार आदि के आरोपों में मुअत्तिल किया गया है, सेवा से हटा दिया गया है, अथवा उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि श्रम विभाग के कुछ कर्मचारी और अधिकारी प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम को सच्चे अर्थों में क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

भारत में आपात स्थिति के बारे में विदेशी प्रेस द्वारा प्रचार

629. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री के० लकप्पा :

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि विदेशों में बहुत से समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसियां भारत में चल रही आपात स्थिति के बारे में विकृत, लांछनपुर्ण, कदाशयपूर्ण तथा मिथ्या समाचार प्रकाशित कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन देशों, समाचार एजेंसियों तथा समाचारपत्रों से इसके बारे में विरोध प्रकट किया है; और

(ग) क्या भारत में विदेशी समाचार एजेंसियों के कुछ सम्वाददाता भी ऐसे समाचार भेज रहे हैं; यदि हां, तो उन सम्वाददाताओं तथा समाचार एजेंसियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने प्रत्येक मामले के स्वरूप को देखते हुए ऐसे सभी मामलों पर उचित कार्यवाही की है।

(ग) अब भारत स्थित विदेशी संवाददाता मार्गदर्शक रूपरेखा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जिसके प्रति वे वचनबद्ध हैं और इसके उल्लंघन के मामलों पर उचित कार्यवाही की जाती है।

केमिकल फायरबाल्स

630. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एस०आई०पी०आर०आई०) ने इस वर्ष अक्तूबर में यह चेतावनी दी है कि आग लगाऊ हथियारों की एक नई किस्म का विकास किया जा रहा है जिससे 'कैमिकल फायरबाल्स' बनते हैं जिससे तापीय ऊर्जा का दर्जा अणु बम के बाद दूसरे नम्बर पर आता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस देश के बारे में, जो इनका विकास कर रहा है, उक्त संगठन (एस०आई०पी०आर०आई०) से पूछताछ की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) :(क) और (ख). स्टाकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने 1975 में प्रकाशित 'आग लगाऊ शस्त्र' शीर्षक से अपने प्रबंध में आग लगाऊ शस्त्रों के क्षेत्र में नये विकास का वर्णन किया है जिसमें "रासायनिक अग्निगोलों" पर विचार शामिल है। इस प्रबंध के अनुसार, जो देश राकेटों और प्रक्षेणास्त्रों के लिए अग्नि का विकास करने में संक्षम हैं, उन सभी के पास इन नये आग लगाऊ शस्त्रों का विकास करने की सामर्थ्य है। स्टाकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टीट्यूट से पूछताछ करने पर हमें पता चला है कि उक्त प्रकाशन के अलावा, उन्होंने कोई चेतावनी नहीं दी है।

विदेशी पत्रिका में समाचार

631. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री नरसिंह नारायण पाँडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन पोस्ट में हाल में यह समाचार छपा है कि भारतीय सेनाओं ने अपनी छावनियों से भारत-बंगलादेश सीमा के साथ साथ हरकत की है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस समाचार का खण्डन किया है ;

(ग) क्या उक्त समाचार पत्र का भारत में कोई 'रेजिडैन्ट' संवाददाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त समाचार पत्र को पन्द्रह दिन के अन्दर अपना काम बंद कर देने को कहने का है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) :(क) इस अखबार में नवम्बर और दिसम्बर 1975 में इस प्रकार की कुछ झूठी खबरें छपीं थीं ।

(ख) जी हां । विदेश मंत्रालय के एक सरकारी प्रवक्ता द्वारा जारी किया गया एक वक्तव्य यहां अनुबंध के रूप में संलग्न है ।

(ग) भारत में 'वाशिंगटन पोस्ट' का कोई आवासी संवाददाता नहीं है । पहले इस का जो संवाददाता था उसे झूठी एवं पक्षपातपूर्ण खबरें भेजने पर निकाल दिया गया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज यहां यह वक्तव्य दिया :—

अंतर्राष्ट्रीय अखबार जगत के कुछ पत्र जिनकी संख्या बहुत कम है जो कि वे शोर बहुत करते हैं, अब भी अपने पुराने घिसे पिटे और तार-तार हुए इस पुराने राग की ही आलाप कर रहे हैं कि भारत बंगलादेश में सशस्त्र हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है। ढाका, 14 दिसम्बर को लिखे गए अपने उद्यतन लेख में वाशिंगटन पोस्ट के संवाददाता ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने जो बिना वर्दी के थे बंगलादेश की सीमा पार कर गए हैं । उसने एक इस खबर का भी प्रचार किया कि बंगलादेश के मेमन सिंह जिले में कुछ लोग साम्प्रदायिक दंगे करवाने के लिए सक्रिय हैं जिससे कि भारत को हस्तक्षेप करने का बहाना मिल सके ।

बंगलादेश में भारतीय हस्तक्षेप और उससे भी बढ़कर सशस्त्र आक्रमणों के बारे में कहानियां गढ़े जाने का यह कोई पहला मौका नहीं है ।

यह अजीब बात है कि विदेशी अखबार जगत के ये पत्र भारतीय योजनाओं और कार्यों के बारे में स्वयं बंगलादेश से भी ज्यादा चिंतित हैं।

जाहिर है कि कुछ लोगों से यह बर्दाश्त नहीं हो पाता कि भारत और बंगलादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें और उनकी सीमा झगड़े और तनाव से मुक्त बनी रहे । प्रसंगवश यहां यह कहा जा सकता है कि वाशिंगटन पोस्ट का संवाददाता स्वयं तो कभी सीमा के पास गया ही नहीं और उसे सूचना देने वालों ने भी वास्तव में कोई भारतीय सैनिक नहीं देखा, कम से कम वर्दी में तो हर्गिज नहीं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और बंगलादेश के सीमा सुरक्षा दलों के अध्यक्षों की हाल में कलकत्ता मे हुई बैठक और 5 से 8 दिसम्बर तक न्यायाधीश ए०सत्तार के नेतृत्व में उच्चस्त ीय बंगलादेश प्रतिनिधिमंडल की दिल्ली यात्रा के परिणामों को जिसमें दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाये रखने तथा दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग बनाये रखने के लिये काम करते रहने की इच्छा की पुनर्पुष्टि को, कुछ विदेशी तत्व पसंद नहीं कर रहे हैं ।

यदि भारत के इरादे आक्रमक होते तो वह बंगलादेश के सैनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना एवं सुरक्षा साज समान की सप्लाई जारी नहीं रखता । सामान्य बुद्धि का भी कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि भारत बंगलादेश में सांप्रदायिक दंगों को उकसाने में रूचि रखता है । आखिरकार, अगर बंगलादेश में कोई सांप्रदायिक गड़बड़ होती है तो उससे निश्चय ही वहां के अल्पसंख्यकों का बर्हिगमन होगा जिससे स्वयं भारत पर असह्य बोझ पड़ेगा और उसके लिए न्याय और व्यवस्था एवं सुरक्षा की गम्भीर समस्याएं पैदा हो जाएंगी ।

भारत सरकार यह स्पष्ट बता देना चाहती है कि भारतीय सेनाएं समूची भारत-बंगलादेश सीमा पर कहीं भी उस स्थान से नहीं हिली हैं जहां वे शांतिकाल में स्थित थीं । इस संबंध में स्वयं बंगलादेश सरकार को, सीधे भी तथा हाल ही में दिल्ली की यात्रा पर आए सत्तार प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से पर्याप्त एवं संतोषजनक आश्वासन दिया जा चुका है ।

भारत के खिलाफ निरंतर झूठे एवं विद्वेषपूर्ण प्रचार का लक्ष्य स्पष्ट ही भारत और बंगलादेश के बीच तनाव और गलतफहमी को बढ़ाना है । परन्तु इसमें सचाई और सहज बुद्धि का नितांत अभाव है अतः ऐसे प्रचार से उनके दुष्टतापूर्ण लक्ष्य की पूर्ति होने की संभावना नहीं है ।

कुछ पश्चिमी देशों के टेलीविजनों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

632. श्री दिनेश चन्द्रगोस्वामी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में कुछ पश्चिमी देशों के टेलीविजनों द्वारा भारत विरोधी विषैला प्रचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस झूठे और द्वेषपूर्ण प्रचार के प्रतिकारस्वरूप सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विक्कि पाल दास): (क) और (ख). कई पश्चिमी देशों के प्रचार माध्यम ने, जिसमें दूरदर्शन माध्यम के कुछ अंश भी सम्मिलित हैं, ऐसा किया है । इस प्रचार का शीघ्रतापूर्वक प्रतिकार करने के लिए और विदेशों में भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, भारत सरकार और विदेश-स्थित हमारे मिशनों द्वारा दूरदर्शन पर समुचित भट और कार्यक्रमों के माध्यम से उचित और कारगर कदम उठाये गये थे ।

एक अन्य चिकित्सक संवग का निर्माण करने के बारे में श्रीवास्तव समिति की सिफारिशें

633. **श्री बसन्त साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीवास्तव समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु **एक अन्य चिकित्सक संवर्ग का निर्माण करने की सिफारिश** की है ;

(ख) समिति ने अन्य क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) जी हां।

(ख) श्रीवास्तव समिति की रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) श्रीवास्तव समिति के सुझावों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है । कुछेक सुझावों को कैसे कार्यरूप में लाया जाए इसके लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है और उसे जल्दी ही राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाएगा। आशा है इस वर्ष अप्रैल में होने वाली केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की अगली बैठक में इस मामले को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

सुन्दरगढ़-कुचिन्दा-प्रभासुनी सड़क

634. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सुन्दरगढ़-कुचिन्दा-प्रभासुनी मार्ग में सड़क तथा पुल परियोजना का कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाएगा ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस योजना के लिए ई एण्ड आई योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत ऋण की सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां तो क्या उड़ीसा के इस पिछले क्षेत्र का इंजीनियरिंग विकास करने के लिए धनराशि नियत किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) सुन्दरगढ़-कुचिन्दा-प्रभासुनी सड़क एक राज्य सड़क है, अतः इस सड़क का विकास जिसमें पुल भी शामिल है मुख्यतः राज्य क्रिया-कलाप के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इस योजना के अन्तर्गत किन कार्यों के लिये धन की व्यवस्था हो सकेगी क्योंकि मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।

Shortage of Doctors and Equipment in Primary Health Centres

635. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether due to the shortage of doctors and equipment in the primary health centres people of the areas are not getting real benefit of these centres ;

(b) whether attention of Central Government has been invited to remove this shortage; and

(c) if so, the steps taken by Government in this direction ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) Shortage of doctors in the Primary Health Centres has been considerably reduced. Out of 5314 such Centres, 3275 have two doctors each and 1984 have one doctor each. Only 65 Primary Health Centres are without doctors. UNICEF has so far assisted in equiping 3472 Primary Health Centres. Remaining centres are being provided equipment by States according to availabilility of funds. As the strength of doctors increases and the Primary Health Centres get better equipped, the facilities provided to public will improve.

(b) Yes.

(c) The following steps are being taken to attract more doctors to serve in the Primary Health Centres in rural areas :—

(i) Formation of unified cadres for doctors working in rural and urban areas.

(ii) Provision of a total package of incentives such as grant of rural allowance, transport facilities, free furnished quarters, protected water supply, electricity etc.

(iii) Improvement of physical facilities of Primary Health Centres particularly in respect of buildings and residential quarters.

iv) Grant of advance increments (in Gujarat State).

(v) Provision of adequate quantities of medicines and equipment in primary health centres.

Direct Dialling System and Telephone Exchanges in Nagaland

636. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether direct dialling system between Kohima, and its district headquarters has been introduced; and

(b) whether six new telephone exchanges are proposed to be set up in Nagaland ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) Direct dialling between Kohima and the district headquarters of Nagaland has not yet been introduced. STD between Kohima and Dimapur which is a sub-divisional headquarters is planned in the programme for 1978-79.

(b) Yes, Sir. The exchanges proposed to be set up are:

1. Akhulota.
2. Zakhama.
3. Chuchimlong.
4. Chuntongia.
5. Tsemenue.
6. Peron.

Work will be taken up if the requisite number of applicants make the initial payment.

पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन

637. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने के लिये दिसम्बर, 1975 में पेरिस का दौरा किया था ;

(ख) उनके साथ कितने कर्मचारी गये, वे विदेश में कितने दिन रहे ;

(ग) उक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों तथा प्रश्नों पर चर्चा हुई;

(घ) उक्त सम्मेलन के विचार-विमर्श में भारत सरकार का क्या योगदान रहा; और

(ङ) उक्त पेरिस सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकले/निर्णय हुए ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास): (क) जी हां। विदेश मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में पेरिस गये थे ;

(ख) विदेश मंत्री के साथ प्रधान मंत्री के सचिव और विदेश, वित्त, पैट्रोलियम और वाणिज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी गये थे ;

(ग) इस सम्मेलन में मुख्य रूप से उन प्रस्तावों और उन पर अमल करने की योजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ जो ऊर्जा, कच्चे माल, विकास तथा वित्तीय मामलों के लिए चार आयोग स्थापित करने के बारे में थे।

(घ) भारत ने सम्मेलन का ध्यान विकासशील देशों की दशा और विकास संबंधी उनकी विशिष्ट समस्याओं की ओर आकर्षित किया, विशेष रूप से उन देशों की दशा की ओर जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में हाल ही में हुए परिवर्तनों का सार्वाधिक प्रभाव पड़ा है। भारत ने आयोगों के विषय में कुछ ठोस सुझाव भी दिये जिससे कि उनका काम अधिक अर्थपूर्ण और फलप्रद हो सके।

(ङ) सम्मेलन ने चार आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है जिसमें प्रत्येक में 15 सदस्य होंगे (10 विकासशील और 5 औद्योगिकृत) और जो 11 फरवरी, 1976 से पेरिस में अपना कार्य आरम्भ कर देंगे और चालू वर्ष में जिनकी सार्वधिक बैठकें होंगी। ये आयोग मंत्री सम्मेलन के समक्ष अपनी सिफारिशें रखेंगे जिनकी बैठक लगभग 1 वर्ष में पुनः हो सकती है ।

उड़ीसा में मालंगटोली और लौह अयस्क खानों का सर्वेक्षण प्रतिवदन

638. **श्री पी० गंगादेव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मालंगटोली लौह अयस्क खानों का सर्वेक्षण प्रतिवेदन पूरा हो गया है; तथा सरकार को भेज दिया गया है ; और

(ख) प्रतिवेदन का अध्ययन करने अथवा उसे अंतिम रूप देने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां। उड़ीसा में मालंगटोली लौह अयस्क निक्षेप पर भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था द्वारा एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की गई थी और वह सरकार को भेजी गई थी। रिपोर्ट से पता चला है कि ये निक्षेप 6080 लाख टन है।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, प्रौद्यो-आर्थिक सांद्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस क्षेत्र में व्यापक खोज कार्य कर रहा है।

श्रमिकों के उपदान को प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय उपदान निधि

639. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या श्रम मंत्री 8 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1892 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों के बंद होने अथवा परिसमापन की स्थिति में कर्मचारियों द्वारा उपदान प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय उपदान निधि स्थापित करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश में भारत विरोधी प्रचार

640. **श्री शंकर राव सावन्त:**

श्री समर गुह :

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख मुजीबुर्रहमान और उनके साथियों की हत्या के पश्चात् बंगला देश में भारत विरोधी प्रचार को बढा दिया गया है; और

(ख) इस प्रचार का प्रतिकार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले की ओर बंगला देश का ध्यान एक से अधिक बार दिलाया जा चुका है । हाल में बंगला देश के प्रेस में भारत विरोधी प्रचार कम हुआ है ।

रायबरेली-फैजाबाद सड़क का पूरा किया जाना

641. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रायबरेली-फैजाबाद सड़क के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) इस सड़क के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में सड़कों का निर्माण

642. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में 1975 और 1976 के दौरान कितनी और कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण के लिये सिफ़ारिश की गई; और

(ख) इस समय इन सड़कों के निर्माण की क्या स्थिति है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विदेशों से ड्रेजरों की खरीद

643. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पत्तनों के लिये विदेशों को ड्रेजरों की खरीद के आर्डर दिये गये हैं;

(ख) क्या भारत में ड्रेजर नहीं बनाये जा सकते, और

(ग) ड्रेजर का मूल्य क्या है, इस पर कितनी विदेशी मूद्रा खर्च होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) एक निकर्षक की हालण्ड से खरीद करने के लिए अभी हाल ही में आदेश दिया गया है। यह निकर्षक केन्द्रीय निकर्षण संगठन का एक अंग होगा।

(ख) निकर्षक भारत में भी बनाये जा सकते हैं। परन्तु यह निकर्षक कुद्रेमूख से ईरान को खनिज लौह निर्यात करने के लिए एक परियोजना के सम्बन्ध में मंगलौर बन्दरगाह को गहरा करने के लिए चाहिए। स्वदेशी फ़र्म इस स्थिति में नहीं थी कि वे बन्दरगाह परियोजना के लिए अपेक्षित समय के अन्दर ऐसे निकर्षक की सुपुर्दगी कर सके। इसलिए निकर्षक का आयात करना पड़ा।

(ग) फ़ालतू पुर्जों सहित इस ट्विन स्क्रयू ट्रेलिंग सक्शन हापर ड्रेजर जिसकी 6500 क्यू० मी० की क्षमता है, की लागत 15.50 करोड़ रुपये (निकटतम) है और मूख्यत: डच जनरल परपज़ क्रेडिट से विदेशी मूद्रा में दी जानी है।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान महिलाओं के लिये रोजगार

644. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक पर महिलाओं को कितने रोज़गार उपलब्ध किये गये; और

(ख) देश में रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत कितनी शिक्षित बेरोज़गार महिलाएं हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) उपलब्ध सूचना रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से महिलाओं (सभी श्रेणियों की) को दिए गए रोज़गारों की संख्या के सम्बन्ध में है। यह संख्या पहली जनवरी से 31 अक्तूबर, 1975 की अवधि के दौरान 43,625 थी। जहां भी रोज़गार कार्यालयों को

ऐसे रोज़गार अवसर अधिसूचित किये जाते हैं, जिनके लिए दोनों महिलाएं और पुरुष पात्र होते हैं, वहां दोनों को एक जैसा पारिश्रमिक दिया जाता है।

(ख) 30 जून, 1975 को चालू रजिस्टर पर रोज़गार चाहने वाली 6.45 लाख शिक्षित महिलाएं (मैट्रिक उत्तीर्ण और उससे अधिक योग्यता वाली) थीं, जो सभी अनिवार्यत: बेरोज़गार नहीं हैं।

वर्ष 1974–75 के दौरान दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन

645. **श्री रानेन सेन :**

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने का उत्पादन वर्ष 1974 तथा 1975 में सन्तोषजनक रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) वर्ष 1974 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विक्रय इस्पात का उत्पादन वर्ष 1973 के उत्पादन से अधिक था और वर्ष 1975 में उत्पादन 1974 के उत्पादन की तुलना में अधिक हुआ है। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	विक्रय इस्पात का उत्पादन (हजार टन)	क्षमता का प्रतिशत उपयोग	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1973 .	355	28.7	
1974 .	504	40.7	42.0
1975 . . .	644	52.0	27.8

उत्पादन में यह वृद्धि बेहतर प्रबन्ध और मालिक-मजदूर सम्बन्धों में सुधार के फ़लस्वरूप सम्भव हुई है।

वियतनाम में पुनर्निर्माण के लिये भारतीय सहायता

646. **श्री रानेन सेन :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार वियतनाम के पुनर्निर्माण हेतु अपनी सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास): (क) और (ख) वियतनाम के पुनर्निर्माण में सहयोग देकर भारत सरकार को प्रसन्नता होगी।

अहमदाबाद में दूर-संचार का नया भवन

647. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अहमदाबाद में दूर संचार का नया भवन अब उपयोग के लिये तैयार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नये यूनिट में आवश्यक उपकरण किस प्रकार लगाये जा रहे हैं; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में निर्दिष्ट बातों पर अलग-अलग कुल कितनी लागत आयेगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) नये भवन को ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज, मैनूअल ट्रंक एक्सचेंज, लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर और उनसे सम्बन्धित विभागीय आवश्यकताओं के लिये इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।

(ग) अनुमानित लागत इस प्रकार है :

(1) भवन	44.17 लाख रुपये
(2) उपस्कर:	
(i) ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज .	106.58 लाख रुपये
(ii) मैनूअल ट्रंक एक्सचेंज .	25.63 लाख रुपये
(iii) लंबी दूरी के पारेषण उपस्कर . .	273.03 लाख रुपये
योग	405.24 लाख रुपये
कुल योग (भवन और उपस्कर) . .	449.41 लाख रुपये।

उगांडा से निकाले गये भारतीयों को मुआवजा

648. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा सरकार उन भारतीय राष्ट्रिकों को नकद मुआवजा अदा करने पर सहमत हो गई है जो उस देश में, वहां से निकाले जाने के समय तक, व्यापार कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यूगांडा सरकार के साथ हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) अगस्त 1975 में हमारी प्रधान मन्त्री के नाम राष्ट्रपति अमीन के पत्र के उत्तर में, भारत से एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल उगांडा गया था और उसने 28 अक्तूबर से 17 नवम्बर, 1975 तक उगांडा सरकार के साथ उन 1535 दावों के बारे में बातचीत की जो कि उगांडा से 1972 में निकाले गए भारतीय राष्ट्रिकों ने भारतीय हाई कमिशन के जरिए उगांडा सरकार को भेजे थे। उगांडा के घोषित सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर भारत तथा उगांडा के प्रतिनिधि मण्डलो ने सम्मिलित रूप से प्रत्येक दावे की जांच की।

इस जांच और बातचीत की समाप्ति पर, सहमत कार्यसूची तैयार की गई और दोनों पक्षों ने उस पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार इस बारे में आगे की कार्रवाई के लिए उगांडा सरकार के साथ सम्पर्क में है।

विजय नगर में इस्पात मिल

649. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयनगर में इस्पात मिल की स्थापना करने हेतु कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) सरकार का इस्पात मिल के इस स्थल से बहुमुल्य लौह-अयस्क और तांबे का निर्यात कब तक करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) जी, हां। इस प्रायोजना के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार कराने का काम अप्रैल, 1975 में दिया गया था और इसके वर्ष 1976 के अन्त तक मिल जाने की सम्भावना है।

(ख) खनिज के निर्यात की मात्रा का निर्णय लेते समय आन्तरिक मांग को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। विजयनगर के प्रस्तावित इस्पात कारखाने को लौह खनिज की सप्लाई के लिए जो खानें अलग रखी गई हैं उन खानों से लौह खनिज का निर्यात नहीं किया गया है।

तमिलनाडु में कम्पनियों की और भविष्य निधि की बकाया राशि

650. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितनी कम्पनियां हैं और भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) 31-10-1975 की स्थिति के अनुसार, 62 प्रतिष्ठानों से 1.13 करोड़ रुपये की राशि देय है, जिनसे 15,000/- रुपये और उससे अधिक भविष्य निधि अंशदानों की राशि बकाया है।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

बौक्साइट अयस्क का पाइप लाइन द्वारा भेजा जाना

651. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इण्डिया लि० 70 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन द्वारा 5.5 लाख टन बौक्साइट अयस्क भेजने के लिये तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है; और

(ख) क्या इस अनुसंधान एवं तकनीकी आर्थिक अध्ययन से एल्यूमिनियम उद्योग को बहुत प्राप्ति होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) जी, हां।

(ख) अध्ययन पूरा होने तथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इसके निष्कर्ष का पता चलेगा।

शून्य वृद्धि दर की प्राप्ति के लिये अनिवार्य परिवार नियोजन

652. श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाने के लिये अनुरोध किया है जिससे आगामी दशाब्दी में वृद्धि दर शून्य हो सके; और

(ख) परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य सरकारों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के ० एम० इसहाक) : (क) ऐसी कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं।

(ख) परिवार नियोजन एक केन्द्र–प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को शतप्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

हिन्द महासागर में 'सेन्टो' देशों के युद्धपोतों की उपस्थिति

653. श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टो देशों के नौसैनिक युद्धपोत, जिन्होंने 1974 में पाकिस्तान द्वारा आरम्भ किये गये नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था पूर्णरूप से वापस नहीं गये हैं;

(ख) क्या इन युद्धपोतों की उपस्थिति का हिन्द महासागर क्षेत्र की शांति पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जिन युद्धपोतों ने कराची के समुद्र में सेन्टो के नौसेना अभ्यासों में हिस्सा लिया था, वे सभी 1975 में क्रमिक रूप से हटा लिये गये थे। लेकिन, उनमें से कुछ ने ओपान की खाड़ी में नवम्बर, 1975 में सेन्टो के नौसेना अभ्यासों में फिर हिस्सा लिया। इस तरह यह संभव है कि इनमें से कुछ पोत हिन्दमहासागर में निरंतर काम करते रहे हैं।

(ख) और (ग). सरकार का ख्याल है कि हिन्द महासागर में बड़े देशों के युद्धपोतों के इस तरह प्रवेश से बड़े देशों की स्पर्धा बढ़ती है और क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तथा ऐसा करना हिन्द महासागर में शान्ति का क्षेत्र स्थापित करने के बारे में तटवर्ती और भीतरी प्रदेशों की कोशिशों के विपरीत पड़ता है।

Fall in birth rates in M.P., Rajasthan and Bihar

654. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the percentage of fall in the birth rate in Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar during the last three years as a result of family planning; and

(b) whether this fall has been in accordance with the target fixed ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) In terms of the births averted as a result of the Family Planning Programme, it is estimated that the birth rate would have dropped by about 3·9% in Madhya Pradesh 1·5% in Rajasthan and 2·7% in Bihar during the last three years (ending 1974-75).

(b) The performance of the Family Planning Programme in terms of total acceptors was below the targets fixed for these States during the last three years as indicated below :—

	Performance as percentage of target
Madhya Pradesh .	58·3
Rajasthan .	36·2
Bihar	27·4

Accordingly the reduction in birth rate was below the expectation.

गत दो वर्षों की तुलना में इस्पात का निर्यात

655. **श्री वीर भद्र सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में गत दो वर्षों की तुलना में इस्पात के निर्यात में कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) क्या 1975–76 के लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुख देव प्रसाद): (क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 में इस्पात का वास्तविक निर्यात क्रमशः 36,652 टन और 52,135 टन था। अप्रैल–दिसम्बर, 1975 की अवधि में जहाजों द्वारा लगभग 2.60 लाख टन माल बाहर भेजा गया था।

(ख) वर्ष 1975–76 के लिए इस्पात के निर्यात का लक्ष्य 6,69,000 टन रखा गया है और 31–12–1975 तक लगभग 2.60 लाख टन माल जहाजों द्वारा बाहर भेजा गया है।

Outstanding dues against news agencies for Teleprinter Lines

656. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the amount outstanding against each of the various news agencies on account of teleprinter lines upto December, 1975; and

(b) whether teleprinter lines of certain news agencies were also disconnected due to the non-payment of arrears in December, 1975 ?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma): (a) Amount outstanding against News Agencies upto 31-12-75 is indicated below:—

(Figures in thousands of rupees

1.	UNI	615
2.	PTI	59
3.	Samachar Bharati	212
4.	Hindustan Samachar	177

(b) Yes, Sir.

राज्यों में कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मंजूरी

657. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत पांच महीनों के दौरान कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी ढांचे को पुनरीक्षित किया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : निम्नलिखित राज्यों में न्यनतम मजदूरियों में संशोधन कर दिया गया है :—

आन्ध्र प्रदेश

कर्नाटक

केरल

मध्य प्रदेश

उड़ीसा

त्रिपुरा

हरियाणा

मेघालय

निम्नलिखित राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों में न्युनतम मजदूरियों मे संशोधन करने की कार्यवाई आरम्भ भी कर दी गई है :—

गुजरात

तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

दिल्ली

गोवा, दमन और दाव ।

[उन्नाव, उत्तर प्रदेश में अधरंग के मामले

658. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नाव जिले में बहुत से लोग अंगों के अधरंग का शिकार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका उपचार करने तथा इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) उन्नाव जिले में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 85 व्यक्तियों को अधरंग होने का पता चला है।

(ख) संभवतः इन्हें केसारी दाल के खाने से अथवा दूसरे कारणों से यह रोग हो गया हो।

(ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन लखनऊ, कानपुर और आगरा के मेडिकल कालेजों तथा औद्योगिक टाक्सिकोलाजिकल रिसर्च संस्थान, लखनऊ में इस समस्या पर विस्तारपूर्वक जांच कार्य किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने उन्नाव के चीफ मेडिकल अफसर तथा उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों को हिदायतें दी हैं कि वे रोगग्रस्त क्षेत्रों का तुरन्त सर्वेक्षण करें और सभी संदिग्ध रोगियों को जिला अस्पतालों में लायें ताकि उनकी बारीकी से जांच की जा सके। प्रारम्भिक रोगियों को ढूंढ निकाल लिया जायेगा और उन्हें कानपुर तथा आगरा के अस्पतालों में भेज दिया जायेगा। रोगियों का मुफ्त इलाज किया जायेगा और उन्हें मुफ्त भोजन दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के अधीन केसारी दाल की बिक्री पर पाबन्दी लगा दी है। राज्य सरकार से यह भी कह दिया गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित कर ले कि अन्य राज्यों से आयात किये जाने वाले खाद्य पदार्थों में केसारी दाल नहीं मिली है।

भारत आने वाले विदेशी मिशनरियों के बारे में वैटिकन के साथ करार

659. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी गुप्तचर एजेंसी की जासूसी गतिविधियों में मिशनरियों के उपयोग को रोकने हेतु एक जांच प्रणाली आरम्भ करने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा वैटिकन के मध्य भारत आने वाले विदेशी सरकार तथा वैटिकन के मध्य भारत आने वाले विदेशी मिशनरियों के चयन तथा जांच-पड़ताल के बारे में डाक करार होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित करार की शर्तें तथा मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख). भारत सरकार ने वैटिकन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि भारत के कैथोलिक चर्च में चर्च सम्बन्धी पदों पर नियुक्तियों को नियमित करने के लिए एक समझौता करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों में बातचीत हो। उम्मीद है कि यह बातचीत जल्दी शुरू होगी। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तावित समझौते की शर्तें क्या होंगी क्योंकि इन पर बातचीत होनी है।

मुजफ्फरपुर दरभंगा लेटरल रोड को फोरबेसगंज से मिलाना

660. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोसी तथा कमला नदियों को पार करके राष्ट्रीय राजमार्ग की मुजफ्फरपुर-दरभंगा लेटरल रोड की फोरबेसगंज के साथ मिलाने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : अनुमान है कि माननीय सदस्य बिहार में पार्श्ववर्ती सड़क की दरभंगा और फोरबिसगंज के बीच की लुप्त कड़ी का उल्लेख कर रहे हैं। वर्तमान वित्तीय संकट के कारण इस परियोजना को निम्न प्राथमिकता दी गई है और अगले दो अथवा तीन वर्षों के लिये स्थगित की गई है जबकि स्थिति की समीक्षा की जायेगी।

सवाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग लिमिटेड के सीमेंट कारखाने द्वारा भविष्य निधि न जमा कराया जाना

661. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर उद्योग लिमिटेड का सवाई माधोपुर सीमेंट कारखाना एक लम्बी अवधि से प्राय: बन्द रहा है जिसके फलस्वरूप श्रमिक बेकार हो गए हैं;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने श्रमकों को जुलाई, 1975 से लेकर मजूरी का भुगतान नहीं किया है;

(ग) क्या भविष्य निधि, कर्मचारी राज्यबीमा तथा वेतन बचत योजना के अधीन जीवन-बीमा प्रीमियम की राशियां जमा नहीं कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

पोलैण्ड के साथ नौवहन करार का पुनरीक्षण

662. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1960 में पोलैण्ड के साथ किये गये नौवहन-करार को हाल ही में पुनरीक्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख). 1960 के भारत पोलैण्ड नौवहन समझौते का संशोधन करने के लिए समझौता हो गया है। संशोधन में भारत-पाकिस्तान-बंगला देश सम्मेलन के तीसरे ध्वज पोतों के लिए उपलब्ध होने वाले भारत और पोलैण्ड के बीच सामान्य माल व्यापार के 20 प्रतिशत की व्यवस्था करेगा। लेकिन सामान्य माल के शेष 80 प्रतिशत और समस्त भारी व्यापार भारतीय-पोलिश साझेदारी के बीच उनके वहन और कमाई की समानता के आधार पर होगी। समझौते में समानता को प्राप्त करने और वित्तीय शब्दों में इसके निश्चयीकरण, जिसमें अनुवर्ती वर्षों में दिया जाने वाला समंजन भी शामिल है, की व्यवस्था होगी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

663. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील के दुर्गापुर एकक का विस्तार करना अपेक्षित है; और

(ख) वर्ष 1974–75 का वास्तविक उत्पादन और लक्ष्य कितना-कितना था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस समय दुर्गापुर इस्पात कारखाना अपना सारा ध्यान उत्पादन बढ़ाने पर दे रहा है जिससे वह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके। अतः इस समय कारखाने के किसी विस्तार के प्रश्न पर विचार करना समय पूर्व होगा।

(ख) वर्ष 1974–75 के दौरान दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विक्रेय इस्पात का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

लक्ष्य	672,000 टन
वास्तविक उत्पादन . . .	620,000 टन

Provident Fund outstanding against R.B.H.M. Jute Mills, Katihar (Bihar)

664. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Labour** be pleased to state:

(a) whether payment of a large amount of provident fund of workers is outstanding in R.B.H.M. Jute Mills, Katihar (Bihar); and

(b) the action taken by Government ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy): The Provident Fund authorities have intimated as under:—

(a) As on 30-11-1975, R.B.H.M. Jute Mills (P) Ltd, was in default of Provident Fund of Rs. 28·75 lakhs half of which represents workers' share.

(b) (*i*) Prosecutions under Section 14 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 for the period from March, 1973 to May, 1975 have been filed.

(*ii*) Revenue Recovery certificates upto June, 1975 in respect of Rs. 23·35 lakhs have been filed.

(*iii*) Proceedings under Section 7A of the aforesaid Act subsequent to June, 1975 have been initiated in order to file recovery certificates for the balance amount.

(*iv*) Complaints under Section 406/409 Indian Penal Code (criminal breach of trust) have also been filed with the Police authorities.

नाविकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान

665. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय जहाज मालिकों और ब्रिटिश/अमरीकी जहाज मालिकों को नौवहन उद्योग के विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उन्नति हेतु जनवरी, 1976 से सेवारत सभी भारतीय नाविकों को आई० एल० ओ०—आधारित न्यूनतम मजूरी देने का परामर्श देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :(क) और (ख). विदेशी पोत स्वामी सभी कार्य कर रहे भारतीय नाविकों को पहले ही आई एल ओ न्यूनतम मूल वेतन दे रहे हैं। परन्तु सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि वे भारतीय पोत-स्वामियों को आई एल ओ वेतन देने की सलाह दे, क्योंकि ऐसे उच्च वेतन देने से राष्ट्रीय वेतन ढांचे का सन्तुलन बिगड़ जायेगा और भारतीय नौवहन विकास के लिए हानिकारक होगा।

नाविकों की डाक्टरी जाँच

666. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तथा नौवहन कम्पनियों द्वारा नाविकों की डाक्टरी जांच कराई जाती है; और

(ख) यदि हां, तो दो बार जांच कराने की क्या आवश्यकता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय व्यापार पोत (डाक्टरी जांच) नियम 1958 के अनुसार नाविकों की जांच सरकारी डाक्टरों द्वारा की जानी है। इन नियमों के अनुसार व्यवसाय में प्रवेश के समय तथा बाद में प्रत्येक 8 वर्ष की अवधि के बाद जांच की व्यवस्था है परन्तु यह आवश्यक है कि प्रत्येक नाविक यात्रा पर जाने से पहले जहाज पर अपनी ड्यूटी करने के लिए डाक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वस्थ घोषित किया जाय। ऐसी डाक्टरी जांच नौवहन कम्पनी द्वारा की जाती है।

भारतीय नाविकों को बेरोजगारी लाभ

667. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश और अमरीकी नौवहन कम्पनियों ने बम्बई और कलकत्ता स्थित भारतीय नाविकों को बेरोजगारी लाभ का भुगतान करने के लिये सीफअरर्स बेलफेअर फण्ड के लिये भारत सरकार के पास कुछ धनराशि जमा कराई है;

(ख) यदि हां; तो सरकार के पास कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई है;

(ग) क्या सरकार बेकारी अनुदान का भुगतान केवल कुछ नाविकों को करती है; और

(घ) सरकार ने अन्य जहाज मालिकों को बेरोजगारी के कारण इसी प्रकार का भुगतान करने के लिये निदेश देने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) नाविक कल्याण निधि संस्था में 31–12–75 तक कुल 6,11,23,428 रुपये (छः करोड़ ग्यारह लाख तेईस हज़ार चार सौ अट्ठाइस रुपये) का अंशदान प्राप्त हुआ।

(ग) बेरोजगार होने पर विदेशगामी भारतीय नाविकों की पोत स्वामियों तथा नाविक संघों के साथ परामर्श करके कुछ निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत नकद सहायता दी जाती है।

(घ) भारतीय नाविकों को नौकरी देने वाले सभी विदेशी पोतस्वामी स्वेच्छा से कल्याण निधि में अंशदान देते हैं। अतः निर्देश जारी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जाली डिग्रियों वाले डाक्टर

668. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य संघ-राज्य क्षेत्रों में जाली डिग्रियां प्राप्त करके कुछ व्यक्ति और डाक्टर अपना व्यवसाय चला रहे हैं;

(ख) अब तक ऐसे कितने व्यक्ति और डाक्टर गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है जिससे भविष्य में ऐसा काम न हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) निम्नलिखित संघशासित क्षेत्रों को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है:—

1. दिल्ली
2. मणिपुर
3. त्रिपुरा
4. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
5. चण्डीगढ़
6. दादर और नागर हवेली।

शेष संघशासित क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित जिन संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हुई है, उनके बारे में यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रशिक्षुता (चौथा और पाँचवां संशोधन) नियम, 1975

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) प्रशिक्षुता (चौथा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 25 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 459 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रशिक्षुता (पांचवां संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 2462 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10106/76]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) पेट्रोलियम (भांडागारण) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 12 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 490 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०कां०नि० 567(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) हल्का डीजल तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 568 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) भट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) तीसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सां०नि० 569 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) सा०सां०नि० 570 (ङ) में जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 14 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 406 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(छः) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 575 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) मिट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) चौथा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 576 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 10107/76]

पार पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 तथा जी० एस० आर० 398(ङ) दिनाँक 30 अगस्त, 1972 का संशोधन

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति:

(एक) पारपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 537(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दूसरा) सा०सां०नि० 564 (ङ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 1972 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 398 (ङ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

[सभा पटल पर रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10108/76]

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक औषध (संशोधन) अध्यादेश, 1975

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 30 नवम्बर, 1975 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबंधों के अधीन उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक औषध (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 32) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 10 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था कि एक प्रति तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परिस्थितियां स्पष्ट की गयी हैं ।

[सभा पटल पर रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10109/76]

राजभाषा (विधेयकों के हिन्दी अनुवाद के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया) नियम, 1976

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राजभाषा (विधेयकों के हिन्दी अनुवाद के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 2 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10110/76]

रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये रोजगार के आरक्षण में हुई प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए अर्ध वर्ष में रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षित रिक्त स्थानो पर उन लोगों के रखे जाने में हुई प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10111/76]

उपदान संदाय (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1975

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं श्री बालगोविन्द वर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उपदान संदाय (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 2868 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10112/76]

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

58वाँ प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत शासी जिले) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति का 58वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATE COMMITTEE

84वाँ प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फ़ैजाबाद) : मैं वित्त मंत्रालय (बैंककारी विभाग)—समाज के कमजोर वर्गों तथा पिछले क्षेत्रों के विकास के लिए सुविधाओ के विस्तार पर प्राक्कलन समिति के 62वे प्रतिवेदन में दी गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 84वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

44वां, 45वा, 46वां, तथा 47वां प्रतिवेदन

44th, 45th, 46th and 47th Report

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : श्री धरणीधर बसुमतारी ने मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) गृह मंत्रालय—लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमिनदीवी द्वीपसमूह में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक—आर्थिक स्थिति पर समिति के 24वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 44वां प्रतिवेदन।

(2) गृह मंत्रालय और योजना आयोग—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए योजना में राशि नियतन—पर समिति के 20वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

(3) गृह मंत्रालय—अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर समिति के 23व प्रातवदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

(4) भूतपूर्व शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (समाज कल्याण विभाग)—गुजरात में आदिमजातीय विकास खण्ड पर समिति के 11वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 47वां प्रतिवेदन ।

दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन, विधेयक

DELHI LAND HOLDINGS (CEILING) AMENDMENT BILL

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) अधिनियम 1960 का और संशोधन करने वाले विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) अधिनियम 1960 का और संशोधन करने वाले विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री जगजीवन राम : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन

अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT *RE.* DELHI LAND HOLDINGS (CEILINGS) AMENDMENT ORDINANCE

कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन अध्यादेश 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

वर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक

BURMA SHELL (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS IN INDIA) BILL

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा भारत में जिन पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण और विपणन किया जाता है उनका समन्वित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा भारत में जिन पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण और विपणन किया जाता है उनका समन्वित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० डी० मालवीय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक

REGIONAL RURAL BANKS BILL

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादन कार्यों के विकास के परियोजनार्थ उधार तथा अन्य प्रसुविधाएं विशिष्टतया छोटे और सीमान्त कृषकों, कृषि-श्रमिकों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को, प्रदान करके ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन और समापन का तथा उनसे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादन कार्यों के विकास के परियोजनार्थ उधार तथा अन्य प्रसुविधाएं विशिष्टतया छोटे और सीमान्त कृषकों, कृषि-श्रमिकों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को, प्रदान करके ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन और समापन का तथा उनसे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT *RE.* REGIONAL RURAL BANKS ORDINANCE

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश दर के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE.* RATE OF DIVIDEND PAYABLE BY THE RAILWAY UNDERTAKING TO GENERAL REVENUES

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री मोहम्मद शफी कुरैशी द्वारा 12 जनवरी, 1976 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करते हैं :—

> "कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश दर तथा रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य सम्बन्धित मामलों के पुनर्विलोकन के लिए नियुक्त समिति के 11वें प्रतिवेदन के, जो 9 जनवरी, 1976 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 4, 5, 15, 16, 17 और 23 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

> "कि यह सभा यह भी निदेश देती है कि इस प्रतिवेदन तथा आठवें और नौवें प्रतिवेदनों में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही समिति को सूचित की जाये।"

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा): रेलवे के अधिकारी पुराने इंजनों के चलाने के लिये ड्राईवरों को मजबूर कर रहे हैं। ऐसे इंजनों का बीच ही में रुक जाना स्वाभाविक है। इसके बावजूद भी सरकार इस प्रकार की धारणा फैला रही है कि रेलवे प्रशासन में सुधार हो रहा है। वास्तव में रेलवे प्रशासन संकट के दौर से गुज़र रहा है।

सरकार को रेलवे प्रशासन में सुधार करने के लिये नई नीतियां निर्धारित करनी चाहिएं। सरकार उपनिवेशवाद की परम्परा को सजीव कर रही है। हम इस परम्परा को समाप्त करना चाहते हैं।

रेलवे की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए रेलवे पर सामाजिक भार नहीं डालना चाहिए। रेलवे की आय का उपयोग रेलवे सुधार पर ही किया जाना चाहिए क्योंकि यह भार ले दे कर सर्वसाधारण पर ही पड़ता है। व्यापारियों को सामाजिक भार के नाम पर बहुत लाभ हो रहा है। अतः इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाये।

रेलवे को एक वाणिज्यिक संस्थान से अधिक एक सार्वजनिक उपयोग की सेवा समझा जाना चाहिए। रेलवे प्रशासन रेल-कर्मचारियों के प्रति अपने रवये में आधारभूत परिवर्तन करके अनावश्यक

खर्च बचा सकता है। उदहारणार्थ, नियम 14(1) तथा (2) के अधीन नौकरशाही तथा कर्मचारी-विरोधी रवैया अपना कर हजारों रेल कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है जबकि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई निर्णय लेने से पूर्व प्रभावित हुए कर्मचारी की बात सुनी जानी चाहिए तथा संबंधित मामले पर सौद्देश्य दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। परन्तु इन कर्मचारियों की बात सुने बिना ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अब यदि सरकार तथा रेलवे प्रशासन अपने इस रवैये में परिवर्तन नहीं करता है तो कर्मचारी न्यायालय का द्वार खटखटायेंगे और फिर प्रशासन को अपील दायर करने तथा ये मुकद्दमे लड़ने के लिये लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अतः यदि प्रशासन तथा कर्मचारियों के मध्य संबंधों में यह तनाव पैदा न हो तो ये खर्च बच जायेंगे। परन्तु दुर्भाग्य से रेलवे प्रशासन अपने वर्तमान रवैये में परिवर्तन नहीं कर रहा।

समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि संचार में सहायता के लिए कुछ लाइनें खोली जानी चाहिए। वह भी रेलवे बजट पर एक सामाजिक बोझ पड़ता है। इस बारे में भी सरकार यह विचार करे कि क्या यह सारा बोझ रेलवे की अर्थव्यवस्था पर पड़ना चाहिये अथवा नहीं। यदि किसी नई लाइन के खोलने से सरकार पर कुछ बोझ पड़ता भी है तो भी सरकार को लोगों के लाभ के लिए अपने सामान्य राजस्व के द्वारा इसे वहन करना चाहिए। रेलवे भी कुछ बोझ वहन करे परन्तु समूचा बोझ उस पर नहीं पड़ना चाहिए।

आराह–सासाराम रेलवे जैसी रेलवे लाइन को सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जाना चाहिए। इस लाइन के बारे में मंत्री महोदय श्री त्रिपाठी जी भली प्रकार अवगत हैं। यह लाइन 4 दिसम्बर को बन्द कर दी गई थी क्योंकि प्रबंधकों के मतानुसार उनके पास धन नहीं है। आराहा–सासाराम तथा फतवा दोनों लाइनें ही पूरी तरह बन्द हैं। मेरे पास बहुत-से तार तथा पत्र आये हैं जिनमें कर्मचारी-नेताओं ने शिकायत की है कि उन्हें नवम्बर से उनकी मजूरी नहीं दी गई है। यात्री-गण भी भारी मुसीबत में हैं। जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप पर प्रबंधकों ने रेल-लाइन को चलाना तो स्वीकार कर लिया परन्तु कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया। उन्हें कहा गया कि प्रबंध बोनस अधिनियम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। बोनस की राशि घटा भी दी गई है मगर वह कम राशि भी अदा नहीं की गई है। जब कर्मचारियों के नेता मंत्री-गण से मिले थे तो मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करेंगे और यदि वह रेलवे लाइन ठीक से न चलाई गई तो फिर सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि उक्त लाइन को अपने हाथ में लिया जाये अथवा नहीं।

परन्तु वह लाइन नहीं चल रही है। कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने कुछ प्रदर्शन किये। जिला अधिकारियों के हस्तक्षेप पर गाड़ियां तो चलाई गईं परन्तु उनमें रोशनी तथा प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी। यह भी निर्णय किया गया था कि शाम छः बजे के बाद रेलगाड़ियां नहीं चलेंगी। परन्तु एक गार्ड की शिकायत है कि उसे अन्धेरे में बिना रोशनी ही गाड़ी चलाने को बाध्य किया गया। अतः उसने इन्कार कर दिया। अन्धेरे में गाड़ियां लूट भी ली जाती हैं। उस गार्ड को निलम्बित कर दिया गया तो कर्मचारियों ने फिर रोष प्रकट किया। बिहार राज्य के मंत्री के हस्तक्षेप पर निलंबन आदेश वापस लिया गया तथा 15 जनवरी तक पुरानी मजूरी अदा कर देने का आश्वासन दिया; परन्तु वह आश्वासन आज तक पूरा नहीं किया गया है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह तुरन्त ही इस मामले में हस्तक्षेप करके इस रेलवे को अधिग्रही करने का निर्णय करें क्योंकि यह रेल लाइन घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरती है और इसके बन्द हो जाने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों तथा आम लोगों को भारी कठिनाई होगी। राज्य सरकार तो इसे चालू रखना चाहती है। रेलवे प्रशासन शायद इसे एक बोझ समझ कर अपने अधिकार में नहीं लेना चाहता परन्तु सरकार को चाहिए कि वे इस लाइन का सारा ही बोझ रेलवे पर न डाले तथा कुछ बोझ स्वयं भी वहन करें।

मुनाफ़ाखोरी तथा शोषण पर आधारित हमारे वर्तमान पूंजीवादी ढांचे में आधारभूत परिवर्तन किया जाना चाहिये वरना हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर संकटग्रस्त होती जायेगी। अतः सरकार को चाहिए कि वह रेलवे को वित्तीय संकट से उबारे तथा सामाजिक बोझ को उस पर डालने की बजाये स्वयं उसे वहन करे। रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों को न्यायोचित मजूरी तथा बोनस और आर्थिक लाभ न देकर यह बोझ उन पर ही डाल रहा है क्योंकि उसे घाटा हो रहा है और वह कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं कर सकता। अत: यही तरीका अपनाया जाता है कि उनके आन्दोलन को कुचल दो। इसके लिये सरकार पुलिस बढ़ा कर तथा सेना बुला कर और इस प्रकार काफी धन खर्च करके कर्मचारियों तथा श्रमिकों के कर्मचारी संघीय अधिकारों का हनन तो कर डालेगी परन्तु रेलवे व्यवस्था का अच्छा विकास करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। सरकार को अपने इस रवैये में परिवर्तन करना चाहिए।

इन शब्दो के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने मित्र श्री समर मुखर्जी के विचारों से सहमत हूं। रेलवे वित्त के बारे में इस समिति ने इससे पहले भी अपने प्रतिवेदन में कुछ बातों की सिफारिश की थी। आम राजस्व की स्थिति बड़ी कठिन है। रेलवे को अपने वित्त की व्यवस्था स्वयं ही करनी चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि आज रेलों के समय पर चलने की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। आजकल रेलगाड़ियां विलम्ब से नहीं आतीं। परन्तु शाखा-लाइनों में अभी भी सुधार की जरूरत है। रेलवे में इस सुधार के लिए मैं मंत्री महोदय तथा रेल कर्मचारियों को बधाई देता हूं। अब प्रश्न यह है कि रेलवे को हमेशा घाटा ही क्यों होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पता नहीं यह घाटा वास्तविक है अथवा कृत्रिम हमेशा यह बताया जाता है कि रेल-किराये में वृद्धि की जा रही है। वर्ष 1947 से लेकर अब तक न जाने कितनी बार किराये में वृद्धि की गई है। किसी वर्ष विशेष में यदि घाटा को पूरा करने के लिए किराया बढ़ाने की बात तो समझ में आती है परन्तु यह तो हर वर्ष ही हो रहा है। आम लोगों को गत बीस वर्षों से इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी आय तो सीमित ही है।

मैं जानता हूं कि इस घाटे की स्थिति का सामना करने तथा संकट की इस स्थिति से बाहर निकलने के उपाय स्वरूप बहुत-से भ्रष्ट अधिकारियों को सहन किया गया है। इससे ईमानदार तथा कार्य कुशल अधिकारियो का मनोबल बढ़ा है। अत: रेलवे की आर्थिक स्थिति में सुधार इस पर भी निर्भर करता है कि भ्रष्टाचार तथा बेकार के खर्च को किस सीमा तक दूर किया जाता है।

मैं जानना चाहाता हूं कि रेलों में चोरियां रोकने के लिये गठित की गई समितियों के क्या परिणाम निकले। मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं कि रेलवे सुरक्षा बल की साठ-गांठ से अब भी चोरियां हो रही हैं। मैं रेलवे सुरक्षा बल के सभी कर्मचारियों को बेईमान नहीं कहता हूं उनमें ईमानदार लोग भी हैं, परन्तु कुछ लोग ठेकेदारों की सहायता से कोयला विभिन्न स्थानों को भेज रहे हैं। मैंने

लोगों को ठेकेदार द्वारा विक्रय के लिये चोरी का कोयला भेजते देखा है। कलकत्ता से आगे तक आसनसोल डिविज़न में माल डिब्बे तोड़े जाते हैं; मुग़लसराय तथा अन्य स्थानों पर एक गिरोह सक्रिय है। मुझे पता चला है कि कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली लोग इस गिरोह से संबंधित हैं तथा उनके पास पिस्तौलें तथा बन्दूकें हैं। आसनसोल में तो उनके पास स्टेनगनें भी हैं। भय के कारण कोई कुछ नहीं बोल पाता। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

सभा में सभी वर्गों के सदस्यों ने अनेक बार रेलवे बोर्ड को समाप्त करने पर जोर दिया है परन्तु इसे कम से कम पुनर्गठित तो किया ही जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों को यह महसूस कराया जाना चाहिए कि वे एक मंत्री के अधीन हैं। परन्तु मैं पंडित जी तथा उनके सहयोगी कनिष्ठ मंत्रियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने रेलवे बोर्ड के सदस्यों को अब यह महसूस करा दिया है कि वे और आगे देश को गुमराह नहीं कर सकते।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : आप यह सब कुछ बजट पर चर्चा के समय कह सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : रेलवे बोर्ड को समाप्त करने की बात तो कभी भी कही जा सकती है। आप इस में हमारा समर्थन करें। चाहे वह इसे भंग बजट के समय ही कर दें। इसका पुनर्गठन करने से बहुत पैसा बचेगा। बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को विभिन्न रेलवे में होने वाली घटनाओं के लिये उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

दिल्ली–सहारनपुर रेल लाइन रेल-यात्रियों के लिये एक वरदान थी परन्तु यह लाइन उत्तर प्रदेश के हाथ से चली गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब वहां बड़ी लाइन बिछाई जा रही है?

अन्त में मैं श्री समर मुखर्जी के इस विचार का समर्थन करूंगा कि सरकार रेल कर्मचारियो के विरुद्ध अदालती कार्यवाही पर बहुत अधिक धन खर्च कर रही है। अब जब कि रेलवे तथा रेल कर्मचारियों के मध्य अच्छे संबंध व्याप्त हैं, तो उन 980 कर्मचारियो को वापस काम पर ले लिया जाना चाहिए। यदि मिज़ो विद्रोहियों को सभ्य घोषित किया जा सकता, नागा विद्रोहियो को सीधे मार्ग पर लाया जा सकता है तो हम इन 980 कर्मचारियों के बारे में क्या कुछ नहीं कर सकते? क्यों अदालती कार्यवाही लम्बी की जा रही है? यदि मंत्री महोदय उन्हें वापस लेने का आश्वासन दें तो मैं भी उनकी ओर से आश्वासन दे सकता हूं कि वे भी अपने मुकदमें वापस ले लेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं समिति के प्रतिवेदन का समर्थन करता हूं तथा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यदि आज नहीं तो कम से कम नियमित बजट के दौरान मेरी इन कुछ बातों का उत्तर अवश्य दें।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): I rise to support the Resolution moved by Shri Qureshi, I wondered when I heard Shri Samar Mukherjee saying that there was no improvement in the Railways whereas the well-known fact is that a compared to other Departments. There has been far more improvement in the working of Railways. The trains are punctual everywhere, excepting in a few Branch-lines for which I would request the hon. Minister to look into and set the things right. There is no checking of ticketless travelling there and passengers are openly travelling without tickets. Necessary arrangements should be made to bring about efficient working in all the branches of Railways on the same footing.

[Shri D. N. Tiwari]

Also I wondered when Shri Samar Mukherjee said that the Railways should not give a part of their revenues to the General Revenues. After thousands of crores of rupees of the tax payers are invested in Railways and Railways should, by way of economy and efficiency save something and give to the General Revenues of the country. They can save from many items and if they don't do so that would mean that they are not working efficiently.

There are rampant pilferages in the Railways and at times such thefts etc. are done with the connivance of Railway employees. Coal is one of the major items. Railways should act to stop such pilferages.

Provision of adequate light for reading in the first class compartments of at least the express and other important trains should be restored. No doubt the efficiency of Railways has increased but such small things should also be cared for.

Railways should contribute something to the General Revenues by reducing their expenses.

Disputes involving railway-claims should be settled outside the courts as far as possible to avoid expenditure on litigation.

Trains under the light railway move very slowly. These lines should be converted into broadgauge lines or at least meter-gauge lines. Many people in the slow moving trains travel without ticket and that results in a big loss to the railways.

A retardation in the pace of improvement in the Railways is being noticed that should not be allowed. The Railway Board and other railway officers should remain alert in this respect.

There is no use of abolishing the Railway Board. After all some organisation is required to control the affairs in the railways. That may be a Railway Board or such a set up with a different name. Only the Railway Minister cannot look after the entire jobs. So, instead of abolishing any Board we should act in term of organising that in a proper way. An alert and efficient Minister like the one at the moment, would never allow the Railway Board to dominate over him.

Once again I would insist on that some contributions must come from Railways to the General Revenues.

With these words I support this motion.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): I would congratulate Pandit Kamlapati Tripathi for such a good improvement in the working of Railways. There was a time when the wagons were used as godowns for hoarding so as to result in a rise in prices. But now because of the ordinance and other effective measures, the wagons are supposed to be vacated within a specified time limit, and the result is that now more wagons are available and the transportation of goods has become more swift and timely.

There has been an investment of Rs. 3,000 crores in the Railways for the last 100 years. I want that atleast 10 percent of that amount i.e. about Rs. 300 crores every year should be contributed by Railways towards the General Revenues.

As regards giving more bonus to the railway employees, I would only say that let them earn more for railways and then get more for themselves also. For that they should ensure that there is no pilferage and the goods reach their destinations in their original conditions. This all is to be looked after by the staff who are now working quite efficiently during the emergency.

We should not criticise the Railway Board every now and then. Since it is now well under the Minister and in case the Board does not work effectively, it would mean that the Minister himself was not working efficiently.

Thank you.

Shri M. C. Daga (Pali): First of I would like to know as to who is responsible for this continuous deficit since 1965 in the Railways where about 14 lakh employees are working and which has a mamoth investment of several thousand crores of rupees ?

Shri S. M. Banerjee: Parliament !

Shri M. C. Daga: Why not you who had prompted the railway strike on May 8 which resulted into a big loss to the railways ?

The question is why this constant loss since 1965 ? One reason is that the passenger-traffic is decreasing. The other one is that there is more investment but less goods-traffic. Who would analyse all that.

The passenger traffic since 1950-51 has come down from 75·1 per cent to 51·1 per cent. Similarly goods traffic during this period has come down from 89·8% to 65·3%. Besides that thefts are still going on despite promulgation of emergency. Who is responsible for that still we are saying that improvement has come to the Railways. Let us go into deep to find out the real causes of constant deficit in the biggest service of public utility.

Shri S. M. Banerjee: On a point of order ! The hon. Member is making such an important point but both the Ministers are not taking note thereof. Is he speaking irrelevantly ?

Mr. Speaker: They are listening. Mr. Daga please conclude vour point quickly.

Shri M. C. Daga: Lakhs of wagons are lying idle for want of repairs and spare parts. May I know the number of such wagons which are not being repaired for want of spare parts.

Number of 1st Class passengers has gone very much down due to heavy increase in the fare for this class. Keeping seats and Sleepers both in the same compartment has also resulted in a big loss to railwavs.

Therefore the railways should first look into their shortcomings and remove them.

Order to the hawkers on all the stations to have new trolleys by 26th January 1976 is also quite unjust. What is the use of having new trolleys at the very small stations where no body comes down the train to eat anything ? And how would a poor hawker purchase a new trolley worth about Rs. 4,000 ?

On an earlier occasion also I had stated that the Railways are over-staffed by high officers. Similarly crores of rupees are spent on the formation of various Committees.

So such things should be looked into objectively. You please reduce 1st class fair since this class is enjoyed mostly by free pass holders or military officers. Why should you have airconditioned coaches. You propose to facilitate the poor but the benefit is going to we people. Attention should be paid to these things.

Shri R. P. Yadav (Madhepura): Sir, I rise to supppri the motions moved by Shri Shafi Mohd. Qureshi.

It is true that there has been an all-round improvement in the working of railways after the emergency upto 25th June, 1975. The reasons for late running of trains were the non-availability of spare-parts for the engine, and the bad-quality of coal, but all these difficulties disappeared the very next day after the emergency was promulgated on 26th June, 1975. That shows that all these later arrivals were man-made. No doubt the effect of emergency as well as the efficiency of the Minister of Railways has brought about improvement; but let me say that after a lapse of a few months, once again a slackness is gradually coming in the working there. Once again the punctuality is gradualling getting upset.

At the same time I would point out to the hon. Minister that the commitments made on the floor of the House in connection with railway strike in 1973 have not yet been fulfilled as a result of which those l as been a set back in the sense of confidence among the Railway employees in respect of Railway Administration.They feel that what is said by you here is not given a practical shape. It has been repeatedly said here that the persons against whom there are no charges of sabotage and violence, will be reinstated in service on their request but it has not been done so far. After all how long it will continue ? When your intention is clear then why not fix a date or say that those who have applied up till now and against whom there are no such charges will be freed. It is a matter of great regret that officers take revenge on the employees for personal grudge. I would like the hon. Minister to pay his personal attention to it.

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखेंगे । सभा मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 14.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

(लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past Fourteen of the Clock)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव अपना भाषण जारी रखेंगे ।

Shri R. P. Yadav : I was telling that the Railway Minister had made certain commitments on the floor of the House but those commitments were not followed and the result is that there has been loss of confidence between the Railway administration and the employees.

I want to give an example. The All India Railway Guards' Council launched a work-to-rule movement in March, 1974 and later on Qureshi Shaheb intervened and an agreement was reached with them in which it was said that they would get revised grades. It has not so far been implemented even after lapse of 22-23 months. The commitment made must be fulfilled.

So far as pilferage and thefts are concerned, no doubt the number has gone down considerably but the evil has not been completely eradicated. I would like to say that a panel of railway lawyers should be formed and in case any lawyer does not work properly, he can be replaced by somebody else.

Under the 20 point programme, several steps have been taken to give employment to the unemployed. The railways can help in this programme by giving contract of the canteens and refreshment rooms to these people.

There is no definite policy in regard to the transfer of employees. In most of the government departments an employee is transferred after three years service in a particular place. But this is not being done in the railways. This should be looked into.

The late Shri L. N. Mishra said in a public speech that a railway line would be provided between Dauram-Madhepura and Singheshwar by the coming February. Singheshwar is a religious place where a very big fair is held. Although the survey of this line has been completed there has been no further action in this regard. This line must be included in the coming budget.

उपाध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद रेलवे अभिसभय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में है । इसे रेलों के कार्यकरण पर सामान्य चर्चा नहीं बनाया जाना चाहिये ।

श्री एस० एन० सिंह देव (बांकुरा) : मैं इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता कि आपात स्थिति की घोषणा के बाद रेलवे प्रणाली और प्रशासन में महत्वपूर्ण तथा निश्चित सुधार हुआ है ।

बांकुरा जिले में बांकुरा-दामोदर नदी रेलवे नाम की एक छोटी रेलवे लाइन है । यह बहुत पुरानी है और घिसी-पिटी छोटी लाइन है । मुझे पता चला है कि प्रतिवर्ष 24 लाख रुपये का रेलवे को इससे घाटा होता है । इसको बड़ी लाइन में बदलने तथा दामोदर नदी पर पुल बनाकर इस लाइन को बर्दवान जंकशन से जोड़ने के लिए काफी मांग की जा रही है । इससे केवल रेलवे की आय ही बढ़ेगी अपितु इससे उस क्षेत्र के लोगों को, जो अधिकांशतः समुचित संचार व्यवस्था के अभाव के कारण पिछड़े हुए हैं, भी काफी मदद मिलेगी ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह कोटसिला जंकशन और पुरुलिया जंकशन के बीच 24 कि० मी० लम्बी छोटी लाइन हैं । इसे बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये जो रांची को कलकत्ता से बारास्ता पुरुलिया सीधे जोड़ेगी । रांची और पुरुलिया के बीच यह सबसे कम दूरी है । जहां तक मुझे पता है इस सम्बन्ध में आवश्यक सर्वेक्षण कार्य आदि पूरा हो चुका है । इससे क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I welcome the motion moved by Shri Qureshi wholeheartedly. The late Shri L. N. Mishra had promised to convert the metre gauge line connecting Muzaffarpur with Darbhanga *via* Motihari and Sugauli into a broad gauge line. But this has not been done so far. This matter should be looked into.

The construction work of Bagaha railway bridge is going on very slowly; it should be speeded up. After completion of this bridge 50 miles of distance will be reduced.

The monopoly of A. H. Wheeler in the railways should be ended and this work should be entrusted to unemployed graduates. A railway bridge should be constructed at Patna for the convenience of the people of North Bihar.

So far as pilferage is concerned, I would like to say that instructions should be issued to staff to maintain the progress achieved.

The branch lines are not being properly looked after. There are no arrangements for water and light in the night train running between Muzaffarpur and Motihari. The Minister should pay attention to these things.

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : I suppprt the resolution moved by the Hon. Minister regarding the recommendations made by the Railway Convention Committee. Keeping in view the huge investment and the number of persons working in the railways, the department of railways should run on the lines of other industries and efforts should be made to pay dividend after earning profit as is being done by other industries. It does not seem proper to keep such a small amount in Reserve Fund keeping in view the investment to the tune of Rs. 3000 crores.

No doubt there has been considerable improvement in the running of railways during the last few months. The trains are running according to the schedule, goods traffic has increased and difficulty faced in transportation of coal is not seen now. The Railway Minister deserves to be congratulated for this.

The late Shri L. N. Mishra had promised a passenger train service from Dhanbad to Sindri but this promise has not so far been fulfilled. This should be looked into.

It has been repeatedly said in the House about those employees who had lost their jobs during the 1974 strike that such persons would be taken back agajinst whom there are no charges of sabotage or violence. The number of such persons is about 900. They should be reinstated soon.

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : रेलवे के कार्य के बारे में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। यह रेल कर्मचारियों के, चाहे वे रेलवे बोर्ड में हों या रेल पटरी पर काम करने वाले गैंगमैन ही क्यों न हों, अनथक प्रयत्नों के बिना सम्भव नहीं था। कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा तथा अनुशासन के कारण ही रेलवे की कुशलता बढ़ी है। मुझे आशा है कि उनके सहयोग से हम यह कुशलता बनाये रखेंगे।

रेलवे अभिसमय समिति 1924 में बनी थी। इस समिति के गठन का उद्देश्य रेलवे और सामान्य अर्थ व्यवस्था के बीच अर्थ-व्यवस्था पर नये सिरे से विचार करना था और सामान्य राजस्व में कितना लाभांश दिया जाना चाहिये और सरप्लस होने पर उसे सामान्य अर्थ-व्यवस्था तथा रेलवे में कैसे बांटा जाना चाहिये। उसके बाद 1954, 1960, 1955 और 1971 में समिति द्वारा सारे मामले की समीक्षा की गई। वर्तमान समिति के सिफारिशें अब सदन के विचाराधीन हैं।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि रेलवे परिचालन में कुशलता काफी बढ़ी है। आज हमारी वर्कशापों से अधिक माल-डिब्बे चालू लाइन पर प्रयोग में लाने हेतु, भेजे जा रहे हैं। यह कुशलता 33 प्रतिशत बढ़ी है। दिसम्बर, 1975 में बड़ी लाइन पर प्रति दिन 25,150 वैगनों का प्रारम्भिक लदान हुआ जो एक रिकार्ड है जबकि नवम्बर, 1974 में 24100 वैगनों का लदान हुआ था। इसी प्रकार यात्री यातायात में भी वृद्धि हुई। यह कहना गलत है कि माल यातायात और यात्री यातायात कम हुआ है।

सदन में दोनों ओर के सदस्यों ने 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के साथ हुए व्यवहार का उल्लेख किया है। मैंने सभा में यह बात स्पष्ट की है कि हमारी नीति अपने कर्मचारियों से बदला लेने की नहीं है। यह सच है कि हमारे कुछ कर्मचारी कतिपय नेताओं द्वारा गुमराह किये गये। उन नेताओं के मन्तव्य कुछ और थे और सम्भवत: वे रेल कर्मचारियों का भला नहीं चाहते थे। बर्खास्त किये गये अथवा नौकरी से निकाले गये कुल 16,898 कर्मचारियों में से 16,057 कर्मचारियों को वापस नौकरी में ले लिया गया है। शेष 841 कर्मचारी रहते हैं जो कुल कर्मचारियों का 5 प्रतिशत है। यह कुल संख्या का 5 प्रतिशत है। 456 लोगों ने अपीलें कर दी हैं और 315 व्यक्तियों के मामले शेष में हैं। अब बहत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें रेलवे में नौकरियां नहीं मिलेंगी। इन में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हत्या, तोड़फोड़ तथा हिंसा के आरोप हैं और इनके मामले अदालतों में न्यायाधीन हैं। यदि अदालतें उन्हें दोषी सिद्ध करती हैं तो इन लोगों को रेलवे की नौकरियों में नहीं लिया जा सकेगा।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : There are some people belonging to Dhanbad against whom there are no charges of sabotage and violence. You are not prepared to take them into service.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं तत्सम्बन्धी आंकड़े दे चुका हूं। यदि माननीय सदस्य हमें इस प्रकार के मामले बतायें तो हम उन्हें वापिस नौकरी में ले लेंगे। मैं इस बात को अनेक बार स्पष्ट कर चुका हूं कि हम किसी कानूनी प्रश्न को लेकर ही अपीलें करेंगे तथा उच्चतम न्यायालय से स्पष्ट निर्णय लेंगे।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : नौमोतिक श्रमिकों के बारे में क्या स्थिति है .... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन श्रमिकों ने भी 1974 की हड़ताल में भाग लिया। इन श्रमिकों ने अपनी नौकरियां स्वयं ही समाप्त कीं। जब कभी भी कहीं काम शुरू होगा हम इन श्रमिकों को सेवा में लेंगे। इस समय इनके लिये हमारे पास कोई काम नहीं है।

आराह-सरफरम्प लाईट रेलवे के बारे में यह कह चुका हूं कि यह रेलवे कम्पनी जिला अधिकारियों के साथ हुये एक करार के अन्तर्गत चल रही है । केन्द्रीय सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है । इस कम्पनी के बंद होने की सम्भावना का पता चलने पर केन्द्रीय सरकार ने इस कम्पनी के साथ 1 अप्रैल, 1975 से एक तीन वर्षीय वित्तीय करार किया । आशय है कि इन तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अपनी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार कर लेगी । इस समय इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री समर मुखर्जी : यह कम्पनी 4 दिसम्बर से बंद थी । लोगों की मजदूरी देने के लिये इसे कुछ दिन बाद चलाया गया । उन्हें दो महीनों से कोई पैसा नहीं दिया गया । कम्पनी की गाड़ीयां अब भी चल रही हैं लेकिन इनमें रोशनी का कोई इंतजाम नहीं । 6 बजे शाम के बाद गाड़ियां नहीं चलती ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं कह चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस कम्पनी को 2.5 लाख रुपये दिये हैं । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं ।

श्री समर मुखर्जी : इस रेलवे को सरकार अपने नियंत्रण में ले ले ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : जहां तक फतना-इस्लामपुर लाईट रेलवे कम्पनी का सम्बन्ध है, सरकार ने इस कम्पनी से एक करार कर रखा है । इस रेलवे का कार्यकरण संतोषजनक रहा है और कम्पनी इसे बिना कठिनाई के चला रही है । अतः इस समय इसका राष्ट्रीयकरण जरूरी नहीं है ।

श्री समर मुखर्जी : यह बात सच नहीं है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं आपको तथ्य ही बता रहा हूं ..... (**व्यवधान**) यह बात ठीक है कि 1965 के बाद कुछ माल का परिवहन सड़क द्वारा होना शुरू हुआ है । हम इस सम्बन्ध में प्रतियोगिता करना उचित नहीं समझते । पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क द्वारा ही माल भेजना आर्थिक दृष्टि से उचित है सड़क परिवहन तथा रेलवे के बीच पूरा तालमेल है । रेलवे ने राज्य सड़क परिवहन निगमों से वित्तीय करारों के द्वारा सम्पर्क कर रखा है । वर्ष 1972-73 के अन्त तक रेलवे ने राज्य परिवहन निगमों में कुल 35.14 करोड़ रुपये लगाये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश दर तथा रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य सम्बन्धित मामलों के पुनर्विलोकन के लिए नियुक्त समिति के 11वें प्रतिवेदन के, जो 9 जनवरी, 1976 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 4, 5, 15, 16, 17 और 23 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है ।"

"कि यह सभा यह भी निदेश देती है कि इस प्रतिवेदन तथा आठवें और नौवें प्रतिवेदनों में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही समिति को सूचित की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य), 1975-76
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1975-76

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1975–76 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांग (सामान्य) प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रुपये	रुपये
1	2	3	
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय :		
1	कृषि विभाग	10,00,000	
6	खाद्य विभाग .	17,55,000	
	वाणिज्य मंत्रालय ।		
11	वाणिज्य मंत्रालय .	19,62,000	..
12	विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	1,16,04,000	65,02,00,000
	रक्षा मंत्रालय :		
19	रक्षा सेवाएं—थल सेना	92,12,13,000	
20	रक्षा सेवाएं–नौसेना	5,15,11,000	
21	रक्षा सेवाएं—वायु सेना . .	11,29,70,000	
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय :		
24	शिक्षा विभाग . .	8,00,000	
	ऊर्जा मंत्रालय :		
27	ऊर्जा मंत्रालय .	89,000	
28	विद्युत विकास . . .	15,00,00,000	..
29	कोयला और लिगनाइट . .	50,00,000	4,50,00,000
	वित्त मंत्रालय :		
41	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय .		3,12,50,000
	गृह मंत्रालय :		
52	दिल्ली .		7,50,00,000
	उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय:		
59	उद्योग . . .		20,00,00,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय :		
63	सूचना और प्रचार . .	1,000	

1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय :	रुपये	रुपये
69	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय .	4,73,000	
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय :		
77	पत्तन, प्रकाशस्तम्भ और नौवहन .	7,87,87,000	24,73,00,000
78	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	..	2,19,21,000
	इस्पात और खान मंत्रालय :		
79	इस्पात विभाग . .	..	9,94,00,000
80	खान विभाग . .	1,00,000	..
81	खान और खनिज .	1,00,00,000	8,10,00,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय :		
84	पुनर्वास विभाग .		45,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग :		
95	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं .	1,65,00,000	10,00,000
96	आणविक शक्ति योजनाएं	9,00,000	28,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग :		
103	अन्तरिक्ष विभाग . .	1,00,00,000	1,25,00,000

श्री बी० एन० रेड्डी :(निरयलगुडा) : अनुपूरक मांगों पर बोलते हुए मैं आंध्र प्रदेश में व्याप्त स्थिति की चर्चा करना चाहूंगा । वहां सरकार आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुये कर्मचारियोंकी सही मांगों को ठुकरा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक मांगों में उल्लेखित विषयों पर ही बोलें ।

श्री बी० एन० रेड्डी : जिन घटनाओं की चर्चा मैं कर रहा हूं, वे गृह मंत्रालय के कार्यकरण से सम्बन्धित हैं । आंसुका का उपयोग सी० पी० एम० दल तथा इसके नेताओं को कुचलने के लिये किया जा रहा है । हैदराबाद के आई० डी० पी० एल० कारखाने में चार हजार कर्मचारी काम करते हैं । इस कारखाने ने 4.7 करोड़ रुपये का लाभ कमाया । कर्मचारियों ने बोनस की मांग की । कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के बजाये सारे कारखाने को पुलिस के हवाले किया गया जिसने वहां अश्रुगैस छोड़ी तथा 150 व्यक्तियों पर फौजदारी मामले चलाये गये तथा 25 लोगों को नजरबन्द किया गया ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ हैदराबाद के तीन हजार कर्मचारियों ने भी बोनस की मांग की थी । लेकिन बोनस देने के बजाय पुलिस ने संघ के महासचिव को आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया । आठ अन्य नेताओं को भी जेल में डाला गया । एक अन्य कारखाने के पांच हजार कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है । इसके नेताओं की अन्धाधुन्ध गिरफ्तारी की जा रही है । मेरे राज्य में 20 सी० पी०एम०

[श्री वी० एन० रेड्डी]

नेताओं को गिरफ्तार किया गया है । यह सब प्रधान मंत्री के उस आश्वासन के विपरीत है जिसमें कि यह कहा गया था कि आंसुका का उपयोग राजनैतिक दलों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा । अभी हाल में मेरे जिले नलगौंडा में 6 राजनैतिक हत्यायें हुई हैं ।

समूची कृषि मार्केट संकट में है जो मध्य वर्ग तथा गरीब किसानों के हितों के लिये घातक है ।

उपाध्यक्ष महोदय: अनुपूरक मांगों पर चर्चा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिये कि हम केवल उन्हीं मांगों की चर्चा करें जो अनुपूरक मांगों की सूची में दर्ज हैं । मांग संख्या 51 का तो सूची में जिक्र तक नहीं है । मांग संख्या 52 प्रशासन सम्बन्धी गृह मंत्रालय की मांग है । जिसका आंध्र प्रदेश से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपने आपको केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते सम्बन्धी मांग संख्या 11 तथा मांग संख्या 1 तक सीमित रखूंगा । मांग संख्या 1 राष्ट्रीय कपड़ा निगम से सम्बन्धित है । इस सदन तथा अखिल भारतीय कपड़ा समिति में यह मांग की गयी है कि संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को सरकार अपने नियंत्रण में ले ले । यह भी मांग की गयी थी कि लक्ष्मी रतन कपड़ा मिल तथा अर्थतन वैस्ट मिल्ज को सरकार अपने नियंत्रण में ले ले । मैं उपमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस मांग का क्या हुआ ?

भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने भी मेरे उस विचार का समर्थन किया था और अब स्वयं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी 10 जनवरी, 1976 को अपने एक पत्र द्वारा मुझे यह सूचित किया है कि लक्ष्मी रतन एथरटन वेस्ट मिल्स तथा कानपुर जूट उद्योग के बन्द होने के बारे में राज्य सरकार को भी चिन्ता है तथा अब इस संबंध में केन्द्र सरकार से अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है ।

जबकि राज्य सरकार ने इन एककों का अधिग्रहण करने की सिफारिश की है, जबकि सर्वोच्च निकाय ने भी दलगत अथवा व्यापार-संघों की भावनाओं से हट कर संयुक्त रूप से एकमत होकर इन एककों को सरकारी अधिकार में लेने की सिफारिश की है तथा जबकि स्वयं प्रधान मंत्री ने कानपुर के 10,000 श्रमिकों को गलियों में भूखों मरने से बचाया है, फिर भी सरकार का रवैया इतना हठधर्मी पूर्ण क्यों है ? मैं स्पष्ट रूप से उत्तर चाहता हूं कि इन तीनों एककों, जिनके अध्यक्षों ने ही स्वयं उनके साथ कपट किया है, राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिग्रही कर लिये जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय: इसकी संबंधित मांग से कोई संगति नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : थोड़ी-सी है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इन मिलों को सरकार के अधिकार में ले लें ।

मेरी दूसरी बात, मांग संख्या 11 के संदर्भ में केन्द्रीय सरकारी कमचारियों को महंगाई भत्ते की छठी किस्त देने के बारे में है जोकि बहुत दिनों से देय है । हाल ही में आयकर कर्मचारियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया गया । उसकी मुझे खुशी है क्योंकि इससे कर्मचारियों को और अधिक उत्साह से काम करने की प्रेरणा मिलेगी । परन्तु केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने भी आपति स्थिति से पूर्व तथा बाद में बहुत अच्छी तरह काम किया है तो फिर उन्हें महंगाई भत्ते की छठी किश्त की अदायगी क्यों नहीं की जाती । वह अदा की जानी चाहिये ।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि देश में सरकारी पेन्शनधारियों की स्थिति अत्यन्त खराब है । हम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पांच किश्ते दे रहे हैं परन्तु उन्हें कुछ नहीं दिया गया है । मुझे बताया गया था कि सरकार इस संबंध में कोई निर्णय कर रही है, मेरा अनुरोध है कि सरकार यहां

घोषणा करे कि पेन्शनरों को कुछ वित्तीय लाभ देकर उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री इराज्मु द सेकैरा (मारमागोआ) : आज कल जबकि कांग्रेस दल के भीतर व्यप्त आपातस्थिति का मुकाबला करने के उद्देश्य से देश में आपात-स्थिति के माध्यम से संविधान के उपबन्धों का दुरुपयोग करके भी सरकार धड़ल्ले से कहती है कि वह संविधान का अनुसरण कर रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार हमें इस सभा में अपना बहान दायित्व पूरा करने से रोककर हमें सरकार के खर्चे पर अंकुश रखने से रोक रही है ।

आप मांग संख्या 78, पृष्ठ पर देखें । बजट पेश करते समय सरकार ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन को ऋण के लिये 208 लाख रुपये की व्यवस्था की थी परन्तु अब वह 427.21 लाख रुपये की अर्थात दुगने धन की मांग कर रही है । इस प्रकार सरकार के खर्चे पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है ।

पृष्ठ 30 पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिये अतिरिक्त पूंजी के लिये 28.71 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था और उस समय सरकार ने केवल 28.71 करोड़ रुपये मांगे थे । परन्तु अब वह कहते हैं कि वह राशि गलत थी, उन्हे तो 48.71 करोड़ रुपये ही चाहियें । इस प्रकार सरकार इस सभा के साथ व्यवहार करती है तथा सभा को सही स्थिति से अवगत रखने की कोई परवाह नहीं करती है ।

पृष्ठ 25 को देखकर आप पायेंगे कि कोयले के बढ़े हुए मूल्यों को प्रभावी करने में विलम्ब के कारण भारत कोकिंग कोल को नकद 12.20 करोड़ रुपये की हानि हुई । समय की उपेक्षा तथा निर्णय लेने में विलम्ब करना, क्या इस ढंग से सरकार देश को चला रही है ।

अब कृपया पृष्ठ 14 देखिये । हम सुन रहे हैं कि सरकार विकास-शील देशों के हितों की रक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कितना कठोर परिश्रम कर रही है । इस वर्ष वह रुपया अदायगी खाते में सोवियत संघ को 305.02 करोड़ रुपये को अग्रिम राशि दे रही है । क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत जैसा एक विकास-शील देश सोवियत संघ जैसी सुविकसित एक महान शक्ति को इतनी बड़ी अग्रिम बुकिंग राशि देगा हम लोग प्रचार कुछ करते हैं और करते कुछ और ही हैं ।

अब पृष्ठ 10 पर दृष्टि डालें । हम तो बात किफायत की करते हैं परन्तु हमें बताया यह जाता है कि निर्यात प्रयासों के सम्बन्ध में मंत्रालय में बढ़े हुए काम तथा और अधिक संख्या में प्रतिनिधित्व मण्डलों को विदेश भेजने के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था करना जरुरी है । प्राय: हम हवाई अड्डों पर देखते हैं कि भारत के कितने ही नोकरशाह तथा मंत्रीगण विदेशों का दोरा कर रहें हैं । यह प्रवृत्ति रोकी जानी चाहिये ।

पृष्ठ 34–35 पर भारतीय संचार केन्द्र के लिये सहायता अनुदान की मांग की गई है ताकि राष्ट्रीय उपलब्धियों के बारे में सूचना पहुंचाने के लिये संचार व्यवस्था बनाई जा सके । परन्तु मैं यहां कहना चाहूंगा कि विशेषकर इस आपात स्थिति की घोषणा के बाद से देश के संचार साधनों का उपयोग राष्ट्रीय उपलब्धियों को प्रभावित करने की बजाय शासक दल को दृढ़ करने के लिये किया जा रहा है और इसके हितों को देश के

[श्री उपाध्यक्ष महोदय]

हितों के समकक्ष रखा जा रहा है । चण्डीगढ़ में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन में भी यही विचार धारा पायी गई कि देश और शासक दल को समान रूप से मान्यता दी जाये। मेरे विचार से यह अत्यन्त खतरनाक दृष्टि कोण है क्योंकि जब तक हमारा लोकतंत्र में विश्वास है तब तक हमें यह सोचना चाहिये शासक दल सरकार को तो संचालित करता है परन्तु वह स्वयं सरकार नहीं है ।

अतः यदि सरकार सभा को यह विश्वास दिलाती है कि वह संवैधानिक ढंग से काम कर रही है तो उसे शासक दल तथा देश के हितों को मध्य भेद रखना चाहिये तथा साथ ही सरकार के हितों को भी दलगत हितों से भिन्न रूप में रखना चाहिये।

मांग संख्या 79 गोआ में निर्मित किये जाने वाले ये पेले टाइजेशन संयंत्र के बारे में है । इस संयंत्र के स्थान के बारे में गोआ निवासियों में, विशेष कर सिरोधा गांव के लोगों में भारी असन्तोष व्याप्त हैं । उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है । परसों जब राष्ट्रीपति वहां गये तो लगभग एक सौ लोगों ने काले झण्डे लेकर शान्तिपूर्वक प्रदर्शन किया और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया क्या लोकतंत्र की रक्षा करने का यही तरीका है ? यदि एक सौ लोग काले झण्डे लेकर शान्तिपूर्वक खड़े हो जायें तो क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए । क्योंकि वे लोग भी कोई न्यायोचित आधार लेकर इस संयंत्र के स्थल के प्रति विरोध व्यक्त कर रहे हैं । सरकार उनकी बात तो सुने और इस पर विचार करे ।

Shri Hari Singh (Khurja) : Mr. Deputy Speaker I rise to support the Demands and also to congratulate the Departmentas well as the Ministers for their commendable efforts in improving our economy and putting the country on a strong economic footing as a result of which the country would achieve prosperity and a new wave of social life.

In respect of the Demands concerning Agriculture provisions have been made to advance loans to the farmers for inputs etc. It is a very legitimate demand as it would not only help increase agricultural production but would also generate more enthusiasm among the farmers.

I would like to remind the Government that U.P. Sugar mills owe an amount of Rs. 14 crores to the farmers of U.P. The Government should arrange for the payment to these farmers.

As regards new services of Tobacco Board. I support the grant but we should not ignore the fact that crores of rupees are going out of the country. The vigilant eyes of the Ministry of Finance should also fall on the tobacco industry. We should nationalise all tobacco and cigarette companies. Then there would be no need for placing supplementary demands. However, I am happy that all of our public undertakings are running in profit these days.

Finally, I support the demand of D.A. instalment to Central Government employees but certainly I would say that the employees should be aksed to work more efficiently. Also the disparities in the pay scales should be reduced to a ratio of not more than 1:10. Only then we could be able to bring real socialism.

With these words I support these demands for grants.

Shri M. C. Daga (Pali) : Sir, in regard to rehabilitation it has been said that a number of refugees who have come to India after 1971 do not want to return. Government are spending huge sum of money on them for the last five years. How long will it go on ? Either they should be rehabilitated or some arrangements should be made for them so that they do not waste their life in refugee camps.

As regards self-sufficiency in respect of steel, I have read that the annual stainless steel imports are about 10,000 to 12,000 tons worth Rs. 10 to 12 crores and that imports are required to meet the gap between the demand and supply.

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस मांग का जिक्र कर रहे हैं उसका उल्लेख किस पृष्ठ पर है ?

श्री मल चन्द डागा : आयात तथा निर्यात, वाणिज्य मंत्रालय पृष्ठ 9-10 मांग संख्या 12 जिसका सम्बन्ध विदेश व्यापार तथा निर्यात से हैं.....मैं औद्योगिक सहकारी समितियों के संदर्भ में बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

Shri M. C. Daga: My point was that we should reorient our export and import policy and also there should not be so frequent changes every now and then in the notices issued after April 1.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा में भाग लेते समय मैं आप द्वारा निर्धारित मार्ग दर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करने का प्रयास करूंगा। कृषि और खाद्य संबंधी मागों के संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान बहुत दिनों से अनिर्णित पड़े नर्मदा जल-विवाद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जोकि अब एक ट्रिबुनल के निर्माणाधीन है। राष्ट्र-हित के लिये यह विवाद शीघ्र ही समाप्त होना चाहिये क्योंकि एक ओर तो सिंचाई और जल-सप्लाई की भारी मांग है और दूसरी ओर यह महत्वपूर्ण मामला अभी विवादस्पद ही पड़ा है। यदि नर्मदा जल-विबाद शीघ्र ही मंत्रीसूर्ण तथा न्यायपूर्ण ढंग से हल न हुआ तो इसका जल किस प्रकार राजस्थान और गुजरात में पहुंचेगा। सरकार सिंचाई कार्यों के विकास तथा कृषिहेतु जल-सप्लाई की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रहित में इस विवाद को शीघ्र ही हल करे।

विदेश व्यापार तथा निर्यात संबंधी मांग संख्या 12 के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि कच्छ में कांडला स्वतंत्र व्यापार ज़ोन का उद्देश्य निर्यात-संबर्द्धन होते हुए भी तत्संबंधी लक्ष्यों को पूरा न करने के लिये यहां शासक दल तथा विपक्षी दल के अनेक सदस्यों की शिकायत बनी रही है। विशेषकर हस्त-शिल्पों के संबंध में सरकार को निश्चय ही उनके निर्देशों में निर्यात की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये जहां कि इन की बहुत मांग है। मैंने कच्छ के गांवों तथा अन्यत्र हस्तशिल्प का सर्वोत्तम उत्पादन देखा है परन्तु वहां के लोगों की शिकायत है कि हालांकि वे लोग बहुत ही बढ़िया माल तैयार कर सकते हैं परन्तु फिर भी उनके लिए कोई मार्केट नहीं है और भारत सरकार तथा वाणिज्य मंत्रालय ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है जिससे कि उनके माल को तेजी से निर्यात किया जा सके। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस विशिष्ट मामले पर ध्यान दे।

विद्युत-प्रजनन संबंधी (मांग संख्या 28 के बारे में मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या वह देश में विद्युत-प्रजनन के स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति सचेत है। मेरे विचार से इसके लिये केवल तदर्थ आवश्यकता के आधार पर केवल पदर्थ प्रबंध ही किये जाते हैं। यदि हमें पता लग जाये कि अमुक मात्रा में देश को ऊर्जा की आवश्यकता है तो फिर भी दस राज्य विद्युत बोर्डों के लिये तथा अतिरिक्त विद्युत केन्द्रों के लिये बेहतर संसाधन जुटाने की बात क्यों नहीं सोचते? इसके संबंध में मैं एकबारफिर पूरी शक्ति से अनुरोध करूंगा कि गुजरात में एक परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए मेरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में पहले ही से कुछ कर रहीहै और यदि ऐसा है तो फिर इसमें विलंब क्यों किया जा रहा है ?

उद्योगों अर्थात राष्ट्रीय कपड़ा निगम संबंधी मांग संख्या 59 के संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान न केवल बड़ौदा के रुग्ण एकक प्रिय लक्ष्मी मिल की ओर बल्कि देशभर के अन्य समी ऐसे एककों

की ओर आकृष्ट करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या कपड़ा निगम इन को अपने प्रबंधाधीन लेगा ताकि श्रमिकों को हानि न पहुंचे ।

अन्त में, सूचना और प्रचार संबंधी मांग संख्या 63, जिसमें सूचना केन्द्रों का जिक्र है, मैं जानना चाहूंगा कि ये केन्द्र वस्तुत : क्या कार्य करते हैं । आज तो सूचना केन्द्रों द्वारा सूचनाओं के प्रभार की बजाये सूचनाओं को दबा लेने के लिये सैंसर केन्द्र कार्य कर रहे हैं ताकि देश के लोगों को सही जानकारी न मिल सके । इस प्रकार सभी प्रकार की अफवायें फैलाई जाती हैं । अत : यदि श्रव्य दृश्य प्रभार निदेशालय को प्रचार माध्यम बनाना है तो उसे वास्तविक सूचना प्रचार का माध्यम बनाया जाना चाहिये केवल सरकारी प्रचार का माध्यम नहीं । यदि सूचना केन्द्रों ने सही भावना में कार्य करना है तो डी०ए०वी०पी० विज्ञापनों पर धन खर्च न करके इन्दी केन्द्रों द्वारा देश को गतिविधियों का सही जानकारी प्रचारित की जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मांग संख्या 82 तथा 84 पुनर्वास विभाग से संबंधित हैं । यहां तथा पश्चिम बंगाल में कई बार आश्वासन दिया गया है कि भूमि पर काम करने वाले शरणार्थियों को स्थायी अधिकार.....

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था रखिये । आपके दल के नेता बोल चुके हैं और इस विषय का संबंध अनुपूरक मांगों से नहीं हैं । अब मंत्री महोदय बोलेंगे ।

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने आरंभ में ही सदस्यों को यह स्मरण करा दिया कि उन्हे अपनी चर्चा को कतिपय नियमों के अन्तर्गत ही सीमित रखना चाहिए । इसमें हमें भी बहुत सहायता मिली है तथा समय को भी काफी बचत हो रही है ।

नव वर्ष पर जब हम पुराने परिवेष से निकल कर नये परिवेश में पदार्पण करते हैं तो हम सुखपूर्ण नये विचारों के साथ नई आशायें संजोते हैं और बेहतर तरीके से सहयोग के साथ एक साथ काम करने की शुभ कामना करते हैं । कटु आलोचनाओं तथा देश को बुरी अर्थव्यवस्था तथा मुद्रास्फोति आदिका वर्ष समाप्त हो गया है और अब नये वर्ष का प्रारंभ हम नई सुखदुख आशाओं तथा विश्वास और परस्पर सहयोग की भावना के साथ आरंभ कर रहे हैं ।

श्री सेकैरा न केवल एक महान गणितज्ञ हैं बल्कि ये एक अर्थशास्त्री भी हैं क्योंकि उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व एक वैकाल्पिक बजट भी पेश किया था । अब वह कहते हैं कि हमने केवल अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये ही आपात-स्थिति लागू की है तथा हम सभा को गुमराह कर रहे हैं जिन्होंने यह भी कहा है कि हम कार्यों में विलंब करते हैं तथा हमारी अनेक कमजोरियां हैं निश्चय ही हम जानते हैं कि हमें अपनी अनेक चीजों में सुधार करना है तथा साथ ही अर्थव्यवस्था में भी बहुत सुधार करने की गुंजाइश है परन्तु हम उनको क्या अन्य सदस्यों को यह बताना चाहेंगे कि सभा को गुमराह करने की न तो हमारी मंशा अब है और न हो कभी रही है और भविष्य में भी हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे । यदि वह देख, सुन और समझ सकते हैं तो वह देख सकते है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार किया है और देश की भी स्थिति को भी सुधारा है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री एस० एम० बनर्जी ने महंगाई भत्ते के बारे में कुछ बातें कही हैं। यह सच है कि महंगाई भत्ते की पांच किश्तें दी जा चुकी हैं और छटी किश्त के लिये मांग की जा रही हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है। इस पर विचार करते समय हमें वसूली बजट व्यवस्था तथा वित्तीय स्रोत जुटाने संबंधी स्थिति को भी ध्यान में रखना होता है तथापि सरकार इस पर विचार कर रही है। यह भी सच है कि पेंशनधारियों के लिए भी महंगाई भत्ते की चार किश्ते देय हो गई हैं। सरकार इस प्रश्न पर भी विचार कर रही है। परन्तु मैं सभा को यह याद दिला देना चाहती हूं कि महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किश्त देने के लिये राजकोष पर 47 से 50 करोड़ रुपये का भार पड़ता है। यह एक बहुत बड़ी राशि है और बजट पेश करते समय इस पर विचार किया जायेगा। वैसे अब भी सरकार इस पर विचार कर रही है।

गोआ में पैलेराइजेशन संयंत्र की स्थापना हम सब के लिये अत्यन्त हर्ष का विषय हैं क्योंकि इस से न केवल भारी मात्रा में बिदेशी मुद्रा की आय होगी बल्कि उससे हमें नवीनतम तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी और अपने उत्पादों के लिये मंडी उपलब्ध होगी। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस विशिष्ट मद पर आपत्ति नहीं करेंगे।

एक प्रश्न कपड़ा मिलों के बारे में उठाया गया था। यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना रुग्ण मिलों के जीर्णोद्धार अथवा उनके नवीकरण के लिये की गई थी और केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं वरन् श्रमिक कल्याण में विश्वास रखने वाले सभी लोग इन मिलों के श्रमिकों के कल्याण मे रुचि रखते हैं। इन सभी बातों पर प्रधान मंत्री के साथ भी बातचीत हुई थी और वाणिज्य मंत्रालय ने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया है। इसमें बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है।

19 रूग्ण मिल बंद कर दिये गये थे। यदि राष्ट्रीय कपड़ा निगम उनका अधिग्रहण करले तो उसे भारी धनराशि का बोझ उठाना पड़ेगा। जिन दो मिलों का विशिष्ट रूप से जिक्र किया गया है उन पर ही 7.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा 5000 लोगों का श्रम लगेगा। सरकार इस समय उस संबंध में विचार कर रही है।

तकनीकी किस्म के ऋण का यहां पुनः हवाला दिया गया है। ये सब तो निर्यात संबर्द्धन के तरीके हैं। वह इस पर क्यों आपत्ति करते हैं? इन से तो सोवियत संघ को हमारे निर्यात के रास्ते खुलेंगे। ऐसे उपायों का तो हमें स्वागत करना चाहिये।

नर्मदा जल-विवाद की ओर आपने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है और मुझे विश्वास है कि सरकार इस संबंध में कार्यवाही करेगी।

विद्युत को निश्चय ही प्राथमिकता दी जा रही है। मांग संख्या 52 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने कहा था कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के काम की गति वास्तव में ही बहुत धीमी है और उसको कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि तथा अन्य दायित्वों को पूरा करने के कारण न केवल हानि ही हुई थी बल्कि कुछ अन्य कारणों के फलस्वरूप भी इस संस्थान को और अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं समझती हूं कि सदन एकमत से अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1975–76 के लिये निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक माँगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

The following Demands for Grants (General) for the year 1975-1976 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2		3
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय :		
1	कृषि विभाग	10,00,000	—
6	खाद्य विभाग	17,55,000	—
	वाणिज्य मंत्रालय :		
11	वाणिज्य मंत्रालय . .	19,62,000	—
12	विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	1,16,04,000	65,02,00,000
	रक्षा मंत्रालय :		
19	रक्षा सेवाएं—थल सेना . .	92,12,13,000	—
20	रक्षा सेवाएं—नौसेना . .	5,15,11,000	—
21	रक्षा सेवाएं—वायू सेना . .	11,29,70,000	—
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय :		
24	शिक्षा विभाग . . .	8,00,000	—
	ऊर्जा मंत्रालय :		
27	ऊर्जा मंत्रालय . . .	89,000	—
28	विद्युत विकास .	15,00,00,000	—
29	कोयला और लिगनाइट .	50,00,000	4,50,00,000
	वित्त मंत्रालय :		
41	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय .	—	3,12,50,000
	गृह मंत्रालय :		
52	दिल्ली . . .	—	7,50,00,000
	उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय :		
59	उद्योग	—	20,00,00,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय :		
63	सूचना और प्रचार . . .	1,000	—

1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय :	रुपये	रुपये
69	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	4,73,000	—
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय :		
77	पत्तन, प्रकाशस्तम्भ और नौवहन . .	7,87,87,000	24,73,00,000
78	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	—	2,19,21,000
	इस्पात और खान मंत्रालय :		
79	इस्पात विभाग . . .	—	9,94,00,000
80	खान विभाग	1,00,000	—
81	खान और खनिज . . .	1,00,00,000	8,10,00,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय :		
84	पुनर्वास विभाग . . .	—	45,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
95	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	1,65,00,000	1,00,000
96	आणुविक शक्ति योजनाएं . .	9,00,000	28,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग :		
103	अन्तरिक्ष विभाग . .	1,00,00,000	1,25,00,000

अनुदानों की अतिरिक्त मांग (सामान्य) 1973–1974

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1973-74

निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1973-74 प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
	एक. राजस्व से किया गया व्यय	रुपये
1	कृषि विभाग	3,72,268
23	रक्षा सेवायें—पेंशन	1,15,60,974
33	स्टाम्प	34,15,000
41	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	15,11,538
47	मंत्रिमंडल	5,56,303
51	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	24,55,725
53	चंडीगढ़	2,64,591
54	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	19,19,131
55	अरुणाचल प्रदेश	1,71,16,981
56	दादरा और नागर हवेली	8,97,995
57	लक्षदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	73,774
62	प्रसारण	29,49,538
75	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	94,669
85	पर्यटन	6,04,290
87	लोक निर्माण कार्य	2,24,20,333
93	पुरातत्वीय	5,15,264
	दो. पूंजी से किया गया व्यय	
13	आन्तरिक व्यापार विभाग	23,985
15	समुद्रपार संचार सेवा	22,59,728
18	डाक और तार का पूंजी परिव्यय	2,57,50,010
53	चंडीगढ़	7,64,924
57	लक्षदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	1,70,977
80	खान विभाग	3,292
90	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और विकास	38,56,741

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं मंत्री महोदया का ध्यान मांग संख्या 47 की ओर दिलाना चाहता हूं । सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक ओर तो वह सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता न देकर किफायत की बात करती है और दूसरी ओर मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर तथा उनके दौरों पर अधिक धन व्यय कर रही है । अच्छा तो यह होगा कि सरकार त्याग-पत्र दे दे ।

नजरबंद व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा और उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा । अब अतिरिक्त मांगों को पेश किया जा रहा है । ये मांगें उस धन के बारे में हैं जो पहले ही खर्च किया जा चुका है । हम इन मांगों को पास क्यों करें? सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि संसद उसकी बात का चुपचाप समर्थन कर देगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मांगों का विरोध करता हूं ।

श्री इराज्मु दसैकरा (मारमागोआ) : 22 संसद सदस्य अब भी जेलों में हैं । उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया है और न ही उन्हें यह मालूम है कि वे कब तक जेलों में रहेंगे । यदि ऐसा उचित है तो मुझे देश के भविष्य में कोई विश्वास नहीं ।

मांग संख्या 66 ठेके पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के बारे में है । 57.11 पैसे प्रति क्विंटल की दर से 1500 क्विंटल मैदा सप्लाई करने के लिए ठेका दिया गया था । ठेकेदार ने मैदा सप्लाई नहीं किया और नया ठेका दिया गया । इस ठेके के अन्तर्गत मैदा 137.25 पैसे प्रति क्विंटल की दर से सप्लाई किया जाना था । मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस मामले की पूरी जांच करे तथा तथ्यों को पेश करे ।

मद संख्या (3) के अन्तर्गत वनों पर किए गए अतिरिक्त व्यय के कारण 1,69,000 रुपये का प्रावधान किया गया है । दादरा और नागर हवेली वन सम्पदा में समृद्ध है । लम्बे अरसे से यह शिकायत मिल रही है कि वन विभाग का कार्यकरण सही नहीं है । अतः इस मामले में भी पूरी जांच की जाए ।

गोआ के उपराज्यपाल संघशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के प्रशासक भी हैं । उपराज्यपाल का कहना है कि दादरा और नागर हवेली का प्रशासन बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के चल रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस प्रदेश के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है क्योंकि वहां न तो कोई राजनीतिक नियन्त्रण ही है और न ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही वहां है ।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का प्रावधान करने वाली मांग का सम्बन्ध है, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह शीघ्र से शीघ्र कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की राशि दे दे ।

तीसरे वेतन आयोग ने पेंशनभोगियों के मामले में विचार करने की सिफारिश की है । बढ़ती हुई कीमतों के कारण पेंशनभोगियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । सरकार इस पर विचार करे तथा यथा सम्भव कार्यवाही करे ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Demand No. 33 relates to stamps. In this connection I have to submit that it is very unfortunate that no commemoration stamp has been released in the memory of Senapati Bapat, who was a well known valiant freedom fighter of Maharashtra.

Demand No. 51 relates to grant of pension to freedom fighters. The persons who fought against the despotic rule of Indian rulers in the princely states should be declared freedom

fighters. They should be granted pensions in the same way as other freedom fighters have been granted. Persons connected with Punapra, Veyalor, Telengana and Mopla revolts should also be declared freedom fighters and be given pension. The persons who took part in RIN mutiny should also be included in the list of freedom fighters.

Applications of freedom fighters received after the last date fixed for receipt of applications should also be considered. The cases of bogus freedom fighters who have been granted pensions should be inquired into not; only their pension should be discontinued but serious action should be taken against them. In Patna Camp jail, bogus certificates are still being issued for a consideration of 500 rupees. Government should take proper steps in this regard.

In view of the rising cost of living the minimum amount of pension, i.e. Rs. 200, should be raised. Medical, educational and housing facilities should also be provided.

Demand No. 75 relates to Shipping and Transport. Ganga. Road Bridge at Patna should be taken over by the Central Government so that its construction can be expedited. It is difficult for the state Government to complete its construction for want of funds.

The persons who have been ousted from their lands due to construction of bridge have not been rehabilitated so far. Arrangements should be made for their rehabilitation. The land which has been acquired in excess of the required land should also be released.

A number of National Highways have been damaged due to floods in Bihar. Government should pay attention to this and ensure repair of roads at the earliest.

श्री पी० जी०मावलकर : (अहमदाबाद): अनुदानों की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मै सरकार का ध्यान मांग संख्या 41 तथा 61 की ओर दिलाना चाहता हूं। मांग संख्या 41 में कहा गया है कि वर्ष 1973–74 में विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि को अंशदान देने के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ ।

जहां तक सरकार द्वारा शुरु किए परिवार नियोजन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यह सच है कि सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सबसे अधिक सहायता ली है। फिर भी मैं इस सम्बन्ध में दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह कि परिवार नियोजन के मामले में स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान लेना चाहिए। दूसरा यह कि अनपढ़ लोगों को शिक्षा दी जाए ।

सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में भी शिकायत मिली है। सरकार कई वार के प्रोत्साहन देने की घोषणा करती है। परन्तु समय विशेष पर लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाते। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सोच समझकर प्रोत्साहन दे तथा फिर उसमें परिवर्तन न करे। आपरेशन के नाम पर वृद्ध लोगों, बच्चों तथा लड़कों का आपरेशन कर दिया जाता हैं। इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए ताकि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। इस मामले में स्वंय सेवी संस्थाओं तथा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कर्मचारियों का गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। जिसमें विधान सभा तथा संसद सदस्य भी शामिल हो। हमें इस समस्या को आर्थिक विकास तथा स्वास्थ्य तथा सुखी पारिवारिक जीवन के पल्लूओं से देखना होगा ।

मांग संख्या 61 स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में हैं। सदन में यह स्वीकार किया गया है कि कई बोगस मामलों का पता लगा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि इसके लिए हम तथा विधान सभा सदस्य दोषी हैं क्योंकि गलत सूचना देने या गलत प्रमाण-पत्र देने के लिए ये सदस्य ही जिम्मेदार हैं। प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि वह प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व तथ्यों को पूरी तरह जांच कर ले अन्यथा मामलों की जांच करना सरकार के लिए कठिन हो जाएगा ।

दूसरी बात यह है कि कई स्वतन्त्रता सेनानियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1946 में 'रायल इडियन नेवी' विद्रोह में भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता सेनानियों की सूची में शामिल किया गया है ? अगर उन्हें शामिल नहीं किया गया तो उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए ।

स्वतन्त्रता सेनानी आवास परियोजना शुरु की गई है। लेकिन दिल्ली परियोजना की उपेक्षा की जा रही है। दिल्ली में रह रहे स्वतन्त्रता सेनानियों को खाने तथा पेय जल की पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वृद्ध स्वतन्त्रता सेनानियों के मकानों का ध्यान रखे।

हालांकि भारत सरकार इन स्वतन्त्रता सेनानियों को काफी धन दे रही है फिर भी पता चला है कि स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन ठीक समय पर नहीं निपटाए जाते। कई आवेदन-पत्र तो दो वर्ष से भी अधिक अवधि से विचाराधीन पड़े हैं। सरकार को शीघ्र से शीघ्र इन आवेदन पत्रों को निपटाना चाहिए ताकि वृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी आराम से अपनी जिन्दगी बसर कर सकें और इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

इसी मांग में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृद्धि के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था है। मेरी मांग है कि छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि की जाए। कमजोर वर्गों की सहायता करके ही हम समतावादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। मुझे आशा है कि सरकार इन योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति के अतिरिक्त लाभ देगी।

Shri D. N. Tiwary (Gopal ganj): The hon. Member, Shri Dinen Bhattacharya has just stated that the excess demand of Rs. 6 lakhs provided for T.A. to Ministers should not be accepted. But he must know that tours are an indispensable part of the ministerial duty. Recently, Ministers went to see the Chasnala Mine accident. Will it be justified to deny T.A. to ministers in such a situation?

I agree that some bogus persons have been granted pension as freedom fighters. But they have been granted pension on the basis of the certificates issued by the Members of Parliament and Legislature Assemblies. How is it possible for the Government to verify the genuineness of the certificates? It is the normal duty of members to bring to the notice of the Government all such cases where pension has been granted to bogus persons.

Now I would like to draw the attention of the Government towards the discrimination being meted out to freedom fighters. They were required to send two petitions; one to the state and the other to the Central Government. Meanwhile, State Governments issued a notice to the effect that both the petitions should be sent to states. As a result of this the freedom fighters sent their petitions to states. Now it is being said that pension will be given to them from the date on which the petitions were sent by states to the centre. It is sheer discrimination and should be looked into by the Government. They should see that pension is given from the date on which the petitions were filed before the state.

The persons who submitted their petitions after the expiry of the prescribed date should also be given benefit and the delay be condoned.

Shri M. C. Daga (Pali): The issue of Chandigarh has been perding for a lerg time. This is an opportune time that this issue is settled.

Development charges on land at Chandigarh should not be credited on Government account. Instead the charges should be borne by the plot holders.

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य): मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि इसमें नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय को भी शामिल किया जाए। मुझे पता लगा है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम घाटे में जा रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि सड़क परिवहन एक ऐसा कार्य है जिसमें घाटे का प्रश्न नहीं उठता। पता चला है कि यह निगम समाप्त किया जा रहा है। मुझे यह भी पता चला है कि निगम की पूर्वी ज़ोन की शाखा बन्द कर दी गई है परन्तु पश्चिमी ज़ोन की शाखा अभी चल रही है। मुझे समझ नहीं आता कि यह शाखा बन्द क्यों नहीं की गई। यदि सरकार इस शाखा पर व्यय करना ही चाहती है तो इस तरह से व्यय करे जिससे निगम को लाभ हो। बम्बई स्थित निगम के मुख्यालय का प्रबन्धक फिजूलखर्ची कर रहा है। सरकारी ट्रक बेकार खड़े हैं और गैर सरकारी ट्रकों के लिये ठेका दिया जा रहा है। हमने कई बार मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया है। धन देने से पूर्व सरकार को इस निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कर लेनी चाहिए। जब भी मंत्रालय को ऐसे मामले भेज जाते हैं तो वह उनका उत्तर क्यों नहीं देती?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, कुछ अच्छी टिकटें जारी करने के लिए सरकार बधाई की पात्र है। पहले विदेश में भारतीय टिकटों की माँग नहीं थी लेकिन अब हो गई है। लेकिन सरकार को प्रसिद्ध कलाकारों, संगीतज्ञों एवं कवियों की स्मृति में भी डाक टिकट जारी करने चाहिए। हम सदन में मांग करते आ रहे हैं कि रूहे गज़ल, अख्तर बेगम की स्मृति में डाक टिकट जारी किया जाए। लेकिन मुझे पता चला है कि समिति ने इसे स्वीकार नहीं किया।

Kanpur is still known as the city of Ganesh Shankar Vidyarthi and Maulana Hasrat Mohain and Government would add to country's heritage if commemorative stamps of these two patriots are issued.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैंने सभी सदस्यों की बातें बड़े ध्यान से सुनी हैं। आश्चर्य है कि कुछ सदस्यों को सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से दुख पहुंचा है। आपात् स्थिति की घोषणा से पहले देश में अव्यवस्था और अनुशासन-हीनता व्याप्त थी जब कि इसके बाद देश में अनुशासन, कड़ी मेहनत और व्यवस्था का वातावरण है और यदि ये परिवर्तन उन्हें अच्छे न लगे हों तो मैं क्या कह सकती हूं।

इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान लोक लेखा समीती के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहती हूं जिसमें वर्ष 1974 में जिसमें सरकार द्वारा अपने खर्च में काफी किफायत की गई है। परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसकी ओर हमारे विद्यवान मित्र, श्री मावलंकर ने ध्यान दिलाया है, अभी चल रहा है और हमें इसमें और अधिक सफलता प्राप्त करनी होगी क्योंकि अब भी देश की जनसंख्या में वृद्धि की दर 2.3 प्रतिशत है। अर्थात् एक आस्ट्रेलिया देश में और जुड़ जाता है। यदि उन्हें कोई सुझाव इस बारे में देना हो ती हम इसका स्वागत करेंगे। इन शब्दों के साथ आशा है कि सभा अतिरिक्त अनुदानों की मांगे पास करेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1973–74 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगो (सामान्य) सभा में मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई।

The following Excess Demands for Grants (General) 1973-74 were put and adopted.

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि
	एक राजस्व से किया गया व्यय	रुपये
1	कृषि विभाग . . .	3,72,268
23	रक्षा सेवायें—पेंशन	1,15,60,974
33	स्टाम्प	34,15,000
41	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय . .	15,11,538
47	मंत्रिमण्डल	5,56,303
51	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	24,55,725
53	चण्डीगढ़	2,64,591
54	अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह . . .	19,19,131
55	अरुणाचल प्रदेश	1,71,16,981
56	दादरा और नागर हवेली	8,97,995
57	लक्षदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह . .	73,774

मांग सं०	मांग का नाम	राशि
62	प्रसारण	29,49,538
75	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	94,669
85	पर्यटन	6,04,290
87	लोक निर्माण कार्य	2,24,20,333
93	पुरातत्वीय	5,15,264
	दो. पूंजी से किया गया व्यय	
13	आन्तरिक व्यापार विभाग	23,985
15	समुद्रपार संचार सेवा	22,59,728
18	डाक और तार का पूंजी परिव्यय . . .	2,57,50,010
53	चण्डीगढ़	7,64,924
57	लक्ष्यदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह . .	1,70,977
80	खान विभाग	3,292
90	परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान और विकास . . .	38,56,741

राष्ट्रपति का सन्देश

MESSAGE FROM PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मैं लोक सभा को राष्ट्रपति से प्राप्त दिनांक 24 जनवरी, 1976 के निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं :—

"मैंने 5 जनवरी, 1976 को एक-साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था, उसके प्रति लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1975–76

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (Railways) 1975-76

निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (रेल), 1975–76, प्रस्तुत की गई :—

मांग सं०	शीर्षक	राशि
		रुपये
15	चालू लाइन कार्य पूंजी, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि तथा विकास निधि . .	3,000

*श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ओसग्राम) : रेलों के बारे में सबसे पहली बात मैं सैलुनों के बारे में कहना चाहता हूं । इन पर रेल मंत्रालय प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये खर्च करता है । आश्चर्य है कि एक ओर देश में किफायत, कड़ी मेहनत और अनुशासन की बातें हो रही हैं और दूसरी ओर वही पुराना नौकरशाही और दासतापूर्ण ढांचा बनाये रखा गया है । इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह राशि रेल कर्मचारियों के कल्याण पर तथा यात्री--सुविधायें बढ़ाने पर खर्च की जायें ? आशा है कि अपने उत्तर में मंत्री महोदय इस बात का भी उल्लेख करेंगे ।

हाल ही में बड़े व्यापारियों द्वारा रेलवे बैगनों को गोदामों के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी मैं चाहता हूं कि श्री कुरेशी अपने उत्तर मे उन से जुर्माने आदि के रूप में वसूली की गई राशि और वर्तमान स्थिति के बारे में बताएंगे । साथ ही मैं बैगन-निर्माण उद्योग में आये संकट का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जहां बैगनों की मांग घट जाने के कारण हजारों श्रमिकों को बेकार होना पड़ा है, यदि सरकार का पांचवीं योजना में रेलों द्वारा माल यातायात बढ़ने का अनुमान सही है, तो बैगनों की मांग घटाने का कोई कारण नहीं है और प्रत्याशित वृद्धि के लिए रेलवे को अभी से तैयार रहना चाहिये ।

कलकत्ता की भूमिगत रेल योजना भी शीघ्र पूरी की जानी चाहिये क्योंकि यात्रियों की कठिनाई के साथ साथ बिलम्ब से लागत भी बढ़ जाती है । मंत्री महोदय इस योजना की प्रगति और इसे पूरा करने के लक्ष्यों आदि के बारे में बताएं ।

प्रधान मंत्री के 1972 के चुनाव वचन के अनुसरण में हावड़ा आमता रेल-मार्ग पर बड़ी लाईन बिछाने का कार्य आरम्भ तो हो गया था परन्तु अब स्थिति यह है कि छोटी लाईन तोड़ दी गई है और बड़ी लाईन बिछाने का काम ठप्प है । इससे कार्यालय कर्मचारियों, दूध विक्रेताओं आदि को बहुत कठिनाई हो रही है । मंत्री महोदय इस बारे में भी स्पष्ट बताएं ।

श्री त्रिपाठी ने चित्तरंजन लोकों वर्कशाप में आसनसोल-बर्दवान सैक्शन को उपनगरीय सैक्शन बनाने का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक मंत्रालय ने इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है । इसका महत्व सभी जानते हैं । इसके अतिरिक्त आसनसोल से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में अधिक डिब्बे लगाने की भी आवश्यकता है ताकि भीड़-भाड़ और परेशानी कम हो ।

सरकार के अनुसार 841 रेल कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया है, परन्तु निर्दोष कर्मचारियों के विरुद्ध भी कुछ अधिकारियों द्वारा निजी दुश्मनी के कारण ऐसे दोष लगा कर उन्हें सेवा से हटा देने के प्रयास किए गए हैं । अतः निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है और मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सभी 841 कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभुतिपूर्ण ढंग से पुनर्विचार करके उन्हें सेवा में पुनः ले लिया जाये ।

[श्री बसन्त साठे पीठासीन हुये]

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षित हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं रेलों की इन पूरक मांगों का समर्थन करता हूं ।

मुझे आपात काल की घोषणा के बाद रेल प्रशासन में हुए सुधार पर बहुत संतोष और हर्ष है । आशा है रेल सुविधाओं में और सुधार होगा ।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, हमें अनेक कठिनाइयों हैं, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों और इसके पश्चिमी भागों में रेल-सम्पर्क नहीं है । अतः जाखपुरा बांसपानी रेल मार्ग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सभी सर्वेक्षण पूरे होने पर भी यहां काम शुरू नहीं किया गया है । आशा है कि मंत्री महोदय स्वयं इस ओर ध्यान देंगे और रेलों की बेहतर वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस मार्ग का काम 1976–77 में अवश्य पूरा हो जाएगा। साथ ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु दसणला और नयागढ़ के रास्ते खुर्दा रोड, फूलबती लाइन बनाने की योजना पर भी ध्यान दिया जाएगा ।

मंत्री महोदय जानते हैं कि रेलवे के विभिन्न जोन 10–20 वर्ष पूर्व बनाए गए थे और अब प्रत्येक में काम कई गुना बढ़ गया है । अतः इनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि सभी तटवर्ती राज्यों के लिए नया तटवर्ती जोन बनाया जाना चाहिये जिसका मुख्यालय किसी भी तटवर्ती राज्य में हो ताकि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का कार्य-भार कम करके इसे अधिक दक्ष और कार्यकुशल बनाया जा सके । इसी प्रकार कई नए डिवीजन भी बनाने होंगे और राऊरकेला में नया डिवीजन सफतापूर्वक बना कर चलाया जा सकता है ।

प्रशिक्षु योजना, जो 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग है, के अनुसार दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए 1000 प्रशिक्षुओं की स्वीकृति दी गई है । परन्तु रेल-संचार की असमान प्रगति के कारण 998 प्रशिक्षु पश्चिम बंगाल से लिए गए और कहा गया कि क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में रेल वर्कशाप नहीं है । अतः खुर्दारोड़ में वर्कशाप बनाई जानी चाहिये ताकि इन राज्यों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा हो सके ।

मैं पुरी-तिरुपति एक्सप्रैस और ब्रिन्दावन एक्सप्रैस चलाए जाने का स्वागत करता हूं। साथ ही पुरी और उड़ीसा के पश्चिमी जिलों को मिलाने वाली कोई गाड़ी नहीं है । आश्चर्य है कि जहां पुरी को देश-भर के सभी राज्यों से मिलाया जा रहा है परन्तु पुरी को उसी राज्य के पश्चिमी क्षेत्र से मिलाने वाली कोई सीधी गाड़ी नहीं है । मेरा सुझाव है कि जरसुगुडा-पुरी एक्सप्रैस चला कर यह कठिनाई दूर की जाये ।

कटक-परादीप रेल मार्ग 2–3 वर्ष पूर्व बनाया गया था परन्तु अभी तक वहां रेल सेवा आरम्भ नहीं की गई है । आशा है कि कम से कम वहां के रेल-कर्मचारियों की सुविधा के लिए गाड़ी शीघ्र चलाई जाये । महानदी रेल-पुल को सुदृढ़ बनाने के लिए उसमें नए गर्डर लगाने की योजना थी परन्तु कुछ रेल अधिकारियों ने घटिया गर्डर बिछाये जा रहे पकड़ लिए । मंत्री महोदय को इसकी जांच करानी चाहिये ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि क्योंकि रेल विभाग के पास काफी भूमि है, अतः जो कर्मचारी ऋण आदि लेकर अपने मकान बनबाना चाहें उन्हें भूमि दी जाये । आशा है कि सरकार मेरी बातों पर ध्यान देगी और उचित कार्यवाही करेगी ।

Shri K. M. 'Madhukar' (Kesari): Sir, first of all I congratulate the hon. Minister of the all-round improvement in railway administration and rail-services after emergency.

First of all, I would request that all these permanent 1000 railway employees should be taken back in service, who were removed from service after the Railway Strike and who are not guilty of violence.

It is regretful that the Railway Organisation viz Indian Railway Workers Federation, which has fully supported the 20-point programme and which does not advocate sabotage has not been recognised by Government.

I also want that the principle of workers' participation in the Administration should be introduced in Railways as it has not been so done so far.

Referring to Demand no. 5, I would suggest provision of shed and waiting room at Muzaffarpur, N.E. Railway for metre-gauge passengers. Similarly, Sangali station on N.E. Railway is an important junction for tourists coming from and going to Nepal, but there is no waiting room and other amenities for passengers. These should be provided.

I also want that more care should be taken in handling perishable goods in transit in particular and pilferage of railway goods in general so that compensation andloss worth crores of rupees is avoided by the Railways.

I want to say something about Demand No. 14. A branch line Connecting Hajipur with Sugauli junction Via Vaishali, Sahibhganj ,Kesaria, Areraj and Paheapur should be provided Areraj is a place of pilgrimage and also a big centre of business. But it has not been connected with railway line so far. A survey should be conducted in this regard without delay.

The late Shri L. N. Mishra had promised that a broad guage line from Muzaffarpur to Narkaliya Ganj and from Darbhanga to Raxol would be provided. This would be an economical line. Steps should be taken to provide this line.

The work on Chhitauni Bridge is proceeding at a slow pace. It should be expedited. There should be rail-cum-road bridge at Patna. It is very important for North and South Bihar. Steps should be taken to provide a rail-cum-road bridge at Patna.

Broad guage line is being provided upto Sonepur. It should be extended upto Muzaffarpur. An over bridge should also be provided at Motihari.

Now I come to Demand No.7 which relates to catering arrangement by Railway Administration. There has been no improvement in departmental catering. Steps should be taken to improve it.

At Muzaffarpur, railway workers has formed a society and want to under take catering work. But catering work has been given to private individual there. This matter should be looked into.

The service conditions of railway workers in the catering Department is very miserable because these workers are not regarded as regular employees. they are treated as casual workers. Service Conditions of these employees should be improved and they should be made regular.

The hon. Minister deserves congratulations for bringing improvement in the Railway Administration. But stile there is need for providing more amenities for second class passengers. Steps should be taken in this regard.

It is true that working of Railway has improved and trains are Coming and going in time. But certain trains reach their destination ahead of their time. Passengers have to wait for a long time. This waiting time should be reduced.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : In the pre-emergency period, there was all disorder in the field of railway transport. It is now under the leadership of the present Railway Minister, Shri Kamla Pati Tripathi that railway passenger amenities have been extended, the position of loading or unloading of wagons and the overall functioning of railways has been improved. It is a great achievement.

The chhatisgarh Express has provided great relief to the people. We feel oblige to the Railway Minister for starting Chhatisgarh Express.

Shri R S. Pandey

After the proclamation of emergency, the workshop production under Railways has increased by 33 percent. Corruption in the movement of wagons has been eradicated.

The speed of G.T. express should be increased. A Rajdhani express should be introduced between Madras and Delhi.

The cases of those railway employees, who are still in detention, should be dealt with Sympathetically. Those employees against whom there are no serious charges should be released and the persons who took active part in violent activities should be punished.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It is wrong to say that railway strike in 1974 was restored to for taking over the railway administration. They resorted to strike to get their six point demands accepted.

It is beyond doubt that there has been ovrall improvement in the functioning of railways. The railway Minister as well as the railway workers deserve all praise for this achievement. But it appears that bureaucracy in railways is increasing. Bureaucrates are impressing upon the workers and they think that emergency is meant for workers and not for them. They are also indulging in corrupt practices. Government should pay their attention towards this so that this evil could be checked.

It is understood that a place named Digha near Sadakat Ashram at Patna has been selected for the construction of a railway Bridge. It is a good proposal and should not be allowed to be scuttled down by the railway officials.

The late Railway Minister had provided 79 lakhs of rapees for the expansion and remodelling of Patna Junction. I would like to know what are the actual proposals in this regard and how much time would be taken for their implementation.

In Dhanbad Division, there are number of employees against whom there are no charges of violence or sabotage but still they have not been reinstated. Similar is the case with workers working on Mughal Saria Railways. I would request that all those railway employees against whom there are no charges of sabotage or violence during the railway strike in 1974, should be immediately reinstated. I hope that the hon. Minister will see into it and take proper action.

Shri Ram Headaoo (Ramtak) : The hon. Railway Minister deserve Congratulations for the overall improvement in the working of Railways.

Two railway trains should be started to link Bhandara station with the Defence Project that has been set up at a distance of six miles from Bhandara. It will provide facility to thousands of workers to reach their place of work conviniently and it will also bring a large revenue to Railways. One overbridge. should be constructed at Bhandara Road and the other near Balabhou Peth in eastern Nagpur.

Chander Pur district in Maharashtra is a backward area. It has not been connected with railway line. Survey of chander Pur district should be undertaken with a view to constructing new railway lines in that area. The survey of Amravati—Narkhed line, which is lying in cold storage, should be taken up afresh.

It is the policy of the Government to recruit tribals in Railways in a specific proportion. But they are deprived of appointments in railways due to regional restrictions. An administrative order should be issued removing all such restrictions imposed on tribal people with a view to providing them educational and employment facilities irrespective of any region or locality.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाले ऐसे राष्ट्रीय राजपथों पर 'फ्लाई ओवर' बनाए जाने चाहिए जहां रेलवे लाईन है । केवल रेलवे क्रासिंग बनाना पर्याप्त नहीं है । कटुआ में रेलवे क्रासिंग बनाया गया है जिसके कारण पैदल चलने वालों तथा मोटर गाड़ी चालकों को काफी असुविधा हो रही है । मंत्री महोदय का कहना है कि यदि राज्य सरकार लागत का 50 प्रतिशत देने के लिए तैयार है तो रेलवे बोर्ड कार्य करने के लिए तैयार है । ऐसा कभी नहीं हो सकता । सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

सीजन टिकट यात्रियों को यह सुविधा दी गई थी कि उनको जिन स्टेशनों के लिए टिकट जारी किया गया है, वे बीच के स्टेशन पर उतर-चढ़ सकते हैं । परन्तु अब एक परिपत्र जारी करके यह कहा गया है कि ऐसे यात्रियों को बिना टिकट समझा जाएगा जो बीच के स्टेशनों पर उतरते चढ़ते हैं । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस परिपत्र को वापिस ले लें ।

बर्दवान से खन्ना जंक्शन तक दोहरी लाईन है परन्तु खन्ना से साहबगंज इकहरी लाईन हैं । वहां दोहरी लाईन बिछाई जानी चाहिए । कटवा में दोहरी लाईन बिछाई जानी जाहिए ।

गाड़ियों के साथ भोजन यान नहीं लगाया जाता । खाना जलपान व्यवस्थापको द्वारा सप्लाई किया जाता है जिन्हें कमीशन मिलती है । पहले उन्हें 15–16 प्रतिशत कमीशन देते थे । लेकिन अब दस पैसे प्रति रुपया कर दी गई है । मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि उन्हें जो पहले मिलता था वह मिलता रहे । खान-पान प्रबन्धकों के लिए नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिये । सप्लाई किये जाने वाले खाने में सुधार किया जाना चाहिये विशेषकर उत्तर रेलवे पर क्योंकि जब हम दिल्ली से हावड़ा के बीच यात्रा करते हैं तो उत्तर रेलवे द्वारा सप्लाई किया जाने वाला खाना ठीक नहीं होता । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । इस पर विचार करने हेतु, एक समिति गठित की जाये क्योंकि यात्री शिकायत करते हैं ।

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shaffi Qureshi): Shri Halder has made a reference to the Howrah-Amta line. This line was closed down in 1971 but in the absence of road transport in the area a strong demand was made to restore this line. Survey was conducted in 1972. It has been agreed in principle that his line will be converted into broad guage and it will have electric traction. Previously the Government of west Bengal had agreed to pay 50 percent of the total estimated expenditure of Rs. 10 crores. But later on they agreed to give band for this Project free of cost. Provision of Rs. 50 lakhs has been made this year so that the work on this Project can start. The rest of the expenditure will be borne by the Railways.

The credit for the improvement which has been made in the Railways recently goes to the railway remployees. An attempt was made to spoil the new atmosphere of discipline and dedication by certain elecments but the railway worker refused to follow these elements.

In all 16 thousand railway employees were dismissed. There are about 800 employees, who have not yet been taken back in seevice. Out of these there are about 400 employees, who have gone to courts and there are 75, who have not filed an appeal. Thus the number of remaining employees comes to 300, which is only 3 per cent. Suitable legal action will be taken aginst those employees, who will be found guilty. It will not be proper to say that every employee should be considered innocent and taken back in service. We will certainly look into any where an innocent employee is suffering.

It has been said that railway officers use saloons on which the railways have to incur huge expenditure. The saloons are not luxurious as has been made out. In fact these are Inspection carriages which are used by railway offcers when they go on official business. Some saloons have been kept reserved for the President, the Vice-President, Ministers and Governors. The expenditure on maintenance of a broad guauge saloon is Rs. 8000, while that on a metre gauge saloon is Rs. 4000. It is not that railway officers always travel in saloons. They use saloons when it is essential to do so.

The Members have pleaded for construction of certain overbridges. The railways have a Safety Fund of Rs. 10 crores at present which is at the disposal of the States. This money will be utilized for the provision of railway bridgees but the priority for a bridge has to be decided by a State Government.

Reference has been made to wagon manufacturing firms. The Railways have not stopped placing orders for wagons. It is not correct to say that any wagon manufacturing firm has been closed down for want of orders. It is true that railways have decreased their demand from 20,000 wagons to 10,000 wagons a year. But there is a back-log of orders for 24,000 wagons with the manufacturers. It will take the manufacturers about 3 years to clear this back log and to meet the current demand.

Shri Dinen Bhattacharyya : All the sleeper manufacturing foundries are lying closed. They have not received any order.

Shri Mohd. Shaffi Qureshi : The number of factories has gone up considerably. Efforts are being made that each factory should get order.

Shri Chintamani Panigrahi (Bhuvaneshwar): Will the Minister say something about Jakhpura—Banspani railway link.

Shri Mohd. Shaffi Qureshi : As regards Jakhpura-Banspani railway link, the work on this line will be started. We are aware that it is an important link. The difficulty is about finances. When our financial condition improves, more attentinon will be paid to construction of new railway lines.

Shri Krishna Chandra Halder : Will you please state a few words about underground railway in Calcutta.

Shri Mohd. Shaffi Qureshi : Initial estimate for the underground railway line from Tall ganj to Dunlop in Calcutta was Rs. 140 crores but the present estimate is Rs. 240 crores. This year a sum of Rs. 10 crores has been earemarked for metropolitan systems. Major portion of this money will be spent on underground railway for Calcutta. An effort will be made to complete this Project two years behind the original schedule. The estimated expenditure on this project has considerably gone up. Because of financial strains more time will be taken to complete this Project.

It will be our endeavour to provide a fast train from Madras to Delihi. Efforts will be made to curtail the running time of long distance trains.

With these words I request you to vote these demands.

सभापति महोदय द्वारा रेल मंत्रालय की निम्नलिखित अनुदानों को अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

The following Supplementary Demands for Grants (Railway) 1975-76 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
15	चालू लाइन कार्य पूंजी मूल्य निधि	ह्रास आरक्षित निधि तथा विकास	3,000

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक
UNIT TRUST OF INDIA (Amendment) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं "कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यूनिट ट्रस्ट आफ इंण्डिया की स्थापना 1964 में हुई थी । ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य समाज की बचत के लिए प्रोत्साहन करना तथा उस बचत का उपयोग उत्पादक निगमित विनियोजन के लिए करना है ।

ऐसे भारतीयों जो यहां के निवासी न हों तथा भारत मूल के विदेशी नागरिकों की बचत का उपयोग करने के बारे में तथा इन लोगों द्वारा भारत में पूंजी निवेश की सुविधा देने तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा स्वदेश पैसा भेजने को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में दिए गए सुझावों पर सरकार इस समय विचार कर रही है ।

यह उचित समझा गया है कि अनिवासी भारतीयों तथा भारत मूल के विदेशी नागरिकों द्वारा अनिवासी (विदेशी) लेखों के माध्यम से यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया से खरीदे गए यूनिटो से प्राप्त होने वाली आय को कर मुक्त रखा जाए तथा उन्हें उन लोगों के समान दर्जा दिया जाए जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में निर्धारित अवधि के लिए धन जमा कराते हैं ।

गैर निवासी भारतीय युनिटधारियों को उसी वर्ग के बैंक जमाकर्त्ताओं के समान दर्जा देने हेतु 31 अक्तूबर, 1975 को यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (संशोधन) अध्यादेश 1975 जारी किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि अनिवासी भारतीयों तथा भारत मूल के विदेशी नागरिको द्वारा अनिवासी लेखों अथवा विदेशी मुद्रा स्वदेश भेज कर यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया से खरीदे गए यूनिट से प्राप्त होने वाली आय कर नहीं लगाया जायगा। अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया इस प्रकार का पूंजी निवेश धनकर से भी मुक्त होगा । यूनिट ट्रस्ट आफ इंण्डिया ने विभिन्न देशों में, जहां कि पूंजी निवेश की सम्भाव्यता अधिक है, पहले से ही एक अभियान शुरू है । इन देशों में ट्रस्ट पूंजी निवेश के प्रचार हेतु एजेंट नियुक्त करने की भी व्यवस्था की गई है ।

आशा है कि वर्तमान विधान के लागू होने से अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के विदेशी नागरिक यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया में अधिक पूंजी निवेश करेंगे ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : हमें इस विधेयक को पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी वाणिज्यिक बैंकों में पूंजी निवेश करने की सुविधायें मिलेंगी । इस अध्यादेश को तत्काल लागू करने की क्या आवश्यकता थी । अध्यादेश 31 अक्तूबर को लागू किया गया । 31 अक्तूबर से लेकर संसद के वर्तमान अधिवेशन शुरू होने तक यूनिट ट्रस्टों में विदेशी मुद्रा लगाकर संसाधन जुटाने में कोई सफलता नहीं मिली है । सरकार को इस बारे में भी जानकारी देनी चाहिये कि इस उपाय के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ।

हमें यह भी बताया जाये कि गत कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने यूनिट ट्रस्टों के माध्यम से बड़े व्यापार गृहों में किस सीमा तक पूंजी निवेश किया है । बड़े व्यापार गृहों में पूंजी निवेश से न तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और न ही सामाजिक न्याय होगा । सरकार को यूनिट ट्रस्ट आफ इंण्डिया के द्वारा अपनी पूंजी निवेश की नीति का परिचय देना चाहिए ।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि यूनिट ट्रस्ट आफ इंण्डिया इस ढंग से काम करे कि इस संशोधन का औचित्य सिद्ध हो सके ।

Shri M. C. Daga (Pali) : I support the spirit of the Bill. Crores of rupees have been invested in the Unit Trust of India by the Government. I want to know whether small industries or some vested interests are being benefited through the Unit Trust of India. I think that only a few companies out of total forty thousand companies in the country are getting benefit from the Unit Trust of India. In fact small industries are not deriving benefit from the Unit Trust.

Mr. Chirman : The hon. member may continue his speech tomorrow.

[इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 16 जनवरी, 1976/26 पौष, 1897 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।]

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, January 16. 1976/ Pausa 26, 1897 (Saka).]

GMGIPND—L—2378 LS—22-3-76—200